PDF Compressor Free Version

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
शिक्षा विद्यापीठ

बीईएस-122

# समकालीन भारत एवं शिक्षा

खण्ड

# 2

## भारत में शिक्षा हेतु नीतिगत ढाँचा

इकाई 5
स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास 5

इकाई 6
विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1947 से 1964 24

इकाई 7
विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1964 से 1985 41

इकाई 8
विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1986 एवं तत्पश्चात् 58

PDF Compressor Free Version

## विशेषज्ञ समिति

प्रो. आई.के. बंसल (अध्यक्ष)
पूर्व अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग,
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

प्रो. श्रीधर वशिष्ठ, पूर्व कुलपति
लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ,नई दिल्ली

प्रो. परवीन सिंक्लेयर
पूर्व निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.
विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. ऐजाज मसीह
शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया,नई दिल्ली

प्रो. प्रत्युष कुमार मंडल
डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

प्रो. अंजू सहगल गुप्ता
मानविकी विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एन.के.दाश (निदेशक)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एम.सी. शर्मा (कार्यक्रम समन्वयक, बी.एड.)
शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. गौरव सिंह (कार्यक्रम सह–समन्वयक, बी.एड.)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

## विशिष्ट आमंत्रित सदस्य (शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू)

प्रो. डी. वेंकटेश्वरलू
प्रो. अमिताभ मिश्रा
सुश्री पूनम भूषण
डॉ. आईशा कैन्नाड़ी
डॉ. एम.वी.लक्ष्मी रेड्डी

डॉ. भारती डोगरा
डॉ. वन्दना सिंह
डॉ. एलिजाबेथ कुरूविला
डॉ. निराधार डे
डॉ. अंजुली सुहाने

**पाठ्यक्रम समन्वयक : प्रो. एम. सी. शर्मा, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू**
**पाठ्यक्रम सह–समन्वयक : डॉ. निराधार डे, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू**

## खंड निर्माण दल

**पाठ्यक्रम योगदान**

डॉ. नीरज प्रिया (इकाई 5)
प्राचार्य, गुरु रामदास कॉलेज
ऑफ एजुकेशन, शाहदरा, नई दिल्ली

डॉ. कुलदीप अग्रवाल (इकाई 6)
निदेशक, शैक्षिक, राष्ट्रीय मुक्त
विद्यालयी संस्थान, नोएडा (यू.पी.)

डॉ. अनिता देवराज (इकाई 7)
प्राचार्य, डी.ए.वी. सेन्टेनरी पब्लिक
स्कूल, बहादुर गढ़, हरियाणा

डॉ. निरंजन सोपर्ना (इकाई 8)
डॉ. लेख्या राम मोहन इंस्टीट्यूट
ऑफ वोकेशनल स्टडीज,
शेख सराय, नई दिल्ली

**विषयवस्तु संपादन**

प्रो. सुदर्शन चक्र पाणिग्रही
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन
सी.ए.एस.ई., एम.एस. यूनिवर्सिटी
बड़ौदा (गुजरात)

**प्रारूप संपादन**

डॉ. निराधार डे
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

## अनुवादक दल

**अनुवादक**

श्री चन्द्रशेखर (इकाई 5 एवं 6)
रिसर्च असिस्टेन्ट
(आई.सी.एस.एस.आर. प्रोजेक्ट)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू,
नई दिल्ली

डॉ. सत्यवीर सिंह (इकाई 7 एवं 8)
एस. एन. आई. कॉलेज,
पिलाना, बागपत (यू.पी.)

**हिन्दी पुनरीक्षण**

डॉ. निराधार डे (इकाई 5 एवं 6)
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

श्री चन्द्रशेखर (इकाई 7 एवं 8)
रिसर्च असिस्टेन्ट
(आई.सी.एस.एस.आर प्रोजेक्ट),
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

**प्रूफ रीडिंग**

डॉ. निराधार डे
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

श्री चन्द्रशेखर
रिसर्च असिस्टेन्ट
(आई.सी.एस.एस.आर. प्रोजेक्ट),
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

## सामग्री उत्पादन

प्रो. एन. के. दाश
निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

श्री.एस.एस. वेंकटाचलम
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
इग्नू, नई दिल्ली

सितम्बर 2016 (संशोधित)
©इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय; 2016

*सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।*

*इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110 068 से प्राप्त की जा सकती है।*

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, वी–166ए, भगवती विहार, उत्तम नगर, (नजदीक द्वारका), नई दिल्ली–59

मुद्रक :

PDF Compressor Free Version

| बीईएस-122 समकालीन भारत एवं शिक्षा | |
|---|---|
| **खंड 1** | **भारतीय सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा** |
| इकाई 1 | भारतीय समाज की प्रकृति |
| इकाई 2 | भारतीय समाज की अपेक्षाएँ |
| इकाई 3 | शिक्षा एवं नीतियाँ |
| इकाई 4 | भारतीय समाज एवं शिक्षा |
| **खंड 2** | **भारत में शिक्षा हेतु नीतिगत ढाँचा** |
| इकाई 5 | स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास |
| इकाई 6 | विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1947 से 1964 |
| इकाई 7 | विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1964 से 1985 |
| इकाई 8 | विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1986 एवं तत्पश्चात् |
| **खंड 3** | **शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य** |
| इकाई 9 | शिक्षा की अवधारणा तथा प्रकृति |
| इकाई 10 | शिक्षा के दार्शनिक आधार |
| इकाई 11 | शिक्षा के लोकतांत्रिक सिद्धान्त |
| इकाई 12 | शिक्षा के अभिकरण |
| **खंड 4** | **माध्यमिक शिक्षा के मुद्दे एवं सरोकार** |
| इकाई 13 | माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण |
| इकाई 14 | शिक्षा में समता एवं समानता |
| इकाई 15 | माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या के मुद्दे तथा गुणवत्ता के सरोकार |
| इकाई 16 | माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास |

PDF Compressor Free Version

# खंड 2 भारत में शिक्षा हेतु नीतिगत ढाँचा

## खंड की प्रस्तावना

किसी देश में शिक्षा की प्रगति उसके नीतिगत ढाँचे पर निर्भर करती है जो वर्षोंपरांत विकसित हुई होती है तथा क्रियान्वित की जाती है। इस संदर्भ में, भारत ने अपनी स्वतंत्रता से शिक्षा में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय बुद्धिजीवी राष्ट्र की शिक्षा के क्रमबद्ध विकास के लिए सोचना तथा कार्य करना प्रारंभ कर दिए। प्रस्तुत खंड, **"भारत में शिक्षा हेतु नीतिगत ढाँचा"**, स्वतंत्रता–पूर्व तथा संप्रति भारत में शिक्षा व्यवस्था हेतु लोक नीति के ढाँचों से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा के लिए निर्मित किया गया है। यह खण्ड चार इकाईयों से मिलकर बना है।

इस खंड की प्रथम इकाई (इकाई 5), **"स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास"** भारत में शिक्षा के उन मुद्दों पर विमर्श करती है जो स्वतंत्रता पूर्व उत्पन्न हुए थे। इस इकाई में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवादी काल के अधीन शिक्षा का स्तर एवं स्थिति की विस्तृत व्याख्या की गई है। प्राचीन तथा मध्यकाल की पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक तथा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की उचित उदाहरणों के माध्यम से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश शासन के अधीन शिक्षा सम्बन्धी मुद्दों जैसे, प्राच्य विद्वानों तथा पाश्चात्य विद्वानों में मतभेद; अधोगति निस्पंदन सिद्धान्त; बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का उदय; के मुद्दों की चर्चा की गई है।

इस खण्ड की द्वितीय इकाई (इकाई 6), **"विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1947 से 1964"**, में सार्जेन्ट रिपोर्ट; विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा नीतियाँ सम्मिलित है। यह इकाई, विद्यालयी शिक्षा हेतु शिक्षा आयोग की अनुशंसाएँ तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उनके क्रियान्वयन के समझ हेतु शिक्षार्थियों को एक आधार प्रदान करती है।

इसी प्रकार, इस खंड की तृतीय इकाई (इकाई 7), **"विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1964 से 1985"**, शिक्षा आयोग (1964–66) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) की अनुशंसाओं को आलोकित करती है। पूर्व की इकाईयों की तरह, चतुर्थ, पंचम तथा षष्टम पंचवर्षीय योजनाओं में निर्मित शिक्षा नीतियों को भी विस्तारित किया गया है।

इस खंड की अंतिम इकाई (इकाई 8), **"विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1986 एवं तत्पश्चात्"**, भारत में शिक्षा के तात्कालिक विकास को प्रस्तुत करती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इसकी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992; राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2006–2009); राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005; तथा शिक्षक–शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2009 की अनुशंसाओं पर विमर्श करती है। आयोगों की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने हेतु, इस इकाई में सातवीं से बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं पर विमर्श किया गया है।

PDF Compressor Free Version

# इकाई 5 स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास

संरचना


5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था
- 5.3.1 शिक्षा की पहुँच
- 5.3.2 पाठ्यचर्या
- 5.3.3 शैक्षिक वित्त
- 5.3.4 शिक्षक

5.4 मध्यकाल में शिक्षा: संरचनात्मक विस्तार
- 5.4.1 उत्तर मध्यकाल में शिक्षा की पहुँच
- 5.4.2 पाठ्यचर्या तथा शैक्षिक वित्त

5.5 औपनिवेशिक शासन के अधीन शिक्षा
- 5.5.1 प्राच्यवादी नीति
- 5.5.2 पाश्चात्यवादी नीति

5.6 साम्राज्यवादी शासन के अधीन शिक्षा
- 5.6.1 प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन शिक्षा
- 5.6.2 शिक्षा का विकास – 1902 से 1921
- 5.6.3 द्वैध शासन के अधीन शिक्षा का विकास – 1921–1937
- 5.6.4 प्रांतीय स्वशासन के अधीन शिक्षा (1936–37 से 1946–47)
- 5.6.5 बुनियादी शिक्षा की उत्पत्ति एवं विकास
- 5.6.6 अधीनस्थ सामाजिक व्यवस्था के रूप में शिक्षा

5.7 सारांश

5.8 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

5.9 प्रगति जाँच हेतु उत्तर


## 5.1 प्रस्तावना

समाज के उदय से ही शिक्षा की घटना कई संस्थाओं के माध्यम से कई उद्देश्यों के लिए कई रूपों में घटती रही है। तीन प्रकार की शिक्षाएँ हैं – औपचारिक, निरौपचारिक तथा अनौपचारिक। शिक्षा कहीं भी, किसी समय, किसी व्यक्ति द्वारा ग्रहण तथा प्रदान की जा सकती है। निरौपचारिक शिक्षा थोड़े कठिन वातावरण में दी जाती है तथा यह किसी के द्वारा ग्रहण की जा सकती है। शिक्षा नीतियाँ, शिक्षा जैसी सामाजिक गतिविधि हेतु मानक वातावरण प्रदान करती हैं। ये शिक्षा की विषयवस्तु तथा क्षेत्र को परिभाषित करती हैं। अन्य शब्दों में, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रदान करती हैं :

- शिक्षा क्या स्थापित करती है?
- किसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए?
- किसे शिक्षा देनी चाहिए?
- किसे शिक्षा के लिए संसाधनों को प्रदान करना चाहिए?
- किस विधि से क्या पढ़ाया जाना चाहिए?

PDF Compressor Free Version



प्रस्तुत इकाई में, हम उस शिक्षा व्यवस्था की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे जो अपने प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में विभिन्न ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में प्रचलित थी। इसलिए, यह इकाई चार भागों में विभाजित है अर्थात प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, मध्यकाल में शिक्षा, औपनिवेशिक काल में शिक्षा तथा साम्राज्यकाल में शिक्षा। प्रथम भाग में, वैदिक तथा बौद्ध काल में शिक्षा नीति पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित किया गया है। दूसरा भाग, मुस्लिम काल की शिक्षा की प्रकृति का वर्णन करता है। तीसरा भाग औपनिवेशिक शासन के दौरान प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी विद्वानों के मध्य संघर्ष की चर्चा करता है तथा अंतिम भाग में साम्राज्यवादी शासन की स्थापना के पश्चात् शिक्षा के विकास की चर्चा की गई है। यह इकाई बुनियादी शिक्षा के विकास की एक झलक भी प्रस्तुत करती है तथा अंततः शिक्षा को एक अधीनस्थ सामाजिक उपव्यवस्था के रूप में विमर्श करती है।

## 5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- प्राचीन काल से सन् 1947 तक भारत में शिक्षा के विकास को समझ सकेंगे;
- प्रत्येक काल की शिक्षा व्यवस्थाओं को उनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में तुलना कर सकेंगे;
- ब्रिटिश कालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत में बुनियादी शिक्षा की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कर सकेंगे; और
- एक सामाजिक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा की अधीनस्थ स्थिति को समझ सकेंगे।

## 5.3 प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था

भारत में सभ्यता के प्रारंभ से अधिगम तथा शिक्षा की एक समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था अपने परंपरागत रूप में धर्म से घनिष्ठतापूर्वक सम्बन्धित थी। कालांतर बाद, दो शिक्षा व्यवस्थाएँ विकसित हुई – वैदिक, जो बाद में दो उपभागों में उत्तर वैदिक और/अथवा ब्राह्मण तथा बौद्ध में विभाजित हुई। वैदिक परंपरा की वृहद नीति वेदों तथा स्मृतियों में स्थापित मानकों का अनुकरण किया जो हिन्दू धर्म द्वारा अनुमोदित नागरिक समाज के मानकों/नियमों की संहिता थी। दूसरी परंपरा बौद्ध शिक्षा नीति की थी। समानांतर, भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे प्रदेश थे जहाँ जैन धर्म प्रचलित था तथा जैनशास्त्रों के अनुसार मानक नियम थे।

प्राचीन भारत में शिक्षा परंपरागत ज्ञान देने हेतु धार्मिक प्रशिक्षण के तत्वों के साथ तीसरी सदी ई.पू. के लगभग प्रारंभ मानी जाती है। यह जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात् मोक्ष या उद्धार के माध्यम के रूप में तथा आत्मबोध के साधन के रूप में मानी जाती थी। भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था भारतीय सैद्धांतिक ज्ञान का अंतिम परिणाम होना समझा जाता है जो जीवन तथा मूल्यों से सम्बन्धित (अनुरूपी) योजना की भाग थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा के सिद्धान्त के अनुसार, ज्ञानार्जन हेतु मस्तिष्क का प्रशिक्षण तथा चिंतन की प्रक्रिया आवश्यक है। शिक्षार्थियों को मुख्यतः स्वयं को शिक्षित करना तथा अपने मानसिक वृद्धि को प्राप्त करना था। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में तीन सामान्य प्रक्रियाएँ थीं – श्रवण, मनन तथा निध्यासन।

PDF Compressor Free Version



वैदिक काल के दौरान, भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी जिसमें कोई भी अध्ययन के लिए इच्छुक व्यक्ति शिक्षक (गुरु) के घर (आश्रम) जाता था तथा पढ़ाने के लिए निवेदन करता था। यदि गुरु के द्वारा शिक्षार्थी (शिष्य) के रूप में स्वीकारा जाता था तब वह उस स्थान पर रहता था और आश्रम की सभी गतिविधियों में सहायता करता था। यह व्यवस्था शिक्षक तथा शिक्षार्थी (जैसे परिवार के लोगों) के मध्य केवल एक मजबूत सम्बन्ध का ही निर्माण नहीं किया यद्यपि घर या गृहस्थ जीवन यापन हेतु शिक्षार्थियों को प्रत्येक के विषय में पढ़ाता था। गुरु संस्कृत से शास्त्रों तथा गणित से आध्यात्म तक प्रत्येक विधा शिक्षार्थियों को उनकी इच्छा अनुसार प्रदान करना था। शिक्षार्थी अपनी इच्छानुसार गुरुकुल में रह सकता था या गुरु यह समझते थे कि मुझे जो कुछ पढ़ाना था शिक्षार्थी ने प्रत्येक को अभी नहीं सीख सका है। सभी अधिगम, प्रकृति एवं जीवन से जुड़े थे तथा सूचनाओं को याद करने तक सीमित नहीं थे। बौद्ध शिक्षा भी मठों में दी जाती थी। उच्च शिक्षा में प्रवेश बहुत सीमित तथा प्रतियोगितापूर्ण था तथा कुशल शिक्षार्थी ही उच्च शिक्षा के दुर्ग में जा सकता था।

**प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएँ**

1. राज्य तथा समाज का अध्ययन की पाठ्यचर्या या शुल्क भुगतान के नियम या अध्ययन अवधि में कोई हस्तक्षेप नहीं था।
2. यह अनिवार्य तथा पूर्णतः आवासीय था।
3. शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत सम्बन्ध के विकास पर ध्यान दिया जाता था।
4. शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी तथा शिक्षक भोजन तथा वस्त्र समेत शिक्षार्थियों की प्राथमिक आवश्यकताओं का ध्यान रखता था।
5. भारतीय शिक्षा की प्राचीन व्यवस्था श्रम के सम्मान का समर्थन करती थी।
6. प्राचीन भारत में शिक्षा अधिकांशतः संगोष्ठियों के रूप में थी जहाँ शिक्षार्थी विमर्श तथा वाद–विवाद के माध्यम से सीखते थे।

### 5.3.1 शिक्षा की पहुँच

वैदिक काल में, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क थी। प्राचीन भारत में औपचारिक शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध थी। सभी वर्णों तथा जातियों के सदस्य उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र थे परंतु समय बीतने के साथ (उत्तर वैदिक या ब्राह्मण काल) यह हिन्दु समाज के कुछ ही वर्णों तथा जातियों के लिए उपलब्ध थी। यह नई सामाजिक व्यवस्था के उदय के कारण था जहाँ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की अभिवृत्ति के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण होता था। धीरे–धीरे, जीविका वंशानुगत हो गई। समाज के नव आंगतुक सदस्यों का सामाजीकरण परिवार में होता था, आजीविका का प्रशिक्षण परिवार के बड़े सदस्यों का अनुकरण कर कौशलों के अभ्यास द्वारा प्राप्त करने में तथा इस प्रकार वृत्तिक (आजीविका सम्बन्धित) भूमिकाएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती थी। अंततोगत्वा, यह घटना या प्रक्रिया मानकीकृत हो गई तथा जाति व्यवस्था धार्मिक स्वीकृति के अंतर्गत जन्म पर आधारित संकीर्ण स्तरीकरण में सुनिश्चित हो गई। बाद में, उच्च वर्ण तथा जातियाँ यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुमति प्राप्त थी। ब्राह्मणों को शास्त्रों तथा धर्म के अध्ययन की अनुमति थी जबकि क्षत्रियों को युद्ध के विभिन्न पक्षों की शिक्षा दी जाती थी। वैश्य

PDF Compressor Free Version



वाणिज्य तथा अन्य विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते थे जबकि शूद्र पूर्णतः शिक्षा से वंचित थे। शूद्र अर्थात् निम्नतम वर्ग (या कृषक जातियाँ) थीं।

सिन्हा (2010), उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि प्राचीन भारत में, शिक्षा भारतीय समाज के एक बहुत छोटे वर्ग तक ही सीमित थी। परंतु यह इतनी भी सीमित नहीं थी कि सामान्य जन भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित या निषिद्ध किए जाते थे; इसका स्वरूप निम्नलिखित था:

- शिक्षा की विधि मौखिक तथा मनोवैज्ञानिक थी। रूपांतरकारी ज्ञान स्रोत, मौखिक वाचन के रूप में दिए जाते थे;
- शिक्षा या अनुदेश का माध्यम संस्कृत भाषा थी; तथा
- लोग अपनी वंशानुगत/ परंपरागत आजीविका में व्यस्त थे जो परिवार में स्वयं सीखे जाते थे।

प्राचीन भारत में, महिलाओं को शिक्षा तथा शिक्षण का समान अधिकार प्राप्त था। यद्यपि, उनको गृह विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केन्द्र घर था, वे सभी रीतियाँ एवं सांस्कारिक उत्सवों में अपने पतियों के साथ भाग लेती थीं। उनमें से कुछ ने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की तथा वे ब्रह्मावादिनी के रूप में जानी जाती थीं एवं ऋषिका की स्थिति या पद्वी प्राप्त की। कुछ महिलाएँ देवियों के रूप में सम्मानित थीं तथा उन्होंने स्रोतों की रचना भी की। गार्गी, गायत्री या मैत्रेयी जैसी विदूषियाँ शैक्षिक विमर्श तथा परिषद की कार्यवाही में भाग लेने वाली प्रतिष्ठित महिलाएँ थीं। परंतु उत्तर–वैदिक तथा/अथवा ब्राह्मण काल में, वैदिक काल की तरह महिलाओं ने सामाजिक तथा शैक्षिक सुविधाओं का उपयोग नहीं किया यद्यपि उन्हें धार्मिक सम्मेलनों में सहभागिता की अनुमति प्राप्त थी।

बौद्ध तथा जैन व्यवस्था में किसी को जन्म पर आधारित प्रवेश का प्रतिबंध नहीं था क्योंकि इन धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं थी। प्रारंभ में, बौद्ध मठों (अध्ययन केन्द्रों) में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था परंतु बाद में उनको अनुमति प्रदान की गई। इसके बावजूद भी उन्हें कठोर नियमों के अधीन रखा जाता था तथा उनका स्थान महंतों से निम्न था। इसके अतिरिक्त, संघों में महिलाओं का प्रवेश नियम बहुत कठिन था। इन सभी के बावजूद, बौद्ध संघ ने महिलाओं के सांस्कृतिक विकास तथा सामाजिक उत्थान पर ध्यान दिया।

### 5.3.2 पाठ्यचर्या

यह ज्ञात हुआ है कि दोनों व्यवस्था (बौद्ध एवं जैन) अपनी सम्बन्धित आस्थाओं की धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करते थे। राजा तथा राजकुमार राजनीतिशास्त्र (दण्ड नीति), अर्थशास्त्र (वृत्त), दर्शनशास्त्र (अन्विसिकी) तथा ऐतिहासिक परंपराएँ (इतिहास) से सम्बन्धित कला एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते थे। इस तरह, दर्शनशास्त्र, साहित्य, विज्ञान तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में स्थान प्राप्त था। वैदिक काल के दौरान, चार वेद, छः वेदांग (ध्वनिशास्त्र, कर्मकाण्ड, व्याकरण, ज्यामिति एवं खगोलशास्त्र), उपनिषद, छः दर्शन, पुराण (इतिहास), तर्कशास्त्र, औषधि आदि अध्ययन के विषय थे। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के दौरान तीन पिटक, सभी अठारह बौद्ध शैलियों के कार्य, हेतु विद्या, शब्द–विद्या, चिकित्सा विद्या आदि अध्ययन के मुख्य विषय थे। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी जबकि वैदिक व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। अधिकांश शैक्षिक अनुदेश (संप्रेषण) मौखिक तथा वाचन पद्धति में दिए जाते थे तथा लेखन आरंभिक वर्षों में कम अनुप्रयुक्त

PDF Compressor Free Version



था।

वैदिक काल में भारतीय महिलाएँ संगीत तथा नृत्य के साथ गृह व्यवस्था की कलाएँ भी सीखती थीं। उन्हें कताई तथा बुनाई आदि जैसी व्यावहारिक तथा उपयोगी शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार, महिलाओं को "शास्त्रीय" शिक्षा के साथ–साथ व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। बौद्ध काल में, महिलाओं को भी अपने आध्यात्मिक विकास हेतु समुचित अवसर प्राप्त थे।

### 5.3.3 शैक्षिक वित्त

प्राचीन भारत में वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में शिक्षा सभी शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क थी। ब्राह्मण या शिक्षक शुल्क की चिंता किए बिना, शिक्षा देने के अपने कर्त्तव्य निर्वहन के लिए बाध्य थे। वे लोग समाज के लिए त्याग करते थे क्योंकि तब समाज में विद्यादान महान दान के रूप में समझा जाता था। जैसा कि, सभी शिक्षार्थियों के लिए आश्रम या गुरुकुल में रहना अनिवार्य था, शिक्षार्थियों के भोजन तथा निवास सहित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षक द्वारा दी जाती थी। यद्यपि, आश्रम या गुरुकुल, वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था की वृहद संरचना की तरह नहीं थे, गुरुकुल के संचालन हेतु स्थानीय शासकों से प्राप्त आकस्मिक अनुदान था परंतु इसमें अधिकांशतः शिक्षार्थियों के अभिभावकों या समृद्ध लोगों से भूमि, पशुओं, अन्न आदि के रूप में आता था। शिक्षार्थी अपनी शिक्षा की समाप्ति के पश्चात्, गुरुदक्षिणा देते थे जो भौतिक द्रव्य या अन्य रूपों में होता था।

बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ से पूर्व शिक्षक को शुल्क देने की परंपरा सामान्य थी। जो शिक्षार्थी मुद्रा या धन के रूप में शुल्क देने में असमर्थ थे वे शारीरिक श्रम द्वारा इसका भुगतान करते थे। जो किसी भी रूप में शुल्क देने में असमर्थ थे उन्हें धर्मार्थ शिक्षित किया जाता था। वास्तव में, शिक्षार्थियों से शुल्क शिक्षकों के वेतन के लिए नहीं लिया जाता था, बल्कि शिक्षार्थियों के भोजन तथा निवास एवं आश्रम के रखरखाव पर व्यय के लिए लिया जाता था। जिन मेधावी शिक्षार्थियों को अपनी शैक्षिक सहायता के लिए साधन अनुपलब्ध थे उन्हें तत्कालीन सरकार (राज्य या शासक) द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी।

### 5.3.4 शिक्षक

प्राचीन भारतीय शिक्षा गुरु के पर्यवेक्षण में प्रारंभ होती थी, जिसे समाज में भगवान का स्थान प्राप्त था तथा उसे उच्च मर्यादा एवं सम्मान दिया जाता था। "उपनयन" के पश्चात् बच्चे गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्ति हेतु जाने के लिए स्वतंत्र थे। शिक्षार्थियों से गुरु द्वारा निर्धारित आश्रम सम्बन्धित कठिन निर्देशों के अनुकरण तथा नगरों एवं परिवार से दूर आश्रमों या गुरुकुल में रहने की अपेक्षा की जाती थी। यह देखा गया है कि वैदिक/उत्तर वैदिक काल में अधिकांश शिक्षक पुरुष तथा ब्राह्मण थे, क्योंकि उस समय की शिक्षा एवं समाज पर शिक्षित पुरुषों का वर्चस्व था तथा जन्म के आधार पर निर्धारित व्यवसाय के कारण शिक्षण का कार्य मुख्यतः पुरुष ऋषियों/गुरुओं द्वारा किया जाता था। वे ज्ञान तथा आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से समाज में उच्च क्षमता वाले व्यक्ति थे। वे समाज में अपनी सामान्य मर्यादा कायम रखते थे। वे अपने आश्रमों में रहते हुए शिष्यों के समुचित एवं आध्यात्मिक विकास पर सदैव ध्यान रखते थे। वे शिष्यों को अपने पुत्र एवं पुत्री की तरह रखते थे तथा उनके भोजन एवं आवास का प्रबंध करते थे तथा आवश्यकतानुसार सहायता करते थे। इस प्रकार, प्रत्येक उत्तरदायित्व का भार गुरु पर था, जो अपने शिष्यों

PDF Compressor Free Version



की गुणवत्ता के विकास हेतु सदैव प्रयास करते थे कि उनके शिष्य उनसे उच्च या महान हो जाए। यह भी पाया गया है कि विद्यालयों से बाहर उच्च जाति के शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे उनके तथाकथित गुरुकुलों में भी शिक्षण विद्यमान था।

बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में, "उपजस्या" (गुरु) मुख्यतः शिष्य की समुचित शिक्षा एवं संरक्षण हेतु उत्तरदायी होता था। वह शिक्षा के दौरान शिष्य के सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपने कर्त्तव्यों का पाबंद होता था। इस बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षकों की दक्षता पर अधिक बल दिया जाता था। एक शिक्षक के लिए न्यूनतम दस वर्षों का सन्यासी जीवन व्यतीत किया होना अपेक्षित होता था तथा आवश्यक रूप से उसके चरित्र व विचारों में शुद्धता एवं सज्जनता होनी चाहिए थी। उसे एक उच्च मानसिक क्षमता वाला होना चाहिए ताकि वह अपने शिष्यों को धार्मिक तथा शालीनता की शिक्षा दे सके एवं गलत धार्मिक आचरणों या व्यवहारों को सफलतापूर्वक प्रतिषेध भी कर सके।

इस प्रकार, प्राचीन भारत में, शिक्षक तथा शिक्षार्थी में बहुत हार्दिक सम्बन्ध होता था। वे एक–दूसरे के साथ पिता एवं पुत्र/पुत्री के सम्बन्ध में बंधे होते थे। शिक्षक शिष्यों से अपने बच्चों जैसा व्यवहार करते थे तथा उनकी देखभाल करते थे और शिक्षार्थी भी शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे तथा उनके द्वारा दिए गए कार्यों को अच्छी तरह निष्पादित करते थे।

अंत में, एक महत्त्वपूर्ण बात मस्तिष्क में आ रही है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का औचित्य (वैधता) धर्म से ग्रहण किया जाता था। धर्म अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं जैसे राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि को भी औचित्य प्रदान करता था। इसलिए, राजव्यवस्था में परिवर्तन एक लंबे समय तक पूरे प्राचीन ऐतिहासिक काल में शैक्षिक नीति को प्रभावित नहीं किया। जब उपमहाद्वीप का बड़ा भाग मुस्लिम शासकों के आधिपत्य में आया तब बहुत मामूली परिवर्तन संरचनात्मक विस्तार के रूप में हुआ।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 1**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2. "शिक्षा प्राचीन काल में भारतीय समाज के एक बहुत छोटे वर्ग में ही सीमित थी।" इसका क्या अभिप्राय है?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

3. वैदिक काल में शिक्षक–शिक्षार्थी के सम्बन्ध की चर्चा कीजिए।

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

PDF Compressor Free Version



4. प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यचर्या में क्या निर्धारित था?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

## 5.4 मध्यकाल में शिक्षा : संरचनात्मक विस्तार

मध्यकालीन भारत में शिक्षा मुख्य रूप से 1526 ई. के प्रारंभ से 1848 ई. तक मुगल साम्राज्य की समाप्ति के दौरान विकसित हुई। मुगल शासकों ने पुस्तकालयों तथा साहित्यिक समाओं की स्थापना द्वारा नगरीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत में प्राथमिक विद्यालयों (मकतब) को स्थापित किया जिनमें शिक्षार्थी पढ़ना, लिखना तथा मूलभूत इस्लामिक उपासनाओं को सीखते थे तथा इसके बाद की शिक्षा के लिए मदरसों को स्थापित किया जिनमें शिक्षार्थी उच्च भाषा कौशलों (मुख्यतः अरबी तथा फारसी) का अध्ययन करते थे। इन मदरसों का मुख्य उद्देश्य विद्वानों को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करना जो प्रशासनिक सेवाओं के साथ न्यायाधीश के कर्त्तव्य निष्पादन के योग्य हो सकें। शिक्षा सूफी केन्द्रों में भी दी जाती थी। कुछ मौलवी अपने आवास पर निजी विद्यालय चलाते थे तथा कुछ सार्वजनिक स्थलों पर चलाते थे।

इस काल में हिन्दु शिक्षा सामान्यतया मन्दिरों में चलाई जा रही पाठशालाओं में दी जाती थी तथा अनिवार्यतः आवासीय नहीं थे। इस काल में भी शिक्षा स्व–निर्देशित तथा स्व–नियंत्रित विकेन्द्रीकृत संस्थानों में जारी थी। वे पूर्णतः स्वायत्त तथा स्व–प्रबंधित संस्थाएँ थी।

### 5.4.1 उत्तर मध्यकाल में शिक्षा की पहुँच

राज्य के पास पूरी जनता को शिक्षित करने हेतु नीति नहीं थी। उनके सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य होना प्रतीत नहीं होता है। शिक्षा के केन्द्र नगरों तक सीमित थे। निर्धन लोग उच्च शिक्षा अर्जित करने के अवसर को प्राप्त नहीं करते थे। मुस्लिम शिक्षा इस्लाम धर्मानुयायियों के लिए थी। इस तरह, हिन्दुओं को उस शिक्षा के लिए अनुमति नहीं थी। बाद में, सिकन्दर लोधी ने मक़तबों तथा मदरसों के द्वार हिन्दुओं के लिए भी खोल दिए थे। अकबर ने भी मुस्लिम लड़कों के साथ हिन्दुओं को शिक्षा ग्रहण करने का समान अवसर दिया। मुस्लिम शिक्षा ने महिला शिक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यद्यपि, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था थी परंतु यह पर्याप्त नहीं थी। निम्न जातियों की शिक्षा के सम्बन्ध में अंग्रेजों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण प्रदर्शित करते हैं कि शिक्षा का विकास इस तरह हुआ था कि इस काल में भारत के कई भागों में सभी जातियों तक पहुँच सकती थी।

### 5.4.2 पाठ्यचर्या तथा शैक्षिक वित्त

पाठ्यचर्या स्थान के अनुसार परिवर्तित होती थी परंतु वर्णमाला का शिक्षण एवं *कुरान* का वाचन प्रायः अनिवार्य था। शिक्षार्थी *कुरान* के कुछ भाग को सुनकर याद करते थे क्योंकि यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आवश्यक माना जाता था। सुल्तान सिकंदर लोधी ने शिक्षा की इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए। धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त, प्रासंगिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया। भारत में शिक्षा के दायित्त्व को लेने हेतु अरब, ईरान तथा मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया गया। सिकंदर लोधी के समय में प्रारंभ प्रवृत्तियाँ अकबर के शासनकाल में पराकाष्ठा को प्राप्त की। अकबर ने प्राथमिक विद्यालयों की

PDF Compressor Free Version



पाठ्यचर्या में सुधार प्रारंभ किए तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम में *कुरान* अध्ययन के अतिरिक्त तर्कशास्त्र, अंकगणित, रेखागणित, खगोलशास्त्र, कृषि, लक्षणशास्त्र तथा लोक प्रशासन को सम्मिलित किया। संस्कृत अध्ययन में शिक्षार्थी व्याकरण, न्याय, वेदान्त तथा पातंजल का अध्ययन करते थे।

धार्मिक शिक्षा के साथ ग्रीक दर्शन का संबंध होना पाठ्यचर्या की मुख्य विशेषता थी। औषध विज्ञानियों के लिए भिन्न पाठ्यचर्या थी वे अपनी शिक्षा अरबी साहित्य, व्याकरण तथा दर्शन के साथ प्रारंभ करते थे तत्पश्चात् इब्न–ए–सिना की "कानून–फी–अलतिब" तथा "किताब–उल–शिफा" का अध्ययन प्रारंभ करते थे। अकबर के शासनकाल के अंत में अंकक्षकों एवं सचिवों के लिए अलग पाठ्यचर्या का निर्माण होता था।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 2**

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

5. मध्यकालीन भारत में शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

6. मध्यकालीन भारत में पाठ्यचर्या एवं शैक्षिक वित्त के स्रोत की व्याख्या कीजिए।

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

## 5.5 औपनिवेशिक शासन के अधीन शिक्षा

औपनिवेशिक काल, उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित के रूप में स्थापित होने के साथ प्रारंभ हुआ। शिक्षा में ईसाई मिशनरियों की गतिविधि भारतीय शिक्षा पद्धति की संरचनात्मक विस्तार की एक अन्य घटना हुई। आरंभ में, ब्रिटिश शासन ने भारतीय सामाजिक एवं शैक्षिक व्यवस्था को स्पर्श नहीं किया परंतु धीरे–धीरे उन्होंने हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। चार्टर अधिनियम, 1698, का पारित होना इस प्रकार का पहला कार्य था जो शिक्षा से सम्बन्धित था। यह अधिनियम मुख्यतः उन यूरोपियों के बच्चों के लिए विद्यालय खोलने हेतु अधिकार प्रदान करता था जो कंपनी के लिए कार्य कर रहे थे तथा भारत में रह रहे थे। सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मातृभाषा सीखना अनिवार्य था, इसलिए, ब्रिटिश सैनिकों तथा उन यूरोपियों की शिक्षा हेतु मद्रास, कलकत्ता तथा बॉम्बे प्रांतों में मिशनरी द्वारा न्यास विद्यालय खोले गए। बाद में, कंपनी के भारतीय अधिकारियों के बच्चों को भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन विद्यालयों में अनुमति दी गई। यह एक समय था, जब कंपनी कुछ विमर्श एवं विवादों के बीच भारतवासियों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने लगी। एक तरफ, कंपनी के निदेशक भारतीय लोगों को शिक्षित करने के उत्तरदायित्व स्वीकार करने में अनिच्छुक थे दूसरी तरफ कंपनी के अधिकारी इसे स्वीकार करने हेतु उन्हें सहमत करने के लिए उत्तेजित थे, संभवतः यह राजनीतिक कारणों से हो सकता था। इसने भारत में प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी के विवाद को प्रारंभ किया।

कंपनी का एक निदेशक चार्ल्स ग्रान्ट भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ करने के लिए ब्रिटिश सरकार को अनुरोध करते हुए सन् 1792 में एक पुस्तक लिखी। सन् 1793 में विल्बफोर्स

PDF Compressor Free Version



सरकार से कहते हुए ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव लाया गया कि ब्रिटेन से मिशनरियों तथा विद्यालय शिक्षकों को भेजकर भारतीयों को उनके धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाए। परिणामस्वरूप सन् 1793 में, ब्रिटिश संसद के निम्न सदन ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा उच्च अध्ययन के कई नए शैक्षिक संस्थान हिन्दु तथा मुस्लिम दोनों के लिए खोले गए। इस तरह भारत में, राज्य/सरकारी शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हुई, परंतु आगे इसने प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी का विवाद प्रारंभ किया, कारण यह था कि यह प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया गया परंतु कंपनी ने विद्यालय स्तर पर शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया।

### 5.5.1 प्राच्यवादी नीति

प्राच्यवादी, शास्त्रीयवादी भी कहे जाते हैं, जो भारतीय शिक्षा को भारतीय भाषा संस्कृत, अरबी तथा फारसी के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहते थे। प्रारंभ में कंपनी इसे करने की इच्छुक नहीं थी परंतु तात्कालिक समय की राजनीतिक–आर्थिक विवशताएँ एक अस्वदेशी शिक्षा पद्धति की नीति को अपनाने के लिए शासकों को विवश किया। उन्होंने सन् 1781 में कलकत्ता में मदरसे स्थापित किए, जो औपनिवेशिक शासन के अधीन भारत के शैक्षिक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। यह आधुनिक शिक्षा पद्धति के विकास में पहला कदम था जिसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को विस्थापित किया और अंग्रेजों के आगमन तथा आर्थिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था पर उनके प्रभाव के विस्तार के साथ शीघ्रता से अपना महत्व खो दिया था। बाद में, उन्होंने सन् 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता में सन् 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज तथा मद्रास में 1818 में सेंट जॉर्ज कालेज प्रारंभ किए। यद्यपि, कुछ संस्कृत एवं फारसी उच्च अध्ययन केन्द्रों को प्रारंभ करने तथा अपने राजनीतिक हित में मिशनरियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के अतिरिक्त, कंपनी ने विद्यालय स्तर पर भारत के सामान्य लोगों की शिक्षा पर कोई धन व्यय नहीं किया। इस तरह, डब्ल्यू. एच. शार्प जैसे लोगों के अनुदान के विरोध ने कंपनी को इसकी जाँच–पड़ताल के लिए विवश किया। परिणामतः, चार्टर अधिनियम, 1813, के उपबंध 43 के अंतर्गत भारत में शिक्षा पर व्यय के लिए कंपनी के लिए एक लाख रुपये की एक अन्य राशि निश्चित की गई। यह उपबंध सन् 1823 में क्रियान्वित किया गया जब इसे सामान्य समिति ने अनुशंसित किया जिसमें अधिकांश सदस्य प्राच्यवादी थे।

### 5.5.2 पाश्चात्यवादी नीति

पाश्चात्यवादी पश्चिमवासी भी कहे जाते हैं। कंपनी ने समझा कि हिन्दुओं में आस्था तथा नैतिकता की अच्छी पद्धति है, तथा उनके धर्मांतरण का प्रयास करना अथवा उन्हें क्रिश्चियनीटी में शिक्षा देना खतरनाक होगा। कंपनी धार्मिक तटस्थता के सिद्धान्तों का अनुकरण करना चाहती थी तथा शिक्षा के माध्यम से क्रिश्चियनीटी को प्रोत्साहित एवं प्रचारित करने से इंकार करना चाहती थी। परंतु उस समय से बुद्धिजीवी वर्ग यह विश्वास करने लगे कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के समकालीन चरण में अपने पिछड़ापन को दूर करने के क्रम में उनके लिए अंग्रेजी तथा पाश्चात्य विज्ञान को सीखना आवश्यकता था। चार्टर अधिनियम, 1813, के उपबंध 43 की अस्पष्टता भारत में प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी शिक्षा के विवाद को भी गहरा किया।

इस हिंसक विवाद के समय, लार्ड टी.बी. मैकाले (1800–1859) गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद का विधि सदस्य बना। सरकार ने चार्टर अधिनियम, 1813, के उपबंध 43 के क्रियान्वयन पर लार्ड मैकाले को परामर्श देने के लिए कहा। लार्ड मैकाले ने दोनों दलों के तर्कों को सुना तथा प्राच्यवादियों की स्थिति को अस्वीकार कर दिया। अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट में, उसने भारतीय क्षेत्राधिकार में अंग्रेजी शिक्षा के कारणों का समर्थन किया। लार्ड

PDF Compressor Free Version



मैकाले के अनुसार, शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य लोगों के एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था जो औपनिवेशिक सरकार में अधीनस्थ पद ग्रहण कर सकते थे तथा देशवासियों को प्रशासन में सहायता कर सकते थे। लार्ड मैकाले ने सोचा कि लोगों के एक वर्ग का निर्माण करना जो रक्त तथा वर्ण में भारतीय हों परंतु स्वाद, विचार, नैतिकता एवं मानसिकता में अंग्रेज हों, यह अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से संभव होगा। उसने भारतीयों को शिक्षित करने का विरोध किया क्योंकि यह शिक्षा बुद्धिजीवियों के पाश्चात्यीकरण के लिए होगी जो बदले में बाद में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यह उपागम "अधोगामी निस्पंदन सिद्धान्त" (Downward Filteration Theory) कहा जाता है। लार्ड मैकाले ने सन् 1835 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बैन्टिक को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे लार्ड बैन्टिक ने तत्क्षण स्वीकार किया। कंपनी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार हेतु एक लाख रुपए की राशि व्यय करने का निर्णय लिया।

**औपनिवेशिक शिक्षा की विशेषताएँ**

राजा (2010) के अनुसार, औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं :

- इस व्यवस्था ने मात्रात्मक रूप से जनसंख्या के केवल एक छोटे वर्ग को सम्मिलित किया जैसे बुद्धिजीवी वर्ग।
- औपनिवेशिक भारत में शिक्षा सामाजिक–आर्थिक विकास की बजाए कम्पनी प्रशासन की आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी लोगों के लिए की गई।
- बहुस्तरीय शिक्षा व्यवस्था आधार पर समकोण के साथ उच्च पिरामिड थी। विद्यालय में उच्च शिक्षा की संक्रमण दर विशेषतः निम्न थी।
- औपनिवेशिक भारत में शिक्षा, विशेषतः उच्च स्तर पर, पोत्ताशय नगरों में तथा इसके परितः केन्द्रित थी।
- औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का सामाजिक–आर्थिक आधार बहुत ही निम्न था।
- शिक्षक–शिक्षार्थी सम्बन्ध इस धारणा पर आधारित था कि ज्ञान आवश्यक रूप से "प्राप्त" किया जाता है तथा दैनिक सत्य का सहृदतयापूर्वक स्वीकारोक्ति शिक्षण की बहुत प्रभावी विधि थी।
- औपनिवेशिक भारत में शैक्षिक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता की ताकतों को कमजोर करने के प्रति प्रवृत्त थी।
- शिक्षा का बल विशेषतः मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म के विस्तार पर था।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 3**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

7. प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी विवाद के कारणों की व्याख्या कीजिए।

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

PDF Compressor Free Version



8. "अधोगामी निस्पंदन सिद्धान्त" की व्याख्या कीजिए।

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

## 5.6 साम्राज्यवादी शासन के अधीन शिक्षा

यह एक नीति थी कि कंपनी को शिक्षा के विषय में प्रत्येक बीस वर्षों के पश्चात् ब्रिटिश संसद से आदेश लेना पड़ता था। परिणामत: सन् 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833, में नवीनीकृत हुआ। सन् 1813–1833 का समय भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विमर्श, विवाद तथा प्रयोगों का दौर रहा। चार्टर अधिनियम, 1853, के दौरान, कंपनी के निदेशक ने भारत के शैक्षिक मामलों के लिए एक निश्चित नीति के निर्माण के लिए सोचा। इस प्रकार, सन् 1854 में, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में भारत में शैक्षिक प्रगति का सर्वेक्षण तथा आगे सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक संसदीय समिति गठित हुई। यह रिपोर्ट, "वुड घोषणापत्र" के नाम से लोकप्रिय हुई, तथा इसने कंपनी की नीतियों का समर्थन किया और मातृभाषा के विकास एवं उपयोग पर भी बल दिया। चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा के सरकारी दायित्वों को स्वीकार किया। वह चाहता था कि कंपनी प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर केन्द्रित एक शिक्षा व्यवस्था को विकसित करे। उसने स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहित करना चाहा। यद्यपि यह नीति का व्यापक पुनरीक्षण था परंतु राजनीतिक परिवर्तनों के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी जो कंपनी में इसके सौंपने के तुरंत बाद ही हो गया।

### 5.6.1 प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन शिक्षा

सन् 1857 में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के पश्चात कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारतीय क्षेत्राधिकार प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इसी वर्ष के दौरान, भारत सरकार (ब्रिटिश संसद) ने कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास में विश्वविद्यालय प्रारंभ किए। ये विश्वविद्यालय केवल परीक्षा निकायों के रूप में कार्य करते थे तथा समुचित शिक्षण उपलब्ध नहीं था। शिक्षार्थी निजी शिक्षक के अधीन स्वयं के अध्ययन या संबद्ध निजी शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन के माध्यम से परीक्षाओं में सम्मिलित होते थे।

प्राथमिक शिक्षा सन् 1882 तक हानि में रही, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग के रूप में लोकप्रिय) चार्ल्स वुड के घोषणापत्र के क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए तथा प्रत्येक प्रांत में प्रांत प्रायोजित शिक्षा की स्थिति के परीक्षण के लिए नियुक्त हुआ तथा इसके लिए सरकारी निधि की समुचित योगदान की अनुशंसा की। सन् 1884 में, आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की गई। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन इस समय पारित स्थानीय स्वशासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया गया। सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता–अनुदान का विकास किया। यद्यपि, निजी कौशलों तथा माध्यमिक विद्यालयों की प्रमुखता थी जो निजी प्रबंधन के अंतर्गत मुख्य रूप से शुल्क के आधार पर चल रहे थे। इस प्रकार, जब औपनिवेशिक सरकार कागज पर प्राथमिक शिक्षा का सरोकार प्रदर्शित कर रही थी, निजी विद्यालयों तथा कॉलेजों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई। भारतीय विद्यालय बंद

PDF Compressor Free Version



तथा विलुप्त हो गए क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित लोगों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाती थी।

### 5.6.2 शिक्षा का विकास – 1902 से 1921

लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत का गवर्नर–जनरल नियुक्त हुआ। उसके सात वर्षों के कार्यकाल में, अन्य मुद्दों के अलावा भारतीय शिक्षा के सुधार के प्रति ध्यान दिया। भारत में यह समय सामाजिक सुधार का भी था, जहाँ भारतीय समाज सुधारक "राष्ट्रीय शिक्षा" की माँग कर रहे थे। इस प्रकार भारतीय शिक्षा के सुधार की दृष्टि से, लार्ड कर्जन ने सन् 1901 में शिमला में स्वयं की अध्यक्षता में एक गोपनीय शिक्षा सम्मेलन को आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारत के प्रत्येक प्रांतों से शिक्षा निदेशकों तथा क्रिश्चियन मिशनरियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। यह सम्मेलन पंद्रह दिनों तक जारी रहा तथा प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ कर विश्वविद्यालय तक भारतीय शिक्षा के प्रत्येक पक्ष पर विमर्श किया गया।

शिमला सम्मेलन में की गई अनुशंसाओं के अनुरूप, लॉर्ड कर्जन ने सन् 1902 में "भारतीय विश्वविद्यालय आयोग" नियुक्त किया। आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में भ्रमण किया तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सुझावों की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। यद्यपि, आयोग की अनुशंसाओं का स्वागत देश के द्वारा नहीं किया गया तथा भारतीय उसका विरोध कर रहे थे परंतु लॉर्ड कर्जन ने प्रांत की शिक्षा नीति के ढाँचा के लिए 11 मार्च, 1904 को एक शिक्षा अधिनियम का प्रस्ताव रखा। बाद में यह अधिनियम कानून बन गया। इस कानून के माध्यम से, भारतीय विश्वविद्यालयों को शिक्षण के अधिकार के साथ परीक्षाओं के संचालन का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार, पहली बार, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान बने। सभी संबद्ध महाविद्यालय सामाजिक निरीक्षण के विषयाधीन थे। माध्यमिक स्तर पर सभी अनुदानित तथा अनानुदानित विद्यालयों को शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय जिसके लिए विद्यालय अपने शिक्षार्थियों को मैट्रिक परीक्षा हेतु भेजते थे दोनों से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक था। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को उच्च वरीयता दी जाती थी तथा व्यावसायिक संस्थान भी प्रारंभ हुए।

लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाने का समर्थन किया। उसने इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए इसके विस्तार पर बल दिया जिसे प्रांतों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की विशाल संख्या की आवश्यकता पर बल दिया। यद्यपि, लॉर्ड कर्जन की नीति का भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रभाव था, फिर भी प्राथमिक शिक्षा का विस्तार संतुष्टि से दूर था। उसी समय, राष्ट्रवाद का विकास प्रारंभ हो रहा था। यह विकास अधिक उत्तरदायी था तथा भारतीयों की सहभागिता हेतु सरकार के लिए दबाव बनाया जा रहा था तथा यह शिक्षा को राष्ट्रीय अपेक्षाओं के लिए उत्तरदायी होने की माँग कर रहा था।

गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्च, 1910 में सरकार के समक्ष एक बिल प्रस्तुत किया। बिल के प्रस्तावों के अनुसार, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए प्रारंभ की गई। शिक्षा विभाग का निर्माण बिल को स्वीकार किए बिना भारत सरकार के अधीन हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार में धीमे विकास को देखते हुए, पुनः गोखले ने 16 मार्च, 1911 को ऐतिहासिक महत्व का अपना निजी बिल प्रस्तुत किया। सरकार ने पुनः बिल को अस्वीकार किया परंतु बिल में उद्धृत सिद्धान्तों को आंशिक रूप से स्वीकार किया। प्रारंभिक शिक्षा को ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में सन् 1912 से निःशुल्क किया गया। इस

PDF Compressor Free Version



दिशा में दूसरा कदम यह था कि भारत सरकार ने सन् 1913 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार की कुछ महत्त्वपूर्ण अनुशंसाएँ निम्नलिखित थीं:

- ग्रामीण और नगरीय विद्यालयों के लिए अलग पाठ्यचर्या;
- शिक्षकों की नियुक्ति उसी वर्ग/जाति से होगी जिससे शिक्षार्थी आते हैं;
- विश्वविद्यालय शिक्षा का विस्तार।

यह प्रस्ताव भारत में उच्च शिक्षा के इतिहास में एक निर्णायक बिन्दु प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव ने विभिन्न प्रांतों में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधार प्रदान किया। बाद में, सन् 1917 में, भारत सरकार ने डॉ. मैकेल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्त किया। इसलिए, यह आयोग सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग का उद्देश्य था: कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति एवं भविष्य की जाँच करना तथा इसके प्रश्नों की प्रस्तुति के सम्बन्ध में रचनावादी नीति के प्रश्न पर विचार करना।

माध्यमिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए आधार निर्माण करती है का संपूर्ण रूप से सर्वेक्षण तथा परीक्षण किया गया। यह आयोग भारत में माध्यमिक, कॉलेजिएट तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत महत्त्वपूर्ण तथा रचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने सन् 1921 में, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए परामर्श एवं सुझाव देने के लिए केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड (CABE) की स्थापना की जो हार्टाग समिति की अनुशंसा पर सन् 1935 में पुनर्संगठित किया गया।

तालिका 1: 1901–02 तथा 1921–22 के मध्य शिक्षा की प्रगति

| संस्था के प्रकार | संस्थानों की संख्या (1901–02) | संस्थानों की संख्या (1921–22) | शिक्षार्थियों की संख्या (1901–02) | शिक्षार्थियों की संख्या (1921–22) |
|---|---|---|---|---|
| विश्वविद्यालय | 5 | 10 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| कला महाविद्यालय | 145 | 165 | 17,651 | 45,418 |
| व्यावसायिक महाविद्यालय | 46 | 64 | 5,358 | 13,662 |
| माध्यमिक विद्यालय | 5,493 | 7,530 | 6,22,768 | 11,06,803 |
| प्राथमिक विद्यालय | 97,8544 | 1,55,017 | 32,04,336 | 61,09,752 |
| विशेष विद्यालय | 1,084 | 3,344 | 36,380 | 1,20,925 |
| गैर–मान्यता प्राप्त संस्थान | 43,081 | 16,322 | 6,35,407 | 4,22,165 |
| कुल | 1,47,708 | 1,82,452 | 45,21,900 | 78,18,725 |

[स्रोत: नूरुल्लाह एवं नाईक, 1951, (इग्नू, 2000)]

PDF Compressor Free Version



उपर्युक्त प्रदर्शित तालिका से, यह देखा जा सकता है कि सभी स्तरों पर सरकार समर्थित तथा सरकार द्वारा मान्य संस्थाओं का विस्तार वृहद पैमाने पर था। उच्च शिक्षा में शिक्षार्थियों का नामांकन दुगुना था तथा यह लगभग माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा में भी दुगुना था। गैर–मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या में गिरावट आई। परंतु प्राथमिक शिक्षा का विस्तार अपेक्षाओं से दूर था। प्राथमिक शिक्षा के प्रभावकता का सूचक साक्षरता भी 1901 से 1921 के दौरान निराशाजनक वृद्धि प्रदर्शित किया।

### 5.6.3 द्वैध शासन के अधीन शिक्षा का विकास – 1921–1937

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्, भारत के लोगों ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर बल दिया। इस प्रकार मोन्टेग्यू–चेल्मस्फोर्ड रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने "भारत सरकार अधिनियम, 1919" पारित किया जिसे सन् 1921 में प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैधशासन प्रारंभ किया जिसमें प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। कुछ विषय गवर्नर तथा कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रशासित होने के लिए आरक्षित थे जबकि अन्य विषय पार्षदों तथा मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए गए थे। ये मंत्री लोगों के प्रतिनिधि थे तथा प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी थे। शिक्षा को लोगों के प्रतिनिधियों को हस्तांतरित कर दिया गया परंतु शिक्षा में सुधार करना कठिन हो गया क्योंकि वित्त एक आरक्षित विषय था जो गवर्नर के अधीन था। भारतीय शैक्षिक सेवाओं के अधिकारी जो भारत के प्रांतीय सचिवों के नियंत्रणाधीन थे मंत्रियों के अनुदेशों का पालन हर्षपूर्वक नहीं करते थे। इस परिस्थिति ने पर्याप्त राशि तथा सहायता के अभाव में शिक्षा के विस्तार एवं विकास के लिए समस्या उत्पन्न की।

कांग्रेस शासन के अधीन विभिन्न प्रांतों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किए। ये अधिनियम सन् 1923 में बॉम्बे में, सन् 1926 में असम में तथा सन् 1930 में बंगाल में पारित हुए। इन प्रयासों ने प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर लाभप्रद प्रभाव डाले। सन् 1937 तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 167 नगरीय क्षेत्रों में तथा 3,034 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ की जा चुकी थी। माध्यमिक शिक्षा ने भी इस समय अच्छी तरह से प्रगति की। निजी माध्यमिक विद्यालय न केवल नगरीय क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रारंभ किए गए। सन् 1937 में, 13,056 विद्यालय अस्तित्व में आ चुके थे जबकि सन् 1921 में इनकी संख्या केवल 7,530 थी। इसके बाद भी शिक्षा व्यवस्था में स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। हार्टोग समिति ने भी यह दृष्टिकोण रखा कि प्राथमिक शिक्षा में विस्तार के बाद भी साक्षरता में वृद्धि के अनुरूप परिणाम नहीं दिया कारणस्वरूप कक्षा I में नामांकित बहुत से बच्चे कक्षा VI में पहुँचने से पहले विद्यालय छोड़ देते थे।

यह अपव्यय लड़कियों की संख्या के विषय में और अधिक गंभीर थी।

माध्यमिक स्तर पर, शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी, उनके प्रशिक्षण तथा स्तर में सुधार था। परंतु, विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षार्थियों की तैयारी के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य कम हो गए थे। इसलिए, केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड (CABE) ने सुझाव दिया कि उदार कला की शिक्षा के साथ तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए ताकि शिक्षार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात् व्यवसाय या उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं।

अंततः, इस काल के महत्त्वपूर्ण विकासों में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम आधुनिक भारतीय भाषाओं का उपयोग था। परंतु, इस दिशा में यह बाधा थी कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी था तथा माध्यमिक शिक्षा मात्र विश्वविद्यालय के एक भाग में थी तथा यह शिक्षार्थियों के मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयार करने का कार्य करती थी।

PDF Compressor Free Version



तालिका 2: 1921–22 तथा 1936–37 के मध्य शिक्षा की प्रगति

| संस्था के प्रकार | संस्थानों की संख्या (1921–22) | संस्थानों की संख्या (1936–37) | शिक्षार्थियों की संख्या (1921–22) | शिक्षार्थियों की संख्या (1936–37) |
|---|---|---|---|---|
| विश्वविद्यालय | 10 | 15 | उपलब्ध नहीं | 9,697 |
| कला महाविद्यालय | 165 | 271 | 45,418 | 86,273 |
| व्यावसायिक महाविद्यालय | 64 | 75 | 13,662 | 20,645 |
| माध्यमिक विद्यालय | 7,530 | 13,056 | 11,06,803 | 22,87,872 |
| प्राथमिक विद्यालय | 1,55,017 | 1,92,244 | 61,09,752 | 102,24,288 |
| विशेष विद्यालय | 3,344 | 5,647 | 1,20,925 | 2,59,269 |
| गैर–मान्यता प्राप्त संस्थान | 16,322 | 16,647 | 4,22,165 | 5,01,530 |
| कुल | **1,82,452** | **2,27,955** | **78,18,725** | **1,33,69,574** |

[स्रोतः नूरूल्लाह एवं नाईक, 1951, (इग्नू, 2000)]

### 5.6.4 प्रांतीय स्वशासन के अधीन शिक्षा (1936–37 से 1946–47)

यह दशक औपनिवेशिक शासन का अंतिम दशक था। राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने द्वैधशासन को समाप्त किया तथा प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता प्रदान की। इस काल में संरचनात्मक बाधाएँ एवं शैक्षिक वित्त में कठिनाईयाँ कम हुई। प्रारंभ में, प्रांतीय स्वायत्तता के अधीन शिक्षा की उन्नति से सम्बन्धित बड़ी अपेक्षाएँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् भारत सरकार का ध्यान विभिन्न चरणों में भारतीयों के विकास की योजना की तरफ आकृष्ट हुआ। इन आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से, युद्धोत्तर काल में भारतीय शिक्षा के विकास हेतु घोषणापत्र बनाने के लिए कार्यकारी परिषद के अधिकारियों की पुनर्संरचना समिति ने सर जॉन सार्जेन्ट को शिक्षा समिति में सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया। सन् 1944 में, सर जॉन सार्जेन्ट ने केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड (CABE) के समक्ष घोषणापत्र प्रस्तुत किया तथा इसे बोर्ड ने स्वीकार किया तथा इसके लागू करने के लिए अनुशंसा की। शिक्षा की यह योजना "सार्जेन्ट शिक्षा योजना" के नाम से लोकप्रिय है। संभवतः वह पहली रिपोर्ट थी, जिसने भारत में शिक्षा की इस तरह की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की।

अंततः, इस काल के दौरान उच्च शिक्षा का महत्त्वपूर्ण विस्तार हुआ। परंतु माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की गति सुस्त थी। नूरूल्लाह एवं नाईक, 1951 ने इस स्थिति की यह कहते हुए व्याख्या की कि इस समय तक माध्यमिक शिक्षा चयनात्मक हो गई थी तथा चयन का आधार बौद्धिक नहीं बल्कि आर्थिक था। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार भी इस समय में हुआ। भारत में सन् 1945–46 में 1,67,700 प्राथमिक विद्यालय थे जो सन् 1936–37 में 1,92,244 की तुलना में कम थे तथा शिक्षार्थियों की संख्या में सन् 1936–37 में 10.22 लाख से सन् 1945–46 में 13.3 लाख की नगण्य वृद्धि थी। दूसरे शब्दों में, विद्यालयों में अधिक भीड़ होने लगी।

PDF Compressor Free Version



### 5.6.5 बुनियादी शिक्षा की उत्पत्ति एवं विकास

बुनियादी शिक्षा (नई तालीम) की उत्पत्ति "*हरिजन*" में महात्मा गाँधी के लेख से पता लगाई जा सकती है। उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण इस पत्र के माध्यम से व्यक्त किया था। बाद में, उनके इस लेख ने "बुनियादी शिक्षा नीति" के आधार का निर्माण किया। इस शिक्षा नीति के माध्यम से, महात्मा गाँधी देश की सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। उनके लेख ने देश के शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने इन पंक्तियों पर सोचना प्रारंभ किया। इस प्रकार, एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में 22–23 अक्तूबर 1937 को वर्धा में आयोजित किया गया जिसमें प्रमुख शिक्षाविदों, राष्ट्रीय नेताओं, समाज सुधारकों तथा शिक्षा के प्रांतीय मंत्रियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन वर्धा शिक्षा सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, शिल्प आधारित शिक्षा, तथा स्वयं–सहायता हेतु शिक्षा को महत्त्व प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। बाद में, प्रस्ताव द्वारा अनुशंसित पंक्तियों पर डॉ. ज़ाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बुनियादी शिक्षा की योजना निर्धारण करने के लिए एक समिति गठित हुई।

डॉ. ज़ाकिर हुसैन समिति ने दो रिपोर्ट सौंपी – पहली दिसम्बर, 1937 तथा दूसरी अप्रैल, 1938 में। पहली रिपोर्ट में वर्धा शिक्षा योजना के मौलिक सिद्धान्तों, इसके लक्ष्य, शिक्षक तथा उनके प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण तथा अन्य महत्त्वपूर्ण हस्तशिल्पों जैसे कताई तथा बुनाई आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। दूसरी रिपोर्ट कृषि, धातु कार्य, काष्ठ कार्य तथा अन्य मौलिक हस्तशिल्पों का वर्णन करती है। इन सभी विषयों के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या को प्रस्तुत करने तथा उनके सहसम्बन्ध अन्य विषयों के साथ स्थापित करने के मार्ग तथा साधन के सुझाव का एक प्रयास किया गया था।

### 5.6.6 अधीनस्थ सामाजिक व्यवस्था के रूप में शिक्षा

यह सर्वविदित है कि शिक्षा समाज की एक उपव्यवस्था है तथा यह एक स्वतंत्र चर नहीं है। दीर्घ अवधि से शिक्षा के क्षेत्र में विकास की आवश्यकता को ग्रहण करने के क्रम में, एक समाज विशेष में शिक्षा की भूमिका की समझ का होना आवश्यक है। एक समाज में, शिक्षा की मुख्य भूमिका इसकी संरचना को कायम रखनी होती है जबकि एक नियंत्रित तरीके से सांस्कृतिक पक्षों में परिवर्तन की अनुमति देना है। किसी समाज विशेष में यह दो कार्यों का निष्पादन करती है, नई पीढ़ी का समाजीकरण करना तथा स्वयं व्यवस्था द्वारा आंशिक नियंत्रित चयन के माध्यम से या चयनित सदस्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर तथा अन्य सामाजिक उपव्यवस्था द्वारा व्यावसायिक भूमिकाओं को प्रदान कर वयस्कों की भूमिकाओं की तैयारी करना है।

भारत में, भारत की देशीय व्यवस्था का अंत शिक्षा का अन्य महत्त्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अधीनस्थ भूमिका का एक उदाहरण है। ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की देशीय शिक्षा व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के अधीन गतिमान थी तथा यह अपने कार्य में बहुत विकेन्द्रीकृत तथा स्वायत्त थी। यह सांस्कृतिक मानकों तथा विशिष्ट स्थानीय संदर्भों में पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तांतरित आंतरिक मूल्यों द्वारा नियंत्रित थी। वास्तव में, यह सामाजिक संरचना के परिवर्तित शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित हुई थी। परंतु जब यह धर्म का समर्थन खो दिया तब इसके सामाजिक कार्य के रूप में शैक्षिक प्रयास अप्रासंगिक हो गए।

PDF Compressor Free Version



**अपनी प्रगति की जाँच करें – 4**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

9. द्वैध शासन के अधीन शिक्षा की समस्याओं की व्याख्या कीजिए।

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

10. भारत में बुनियादी शिक्षा की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या कीजिए।

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

11. यह क्यों कहा जाता है कि शिक्षा एक अधीनस्थ सामाजिक व्यवस्था है?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

## 5.7 सारांश

उपर्युक्त विचार–विमर्श से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि शिक्षा एक अनवरत तथा अंतहीन प्रक्रिया रही, फिर भी, समय के परिवर्तन के अनुसार इसने अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को परिवर्तित किया। ये परिवर्तन केवल शैक्षिक ही नहीं थे बल्कि ये सदैव परिवर्तनशील सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक कारकों से प्रभावित थे। शिक्षा के लक्ष्य "मोक्ष" से आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक विकास से व्यक्ति विशेष तक, धर्म से संरचना एवं प्रक्रियाओं के रूप में परिवर्तित हुए तथा यह शिक्षा के विविध एवं विषम रूपों का परिणाम बने।

हमारा वर्णन भी संकेत करता है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था की सहायता आवश्यक हो गई जब एक नया शासन (ब्रिटिश) धर्म के औचित्य को नहीं स्वीकार करने तथा अपने शासन को मजबूत करने का प्रयास किया। हमने यह भी वर्णन किया कि प्राचीन, मध्य तथा अधिकांश ब्रिटिश काल में शिक्षा में संसाधन कैसे प्राप्त होते थे। यह भी देखा गया कि स्थानीय समुदाय, संपन्न व्यक्तियों द्वारा दान तथा शासकों या सम्राटों द्वारा अनुदान शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण संसाधन थे। हमने प्राचीन काल में शिक्षा की भूमिका एवं कार्यों का भी वर्णन किया है। अंग्रेजी शिक्षा का आगमन ने परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार, अंत में, हम यह कह सकते हैं कि हमने शिक्षा के विकास के लिए मिश्रित दृष्टिकोण को अपनाया एवं भारत में शिक्षा की एक व्यवस्था समाप्त हुई तथा शिक्षा की एक नई व्यवस्था विकसित हुई।

PDF Compressor Free Version



## 5.8 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन


इग्नू (2000). *इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स डेवेलपमेंट,* खंड 3, दिल्ली, यंग प्रिंटिंग प्रेस।

कुमार, वी. शशी (2011). दि इंडियन एजुकेशन इन इंडिया, वेबसाइट www.gnu/org/education/edu-system-india.en.html से 10 नवम्बर 2015 को लिया गया।

माहेश्वरी, वी. के. (2012). एजुकेशन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड इन इंडिया, वेबसाइट www.vkmaheshwari.com/WP/?=512 से 12 नवम्बर 2015 को लिया गया।

नरूला, सैयद एवं नाइक, जे.पी. (1951). *ए हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया: ड्यूरिंग दि ब्रिटिश पीरियड,* दि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन: मैकमिलन।

राय, बी.सी. (1985), *हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन,* आगरा: राम प्रकाश एंड सन्स।

रावत, पी. एल. (1963), *हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन (एंसिएंट टू माडर्न),* आगरा: राम प्रकाश एंड सन्स।

रज़ा, मुनिस, (1985). *एजुकेशन इन इंडिया (1781–1985), पालिसिज, प्लानिंग एंड इंप्लीमेन्टेशन,* कुलदीप कौर द्वारा।

सिंहा, लता (2010), एजुकेशन इन इंडिया एनीसेंट टू माडर्न, वेबसाइट www.latasinha.wordpress.com/2010/06/20/ancient-and-modern-education-system-in-india/ से 12 नवम्बर 2015 को लिया गया।

**संदर्भित वेबसाइट**

वेबसाइट www.academia.ed/1747225/history-of-education-in-india से 13 नवम्बर 2015 को लिया गया।

वेबसाइट www.indiatva.com/ancient-education-system-in-india से 13 नवम्बर 2015 को लिया गया।

वेबसाइट https://itihas.wordpress.com/2013/08/28/ancient-indian-education-system-from-the-beginning-to-10th-c-a-d/ से 14 नवम्बर 2015 को लिया गया।

वेबसाइट https://en.m.wikipedia.org से 14 नवम्बर 2015 को लिया गया।

वेबसाइट www.en.wikipedia.org/wiki/history-of-education-in-the-indian-subcontinent-early-history से 12 नवम्बर 2015 को लिया गया।


## 5.9 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

1. मुख्यतः आवासीय, निःशुल्क शिक्षा, राज्य का हस्तक्षेप नहीं, गुरु का स्थान समाज में श्रेष्ठ, धार्मिक शिक्षा पर केन्द्रित।
2. शिक्षा उच्च जातियों के बच्चों तक सीमित थी।
3. शिक्षक शिक्षार्थियों के सभी उत्तरदायित्वों को लेता था तथा उनकी आवश्यकता को पूर्ण करता था; शिक्षार्थी–शिक्षक की आज्ञापालन अनुशासनपूर्वक करते थे।

PDF Compressor Free Version



4. मान्यताओं के अनुसार धार्मिक शिक्षा, दर्शन, साहित्य, विज्ञान तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में अपना स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिलाएँ वैदिक काल में, संगीत तथा नृत्य के साथ गृहविज्ञान की कलाओं का भी अध्ययन करती थी।

5. शिक्षा मक़तबों तथा मदरसों के माध्यम से दी जाती थी; धार्मिक शिक्षा पर महत्त्व दिया जाता था; मक़तब में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी; राज्य का हस्तक्षेप नहीं था; अरबी तथा फारसी भाषा को महत्त्व दिया जाता था; हिन्दु विद्यालयों को पाठशाला कहा जाता था।

6. पाठ्यचर्या स्थान के अनुसार बदलती रहती थी: तर्कशास्त्र, अंकगणित, रेखागणित, खगोलशास्त्र, कृषि, लक्षणशास्त्र तथा लोक प्रशासन पाठ्यचर्या के भाग थे। संस्कृत अध्ययन में शिक्षार्थी व्याकरण, न्याय, वेदांत तथा पातजंल का अध्ययन करते थे। अधिकांश मक़तबों को अनुदान तथा "जागीर" भूमि के रूप में अथवा सहायता संपन्न व्यक्तियों से दान के रूप में मिलती थी।

7. प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादी के मध्य मुख्य मतभेद का कारण शिक्षा का माध्यम तथा ब्रिटिश सरकार से प्राप्त अनुदान आदि था।

8. लॉर्ड मैकाले भारतीय लोगों को शिक्षित करने के समर्थन में नहीं था। बल्कि वह उच्च वर्ग एवं जाति के मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित करना चाहता था जो आगे अन्य लोगों को पढ़ाएँ।

9. स्व–अभ्यास।

10. स्व–अभ्यास।

11. एक समाज में, शिक्षा की भूमिका इसकी संरचना को कायम रखना है जबकि एक नियंत्रित तरीके से सांस्कृतिक पक्षों में परिवर्तन को होने देना है। यह नई पीढ़ी को समाजीकृत करती है तथा समाज में अन्य सामाजिक उपव्यवस्थाओं द्वारा चयनित सदस्यों के व्यावसायिक भूमिका हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करती है।

PDF Compressor Free Version

# इकाई 6 विद्यालयी शिक्षा का विकास—1947 से 1964

**संरचना**


6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षा की स्थिति

6.4 बुनियादी शिक्षा : भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास की रिपोर्ट (सार्जेन्ट योजना)

6.5 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948—49

- 6.5.1 विश्वविद्यालय शिक्षा के लक्ष्य
- 6.5.2 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षणकर्मी
- 6.5.3 शिक्षण के मानक
- 6.5.4 अध्ययन के पाठ्यक्रम
- 6.5.5 शिक्षा का माध्यम
- 6.5.6 परीक्षाएँ
- 6.5.7 स्त्री शिक्षा

6.6 माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952—53

- 6.6.1 माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठनात्मक प्रतिरूप
- 6.6.2 भाषाओं का अध्ययन
- 6.6.3 माध्यमिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या
- 6.6.4 शिक्षण विधियाँ
- 6.6.5 चरित्र शिक्षा
- 6.6.6 परीक्षा एवं मूल्यांकन

6.7 प्रथम पंचवर्षीय योजना

6.8 द्वितीय पंचवर्षीय योजना

6.9 तृतीय पंचवर्षीय योजना

6.10 सारांश

6.11 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

6.12 प्रगति जाँच हेतु उत्तर


## 6.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में, आपने भारत में स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा के विकास के विषय में पढ़ा। इस इकाई में, आप स्वतंत्रता के पश्चात् – 1947 से 1964 तक विद्यालयी शिक्षा के विकास के विषय में पढ़ेंगे। यह इकाई आपको स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षा की स्थिति पर विचार करने के लिए सक्षम करेगी। आप बुनियादी शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948—49 की संस्तुतियों के साथ माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952—53 के विषय में पढ़ेंगे। इनके अतिरिक्त, आप प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में हुए शिक्षा के विकास को भी समझेंगे।

## 6.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- 1947 से 1964 तक विद्यालयी शिक्षा के विकास को चिन्हित कर सकेंगे;
- स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षा की स्थिति पर विचार कर सकेंगे;

PDF Compressor Free Version



- सार्जेन्ट योजना रिपोर्ट की समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकेंगे;
- विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948–49 की अनुशंसाओं पर विमर्श कर सकेंगे;
- माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53 की अनुशंसाओं पर विमर्श कर सकेंगे; और
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विद्यालयी शिक्षा की प्रगति का वर्णन कर सकेंगे।

## 6.3 स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षा की स्थिति

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, "शैक्षिक व्यवस्था की संपूर्ण संरचना कई तरीके से दोषपूर्ण थी।" शैक्षिक सुविधाओं के समस्त प्रावधान बहुत असंतोषजनक थे। केवल 6–11 वर्ष तक की आयु समूह के 40 प्रतिशत, 11–17 वर्ष तक की आयु समूह के 10 प्रतिशत तथा 17–24 वर्ष तक की आयु समूह के 0.9 प्रतिशत बच्चे शिक्षित थे। साक्षरता दर 17.2 थी। 1949–50 में प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्यक्ष व्यय कुल शैक्षिक व्यय का केवल 34.2 प्रतिशत था जबकि सही एवं समुचित रूप से समानुपातिक शिक्षा की व्यवस्था माँग करती है कि इस व्यय का मुख्य भाग प्राथमिक शिक्षा के लिए खर्च होना चाहिए।

विभिन्न राज्यों के मध्य शैक्षिक सुविधाओं के प्रावधान में असमानता थी। विभिन्न राज्यों में कुल राजस्व तथा जनसंख्या की तुलना में शिक्षा पर व्यय विभिन्न थे। नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य शैक्षिक सुविधाएँ भी समुचित रूप से वितरित नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख शैक्षिक संस्थानों पर व्यय कुल व्यय का 1937–38 में 36 प्रतिशत से 1949–50 में 30 प्रतिशत तक हो गया था यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर कुल व्यय विशेषतः बढ़ा था।

समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सुविधाओं में प्रावधान के मध्य संतुलन की कमी थी। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा इस सम्बन्ध में एक विशेष सरोकार था। जबकि स्त्रियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की आधी थी। 1949–50 में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय स्तर पर लड़कियाँ क्रमशः 28, 15 तथा 13 प्रतिशत थी। इसी वर्ष विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में लड़कियाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या की केवल 10.4 प्रतिशत थी। प्राथमिक स्तर, अधिकांश राज्य लड़कियों के लिए अलग विद्यालय प्रदान करने में सक्षम नहीं थे।

शैक्षिक व्यवस्था के विभिन्न स्तर स्पष्टतः तथा तर्कसंगत रूप में चिन्हित नहीं थे। विभिन्न राज्यों में स्पष्ट रूप से प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की अवधि तथा मानक भिन्न थे। सामान्य प्राथमिक शिक्षा के साथ बुनियादी शिक्षा तथा उत्तर बुनियादी शिक्षा के साथ वर्तमान माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध स्पष्ट नहीं था।

वृहद अपव्यय इस परिस्थिति की एक अन्य विक्षुब्ध विशेषता थी जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में होती थी। 1945–46 में विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का केवल 40 प्रतिशत विद्यार्थी ही 1948–49 में कक्षा IV में पहुँचते थे। शेष 60 प्रतिशत विद्यार्थियों पर व्यय वृहद अपव्यय था। 1948–49 में लगभग 115 लाख विद्यार्थी आवश्यकता में थे तथा अधिकांश राज्य इसे सशक्त बनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर चुके थे। "अवरोधन या रूकावट" अर्थात्, जब एक विद्यार्थी एक ही कक्षा में कई वर्ष व्यतीत करता है, की समस्या भी गंभीर थी। विद्यमान सुविधाओं का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि यह बहुसंख्य विद्यार्थियों के असंतोषप्रद परिणामों द्वारा प्रदर्शित हो रहा था। यह अपव्यय शिक्षण की निम्न गुणवत्ता के साथ दोषपूर्ण शिक्षा विधियों के कारण

PDF Compressor Free Version



व्यापक था। अपव्यय का दूसरा रूप शैक्षिक संस्थानों की संख्या में अनियोजित वृद्धि थी। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी के परिणामस्वरूप बहुसंख्य विद्यार्थी सामान्य शिक्षा या परंपरागत शिक्षा की तरफ उन्मुख हुए।

शिक्षण की स्थिति काफी असंतोषजनक थी। विशाल संख्या में शिक्षक अप्रशिक्षित थे। 1949–50 में प्राथमिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत 41.4 प्रतिशत तथा माध्यमिक विद्यालयों में 46.4 प्रतिशत था। इस परिस्थिति की अन्य समस्या महिला शिक्षकों की कमी थी जो विशेषतः बालवाड़ी (विद्यालय पूर्व तथा दीवाकालीन नर्सरी समेत) तथा प्राथमिक विद्यालयों के लिए योग्य थी।

शिक्षकों का वेतन एवं सेवा की स्थितियाँ सामान्यतः बहुत असंतोषप्रद थी एवं शिक्षण के निम्न मानकों के लिए मुख्य कारण थे। शिक्षा का उच्च दर, विशेषतः विश्वविद्यालय स्तर पर, बहुत लोगों को उच्च अध्ययन जारी रखने से निषिद्ध कर दिया। सुविधाओं का अभाव संस्थानों के शारीरिक एवं मानसिक निर्माण को रोकता था।

## 6.4 बुनियादी शिक्षा : भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास की रिपोर्ट (सार्जेन्ट योजना)

1944 में, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (CABE) कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियों के साथ युद्धोत्तर शैक्षिक विकास की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट सार्जेन्ट रिपोर्ट के नाम से लोकप्रिय है क्योंकि उसी की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था तथा वह भारत सरकार का तात्कालिक शिक्षा सलाहकार था। इस रिपोर्ट में 6–14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सार्वभौमिक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की एक व्यवस्था दृष्टिगोचर हुई। समिति द्वारा यह भी अनुशंसित किया गया कि मध्य विद्यालय स्तर पर 11 वर्ष के पश्चात् पाँच वर्षों की विस्तृत अवधि के लिए विविध पाठ्यक्रमों का प्रावधान करना चाहिए। ये सभी पाठ्यक्रम, सांस्कृतिक विशेषता को आवश्यक रूप से संरक्षित करते हुए विद्यार्थियों के औद्योगिक तथा व्यावसायिक आजीविकाओं के साथ–साथ विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए निर्मित होना चाहिए। यह अनुशंसित किया गया कि उच्च विद्यालय 6 वर्षों का होना चाहिए तथा प्रवेश के लिए सामान्य आयु 11 वर्ष होना चाहिए एवं उच्च विद्यालय मुख्यतः दो प्रकार का होना चाहिए: (क) शैक्षिक तथा (ख) तकनीकी।

## 6.5 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948–49

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा "भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं सुधारों तथा विस्तार के सुझाव जोकि देश के वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त एवं अपेक्षित हों, के लिए किया गया था।" डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने) इस आयोग के अध्यक्ष थे। अतः यह राधाकृष्णन आयोग के नाम से लोकप्रिय है। इस आयोग की रिपोर्ट में 18 अध्याय हैं।

### 6.5.1 विश्वविद्यालय शिक्षा के लक्ष्य

आयोग द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा के लक्ष्य अग्रलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है: "हम लोग वास्तविक स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता को संरक्षित नहीं करते हैं। जिस कार्य को हमें करना चाहिए उसके लिए यह आवश्यक है, यद्यपि निकट भविष्य में प्राप्त होने

PDF Compressor Free Version



वाले संभावित परिणामों के प्रति अपनी अपेक्षाओं के नियोजन में नरम रुख अपना सकते हैं।" (एम.एच.आर.डी., 1950)। विश्वविद्यालयों को इन आवश्यक कारकों के लिए अवश्य खड़ा होना चाहिए जिसे कभी खोया नहीं जा सकता है। बशर्ते लोग ज्ञान की माँग करें तथा उचित पथ का अनुसरण करें। हमारा संविधान हमारे राज्य के सामान्य उद्देश्यों पर बल देता है। हमारे विश्वविद्यालयों को अवश्य उचित वक्तव्यों के साथ शिक्षित करना चाहिए तथा अधिसंख्य लोगों को शिक्षित करने हेतु समुचित सुविधाओं को प्रदान करना चाहिए। यदि हमारे पास इन उद्देश्यों के अभ्यास के लिए आवश्यक बुद्धि तथा क्षमता नहीं है, हमें उन्हें विश्वविद्यालयों के माध्यम से अवश्य प्राप्त करना चाहिए। हमें जिसकी आवश्यकता है वह कार्य के प्रति अत्यावश्यकता की जागरूकता, इसके समाधान हेतु इच्छा एवं साहस तथा इस प्राचीन के प्रति पूर्ण हार्दिक समर्पण तथा अंततः इसके सफल निष्पादन हेतु नए लोग है।

### 6.5.2 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षणकर्मी

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षणकर्मियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ दी गई हैं:

- शिक्षकों तथा उनके उत्तरदायित्वों को मान्यता (पहचान) देनी चाहिए;
- विश्वविद्यालयों की परिस्थिति जो वित्तीय अभाव एवं इसके परिणामस्वरूप निरुत्साह को व्यापक रूप में सुधारना चाहिए।
- शिक्षकों की चार श्रेणियाँ हो सकती हैं – प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ शोधार्थी होने चाहिए; तथा
- एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति केवल मेधा के आधार पर होनी चाहिए।

### 6.5.3 शिक्षण के मानक

शिक्षण के मानकों से सम्बन्धित मुख्य संस्तुतियाँ निम्नलिखित थीं:

- तत्कालीन इंटरमीडिएट परीक्षा के अनुरूप विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्थात् विद्यालय या इंटरमीडिएट कॉलेज में 12 वर्षों के अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात्।
- प्रत्येक प्रांत में विशाल संख्या में सुसज्जित एवं कर्मचारियों से पूर्ण इंटरमीडिएट महाविद्यालय (कक्षा IX से XII या VI से XII) होने चाहिए।
- 10 से 12 वर्षों की विद्यालयी शिक्षा के उपरांत विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में भेजने के क्रम में, विशाल संख्या में व्यावसायिक संस्थान खोलने की आवश्यकता है।
- विश्वविद्यालयों द्वारा उच्च विद्यालय तथा इंटरमीडिएट महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भीड़ को कम करने हेतु, एक शिक्षण विश्वविद्यालय में कला तथा विज्ञान संकायों में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 3,000 तथा संबद्ध महाविद्यालयों में 1,500 होनी चाहिए।
- एक वर्ष में न्यूनतम 180 दिन की सुनिश्चितता के लिए कार्य दिवसों में यथार्थ एवं लिखित अभ्यासों से संघटित होना चाहिए।

PDF Compressor Free Version



- विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं होनी चाहिए।
- विश्वविद्यालयी शिक्षा देने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक अनुदेश विकसित होने चाहिए।

### 6.5.4 अध्ययन के पाठ्यक्रम

अध्ययन के पाठ्यक्रमों पर निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गई थीं:

- विद्यार्थी 12 वर्षों की विद्यालयी शिक्षा या इंटरमीडिएट को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कला तथा विज्ञान संकायों तथा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेंगे।
- स्नातक उपाधि के अतिरिक्त एक वर्ष के अध्ययन करने वाले प्रतिष्ठा (आनर्स) विद्यार्थियों को परास्नातक उपाधि प्रदान की जाएगी तथा विद्यार्थियों को स्नातक उपाधि के अतिरिक्त दो वर्षों के अध्ययन के उपरान्त उत्तीर्ण होना होगा।
- विश्वविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों दोनों को सैद्धान्तिक अध्ययन तथा सामान्य शिक्षा का व्यवहार एवं सिद्धान्त निर्माण के साथ–साथ प्रायोगिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों हेतु साहित्य विकसित किया जाएगा जो विद्यार्थियों को विषयवस्तु से उत्तम रूप से संभावित परिचय तथा विशेषज्ञता प्रदान करेगा।
- अनावश्यक विलंब के बिना सामान्य शिक्षा के सिद्धान्त एवं अभ्यास प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि परम विशेषज्ञता को त्रुटिरहित किया जा सके जो हमारे इंटरमीडिएट तथा उपाधि कार्यक्रमों में अब सामान्य है।
- विद्यार्थियों के सामान्य हित एवं उनके विशिष्ट व्यावसायिक हित को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र हेतु सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा के मध्य सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए।

### 6.5.5 शिक्षा का माध्यम

शिक्षा के माध्यम के विषय में आयोग के निम्नलिखित दृष्टिकोण थे:

- हिन्दी का कोई भी रूप भारतीय संघ के कार्यालयी भाषा के रूप में अंततः चुना जाता है वह व्यवसाय, प्रशासन तथा शिक्षण एवं शोध की भाषा होगी।
- उच्च शिक्षा के अनुदेश का माध्यम यथाशीघ्र अंग्रेजी को विस्थापित करते हुए भारतीय भाषा होना चाहिए।
- तीन भाषाओं के क्रियान्वयन की नीति – क्षेत्रीय भाषा, संघीय भाषा तथा विद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी भाषा (अंतिम अर्थात् अंग्रेजी भाषा, पुस्तकों को अंग्रेजी में पढ़ने की योग्यता अर्जित करने से सम्बन्धित)।
- उच्च शिक्षा, कुछ विषयों या सभी विषयों हेतु अनुदेश के माध्यम के रूप में संघीय भाषा के उपयोग के विकल्प के साथ क्षेत्रीय भाषा में देना चाहिए।
- उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी का अध्ययन होना चाहिए तथा निरंतर प्रगतिशील ज्ञान के संपर्क में रहने हेतु इसका अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए।

PDF Compressor Free Version



### 6.5.6 परीक्षाएँ

परीक्षाओं के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत की :

- भारतीय शैक्षणिक अभ्यास में अध्ययन के परिणामों के अनुप्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षिक परीक्षण तथा मूल्यांकन की वैज्ञानिक विधियों के संपूर्ण अध्ययन का प्रारंभ करना चाहिए।
- शिक्षा मंत्रालय के पास एक या दो विशेषज्ञ होने चाहिए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण एवं उपयोग में कुशल हों तथा प्रक्रियाओं एवं सिद्धान्तों की मौलिकता को समझते हों। डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त व्यक्ति की इस क्षेत्र में वरीयता होनी चाहिए।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय को छोटे कर्मचारियों के सहायता समूह के साथ परीक्षकों का स्थायी एवं पूर्णकालिक बोर्ड (परिषद) होना चाहिए जो लिपिकीय एवं दैनिक कार्य कर सकते हैं। बोर्ड के सभी सदस्यों की संख्या तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा न्यूनतम पाँच वर्षों का शैक्षिक अनुभव होना चाहिए। इनमें से एक सदस्य परीक्षण एवं सांख्यिकी के क्षेत्र में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त होना चाहिए।
- 12 वर्षों की विद्यालयी शिक्षा के उपरांत पाठ्यक्रम समापन परीक्षण हेतु उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोग हेतु मनोवैज्ञानिक एवं उपलब्धि परीक्षणों का एक समूह होना चाहिए।
- निर्देशन एवं कक्षाकक्ष प्रगति के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षणों का एक समूह तात्कालिक रूप से विकसित किया जाना चाहिए।

### 6.5.7 स्त्री शिक्षा

स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुशंसाएँ थीं:

- महाविद्यालयों में महिलाओं को सामान्य सुविधाएँ तथा जीवन की क्षतिपूर्ति को प्रदान किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए।
- महिलाओं को उनके वास्तविक शैक्षिक हितों के स्पष्ट दृष्टिकोण की प्राप्ति हेतु सहायता के लिए शैक्षिक निर्देश अनुदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए।
- महाविद्यालयों के कार्यक्रम इस तरह निर्मित होने चाहिए ताकि महिलाओं को पुरुष विद्यार्थियों के साथ गुणवत्ता का अभ्यास संभव हो सके।
- सह–शिक्षा महाविद्यालयों में शिष्टाचार के मानकों एवं सामाजिक दायित्व के लिए पुरुष विद्यार्थियों पर बल देना चाहिए।
- जहाँ पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय स्थापित किए जाते हैं, उन्हें पुरुषों की तरह महिलाओं की आवश्यकताओं पर सोच एवं विचार के साथ वास्तव में सह–शिक्षा संस्थान होने चाहिए।
- समान कार्य हेतु महिला एवं पुरुष शिक्षकों को समान वेतन देना चाहिए।

PDF Compressor Free Version



**अपनी प्रगति की जाँच करें – 1**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षणकर्मियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

2. स्त्री शिक्षा के लिए आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं की चर्चा कीजिए।

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

## 6.6 माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53

माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53 का गठन भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था:

(क) भारत में वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की परिस्थिति की जाँच एवं इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

(ख) निम्नलिखित विशेष संदर्भ के साथ इसके पुनर्संगठन एवं सुधार हेतु युक्तियों का सुझाव:

   (i) माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य, संगठन तथा विषयवस्तु;

   (ii) प्राथमिक, बुनियादी तथा उच्च शिक्षा के साथ इसका सम्बन्ध;

   (iii) माध्यमिक शिक्षा का विभिन्न प्रकार के अंतर्संबंध; तथा

   (iv) अन्य सम्बन्धित समस्याएँ

डॉ. ए. लक्ष्मीस्वामी मुदालियर तत्कालीन कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय इस आयोग के अध्यक्ष थे। अतः यह मुदालियर आयोग के नाम से लोकप्रिय है।

### 6.6.1 माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठनात्मक प्रतिरूप

मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के एक नवीन संगठनात्मक प्रतिरूप की अनुशंसा की। इस सम्बन्ध में विशिष्ट अनुशंसाएँ निम्नलिखित थीं:

- माध्यमिक शिक्षा चार या पाँच वर्षों की प्राथमिक अथवा अवर बुनियादी शिक्षा के पश्चात् प्रारंभ होनी चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित करना चाहिए:

  (क) 3 वर्षों का मध्य या वरिष्ठ बुनियादी या अवर बुनियादी स्तर; तथा

  (ख) 4 वर्षों का उच्च माध्यमिक स्तर।

PDF Compressor Free Version



- वर्तमान इंटरमीडिएट उच्च माध्यमिक स्तर द्वारा विस्थापित होना चाहिए जो 4 वर्षों की अवधि की होनी चाहिए, वर्तमान इंटरमीडिएट का एक वर्ष इसमें सम्मिलित है।
- विश्वविद्यालय का पहला उपाधि पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होना चाहिए।
- जो उच्च विद्यालय उत्तीर्ण करते हैं उनके लिए एक वर्ष के पूर्व–विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम का प्रावधान होना चाहिए।
- जिन्होंने उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है या एक वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।
- व्यावसायिक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक वर्ष का एक पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए।
- बहु–उद्देश्यीय विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए जहाँ विविध लक्ष्यों, अभिवृत्तियों एवं क्षमताओं के साथ विद्यार्थियों के हितों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करना संभव है।
- जिन्होंने इस प्रकार के पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं उनको पॉलीटैक्निक या तकनीकी संस्थानों में उच्च पाठ्यक्रमों को जारी करने के अवसर प्रदान करने चाहिए।
- सभी राज्यों को ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए तथा इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में उद्यानिकी, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग सम्मिलित होने चाहिए।
- पृथक रूप से या बहु–उद्देश्यीय विद्यालयों के एक भाग के रूप में विशाल संख्या में तकनीकी विद्यालय प्रारंभ करना चाहिए।
- केन्द्रीय तकनीकी संस्थान बड़े नगरों में स्थापित होने चाहिए जो अधिसंख्य स्थानीय विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- माध्यमिक स्तर पर तकनीकी पाठ्यक्रमों के समुचित प्रतिरूप को विकसित करने के हित में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा इसके अधीनस्थ कार्यरत निकायों का पाठ्यक्रमों के विस्तृत क्रियान्वयन हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- राजकीय विद्यालयों को वर्तमान हेतु अस्तित्व में होना चाहिए तथा उनके विद्यालय प्रतिरूप राष्ट्रीय शिक्षा के सामान्य प्रतिरूप के साथ समुचित समानता के साथ जारी होनी चाहिए।
- अधिक संख्या में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आवासीय विद्यालय स्थापित होने चाहिए।
- शिक्षक–विद्यार्थी संपर्क हेतु बड़े अवसरों को प्रदान करने के लिए तथा मनोरंजक एवं पाठ्यसहगामी गतिविधियों को विकसित करने हेतु प्रदान करने के लिए तथा मनोरंजक एवं पाठ्यसहगामी गतिविधियों को विकसित करने हेतु "दिवाकालीन आवासीय विद्यालयों" की स्थापना उपयुक्त केन्द्रों पर की जानी चाहिए।
- विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु विशाल संख्या में विद्यालय स्थापित होने चाहिए।

PDF Compressor Free Version



- सभी बालिका विद्यालयों तथा सह–शिक्षा अथवा मिश्रित विद्यालयों में गृहविज्ञान अध्ययन हेतु विशेष सुविधाएँ उपलब्ध की जानी चाहिए।
- राज्य सरकारों को पृथक बालिका विद्यालयों, जहाँ इसकी माँग हो, खोलने का प्रयास करना चाहिए।
- शिक्षण कर्मियों में छात्राओं तथा महिला सदस्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु सह–शैक्षिक तथा मिश्रित विद्यालयों के संदर्भ में निश्चित शर्तों पर बल देना चाहिए।

### 6.6.2 भाषाओं का अध्ययन

भाषाओं के अध्ययन के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीः

- संपूर्ण माध्यमिक स्तर पर सामान्यतः अनुदेश का माध्यम मातृ–भाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए।
- माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के दौरान, प्रत्येक विद्यार्थी को न्यूनतम दो भाषाएँ पढ़ाई जानी चाहिए। अवर बुनियादी स्तर के समापन पर अंग्रेजी तथा हिंदी प्रारंभ होनी चाहिए, नियमतः एक वर्ष में दो भाषाएँ प्रारंभ नहीं करनी चाहिए।
- उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, न्यूनतम दो भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए, उनमें से एक मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो।

### 6.6.3 माध्यमिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या

पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीः

- माध्यमिक विद्यालय स्तर पर पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होने चाहिएः (i) भाषाएँ, (ii) सामाजिक अध्ययन, (iii) सामान्य विज्ञान, (iv) गणित, (v) कला एवं संगीत, (vi) शिल्प तथा (vii) शारीरिक शिक्षा।
- उच्च विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विविध शिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए।
- सभी विद्यार्थियों हेतु कुछ मूलभूत विषय सामान्य होने चाहिए, यद्यपि वे विविध पाठ्यक्रमों में कुछ भी ले सकते हैं; इसमें सम्मिलित होने चाहिएः (i) भाषाएँ, (ii) सामाजिक अध्ययन, (iii) सामान्य विज्ञान और (vi) शिल्प।
- विविध पाठ्यक्रमों के अध्ययन में अग्रलिखित सात समूहों को सम्मिलित किया जाना चाहिएः (i) मानविकी, (ii) विज्ञान, (iii) तकनीकी विषय, (iv) वाणिज्यिक विषय, (v) कृषि विषय, (vi) ललित कला तथा (vii) गृह विज्ञान। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विविध पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जा सकता है।
- विविध पाठ्यचर्या उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर के द्वितीय वर्ष में प्रारंभ होनी चाहिए।
- निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से एक उच्च स्तरीय पाठ्यपुस्तक समिति गठित होनी चाहिए, जिसमें राज्य न्यायतंत्र का एक गणमान्य व्यक्ति, विशेषतः उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, क्षेत्र विशेष के लोक सेवा आयोग का एक सदस्य, देश के विश्वविद्यालय का एक कुलपति, राज्य का एक

PDF Compressor Free Version



प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् तथा शिक्षा निदेशक सम्मिलित होने चाहिए। समिति को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।

- पाठ्यपुस्तक समिति को पुस्तक के कागज, चित्रांकन, मुद्रण तथा आरूपण के प्रकार के स्पष्ट मानक पर बल देना चाहिए।
- प्रत्येक विषय के अध्ययन हेतु एकल पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं होना चाहिए बल्कि विद्यालयों से सम्बन्धित पसंद छोड़ते हुए पुस्तकों की एक उचित संख्या होनी चाहिए जो निर्धारित मानकों को पूरा करें, अनुशंसा की जानी चाहिए।
- कोई पुस्तक पाठ्यपुस्तक के रूप में निर्धारित नहीं की गई हो। सामान्य अध्ययन की पुस्तक में कोई अवतरण या वक्तव्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो समुदाय के किसी वर्ग के धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को आघात करे या विशेषतः राजनीतिक या धार्मिक विचारों के साथ युवा विद्यार्थियों के मस्तिष्क को शिक्षित करे।
- अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों एवं पुस्तकों में बारंबार परिवर्तनों को निषिद्ध करना चाहिए।

### 6.6.4 शिक्षण विधियाँ

शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में आयोग के निम्नलिखित सुझाव थे:

- विद्यालयों में शिक्षण विधियों का लक्ष्य केवल मात्र प्रभावी तरीके से ज्ञान देना ही नहीं होना चाहिए यद्यपि विद्यार्थियों में अपेक्षित मूल्यों तथा उचित अभिवृत्तियों एवं कार्य के लिए आदतों को मनःस्थापित करना भी होना चाहिए।
- शिक्षण के मौखिक एवं याद करने की पद्धति से उद्देश्यपूर्ण, ठोस तथा वास्तविक परिस्थिति के माध्यम से अधिगम पर बल देना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु "गतिविधि पद्धति" तथा "परियोजना कार्य विधि" के सिद्धान्तों का अभ्यास करना चाहिए।
- शिक्षण विधियों को विद्यार्थियों के लिए सक्रियपूर्वक अधिगम एवं उनके कक्षाकक्ष में अर्जित ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग अवसरों को प्रदान करना चाहिए।
- सभी विषयों के शिक्षण में, बोलने तथा लिखने दोनों में स्पष्ट सोच एवं अभिव्यक्ति पर विशेष बल देना चाहिए।
- शिक्षण विधियों का लक्ष्य संभावित ज्ञान की अधिकतम मात्रा देने तथा प्रशिक्षण पर अधिक होना चाहिए।
- यथासंभव विद्यार्थी विशेष की आवश्यकताओं हेतु अनुदेशन विधियों को अपनाने का एक सुविचारित प्रयास करना चाहिए ताकि कमजोर, औसत तथा मेधावी सभी विद्यार्थियों को अपनी गति से प्रगति का अवसर प्राप्त हो सके।
- विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने, समूह परियोजना कार्य तथा गतिविधि कार्य करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि सामूहिक जीवन एवं सहयोगात्मक कार्य हेतु आवश्यक गुण का विकास हो सके।
- प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक सामान्य पुस्तकालय, कक्षा पुस्तकालय तथा विषय पुस्तकालय होना चाहिए।

PDF Compressor Free Version



- सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होनी चाहिए तथा सभी शिक्षकों को पुस्तकालय के कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का प्रशिक्षण देना चाहिए।
- जहाँ पृथक जन पुस्तकालय नहीं हैं वहाँ स्थानीय लोगों के लिए विद्यालय के पुस्तकालय उपलब्ध कराने चाहिए तथा सभी जन पुस्तकालयों में बच्चों एवं वयस्कों हेतु एक खंड (दीर्घा) होनी चाहिए।
- पाठ्यपुस्तकों के साथ–साथ सामान्य पठन की पुस्तकों के उत्पादन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जो वर्तमान में उपलब्ध पुस्तकों के लिए निश्चित रूप से उत्तम गुणवत्ता का है।
- प्रगतिशील शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने तथा उनके प्रारंभ या परिचय को सुविधायुक्त बनाने के क्रम में "प्रयोगात्मक" एवं "प्रदर्शन" को विद्यालयों को स्थापित करना तथा विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

### 6.6.5 चरित्र शिक्षा

चरित्र शिक्षा के संदर्भ में विशेष बल देते हुए आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गईः

- चरित्र शिक्षा सभी शिक्षकों के उत्तरदायित्व के रूप में समझी जानी चाहिए तथा विद्यालय कार्यक्रम के प्रत्येक पक्ष के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।
- अनुशासन के प्रोत्साहन हेतु, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत संपर्क को मजबूत करना चाहिए।
- विद्यार्थी प्रशासक या छात्र–नायक तथा विद्यार्थी परिषद के साथ सदन व्यवस्था के रूप में स्वयं शासन जिसका दायित्व आचार संहिता का निर्माण तथा इसके अनुपालन का क्रियान्वयन होगा, सभी विद्यालयों में प्रारंभ करना चाहिए।
- समूह क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्यसहगामी गतिविधियों पर विशेष महत्व देना चाहिए तथा उनके शैक्षिक संभावनाएँ पूर्ण रूप से बाहर आनी चाहिए।
- 17 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को राजनीतिक प्रचार या चुनाव प्रचार हेतु उपयोग को एक अपराध मानते हुए उचित विधि का निर्माण करना चाहिए।
- केवल स्वेच्छा के आधार पर विद्यालयों में धार्मिक उपदेश दिया जा सकता है, तथा नियमित विद्यालय अवधि के बाहर इस प्रकार के उपदेश विशेष आस्था से सम्बन्धित बच्चों तक सीमित हैं तथा यह उनके अभिभावकों एवं प्रबंधन की अनुमति से देना चाहिए।
- अतिरिक्त–पाठ्य सहगामी गतिविधियों को विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के अभिन्न भाग के रूप में होना चाहिए तथा सभी शिक्षकों को इस प्रकार की गतिविधियों हेतु अपने निश्चित समय को समर्पित करना चाहिए।
- राज्य को स्काउट गतिविधि हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा विद्यालय को स्काउट कैम्प में प्रत्येक वर्ष कुछ दिन व्यतीत करने हेतु विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना चाहिए।
- एन.सी.सी. को केन्द्र सरकार के अधीन लाना चाहिए, जिसके इसके समुचित रखरखाव, सुधार एवं विस्तार के लिए उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

PDF Compressor Free Version



- सभी विद्यालयों में प्राथमिक उपचार, सेन्ट जॉन्स एम्बुलेन्स तथा जूनियर रेड क्रॉस कार्य के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

### 6.6.6 परीक्षा एवं मूल्यांकन

परीक्षा एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गई:

- बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी करनी चाहिए तथा वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षणों को प्रारंभ एवं प्रश्नों के प्रकार में परिवर्तन द्वारा निबंधात्मक प्रकार के परीक्षणों में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व को कम करना चाहिए।
- विद्यार्थियों के सर्वांगीण प्रगति को जानने तथा उनके भविष्य निर्धारण हेतु, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा समय–समय पर किए गए कार्य तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी संलग्नता को इंगित करने हेतु उनके लिए विद्यालय आलेख की समुचित व्यवस्था को कायम रखना चाहिए।
- विद्यार्थियों के अंतिम मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षण में उपयुक्त श्रेय एवं विद्यार्थियों का विद्यालय आलेख देना चाहिए।
- बाह्य तथा आंतरिक परीक्षाओं एवं विद्यालय आरेख को रखने में विद्यार्थियों के कार्य के मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग हेतु आंशिक अंकन के बजाए प्रतीकात्मक व्यवस्था को अपनाना चाहिए।
- माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम की समाप्ति पर केवल एक लोक परीक्षा होनी चाहिए।
- विभिन्न विषयों में लोक परीक्षा के परिणामों के अतिरिक्त, प्रमाणपत्र में, विषयों में विद्यालय परीक्षणों के परिणामों के साथ–साथ विद्यालय आलेख का सार तत्व होना चाहिए।
- पूरक परीक्षा व्यवस्था अंतिम लोक परीक्षा में प्रारंभ करनी चाहिए।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 2**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

3. माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में मुख्य अनुशंसाओं पर प्रकाश डालिए।

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4. आयोग द्वारा अनुशंसित शिक्षण विधियों की चर्चा कीजिए।

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

PDF Compressor Free Version



## 6.7 प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, तात्कालिक समय में प्रचलित शिक्षा में सुधार हेतु प्रमुख आवश्यकताएँ निम्नलिखित थीं:

- शैक्षिक व्यवस्था का पुनरोन्मुखीकरण तथा इसके विभिन्न स्तरों एवं शाखाओं का एकीकरण;
- विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार, विशेषतः बुनियादी एवं सामाजिक शिक्षा, पुनर्संगठित माध्यमिक,, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा;
- वर्तमान माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा का समेकन (एकीकरण) एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुसज्जित करना;
- स्त्री शिक्षा हेतु विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार;
- शिक्षकों का प्रशिक्षण, विशेषतः स्त्री शिक्षक एवं बुनियादी विद्यालयों के लिए शिक्षक तथा उनके वेतनमान एवं सेवा की दशाओं में सुधार; तथा
- अनुदान के विषय में वरीयता प्रदान करते हुए पिछड़े राज्यों की सहायता करना।

उपर्युक्त टिप्पणियों के संदर्भ में, आयोग का यह दृष्टिकोण था कि शैक्षिक विकास की परिकल्पना में विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, इस प्रकार के परिष्करण के विषय स्थानीय परिस्थितियों के समाधान हेतु आवश्यक हो सकते हैं:

- पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के उपरांत, 6–11 वर्ष तक की आयु समूह के विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए तथा यह यथाशीघ्र विकसित होनी चाहिए ताकि 6 – 14 वर्ष तक की आयु समूह को समाविष्ट करने के क्रम में विद्यालयों में 14 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों को लाया जा सके जो बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संपूर्ण एकीकृत माना जाए। विद्यालय जाने वाली (6 – 11 वर्ष के आयु समूह की) लड़कियों का प्रतिशत 1950–51 में 23.3 प्रतिशत से 1955–56 में 40.0 प्रतिशत होना चाहिए।
- माध्यमिक स्तर पर शिक्षण संस्थानों में प्रासंगिक आयु समूह के बच्चों का 15 प्रतिशत लाने का लक्ष्य होना चाहिए। इस आयु समूह की विद्यालय जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत 10 प्रतिशत तक होना चाहिए।
- सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में, हमें मानना चाहिए कि 14 से 40 वर्ष तक के आयु समूह के 30 प्रतिशत लोग (तथा 10 प्रतिशत महिलाएँ) सामाजिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करते हैं।

विश्वविद्यालय–पूर्व शिक्षा (अर्थात् विद्यालयी शिक्षा) हेतु केन्द्र की निम्नलिखित योजनाएँ प्रस्तावित थीं:

### बुनियादी एवं प्राथमिक शिक्षा

पूर्व–बुनियादी विद्यालय से परा–स्नातक बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय तक, बुनियादी शिक्षा की संपूर्ण इकाइयाँ, प्रत्येक राज्य में कम से कम एक स्थापित होंगी। शिक्षण

PDF Compressor Free Version



विधियों एवं पाठ्यचर्या की समस्या का शोध इनके सुधार की दृष्टि से इन इकाइयों का विशेष कार्यों में एक होगा तथा इनके द्वारा प्राप्त परिणाम क्रमबद्ध तरीके से देश के सभी बुनियादी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इन इकाइयों के प्रशिक्षण महाविद्यालय अवर तथा वरिष्ठ बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। इनमें से प्रत्येक इकाई एक सामुदायिक केन्द्र के साथ–साथ शोध केन्द्र होगा जहाँ समुदाय के संपूर्ण जीवन पर बुनियादी शिक्षा के संपूर्ण इकाई के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। क्षेत्र विशेष में सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित बुनियादी इकाई उनके मानकों में सुधार के लिए सहायता भी करेंगी।

**सामाजिक शिक्षा**

प्रायोगिक उद्देश्यों हेतु प्रत्येक राज्य में कम–से–कम एक जनता महाविद्यालयों की स्थापना होगी। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक शिक्षा कार्यकर्त्ताओं, समुदाय के सदस्यों तथा प्रशासकों को प्रशिक्षित करना होगा। इनमें कुछ महाविद्यालय का लंबे समय तक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक नहीं होंगे तथा वे ग्रामीण महाविद्यालयों में परिवर्तित हो जाएँगे। ये महाविद्यालय सामुदायिक केन्द्रों के रूप में भी सेवा प्रदान करेंगे। प्रत्येक जिला में कम–से–कम एक विद्यालय–सह–सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। जनता महाविद्यालय उपयुक्त वर्णित बुनियादी शिक्षा की इकाइयों के साथ खोले जाएँगे। इन संस्थानों में पुस्तकालय सेवा भी जोड़ा जाएगा। एक क्षेत्र में इन सभी संस्थानों के अवधान का लक्ष्य उस क्षेत्र का गहण शैक्षिक विकास के लिए प्रयास करना।

**माध्यमिक शिक्षा**

कम–से–कम एक बहुपक्षीय उच्च विद्यालय प्रत्येक राज्य में पॉयलट संस्थान के रूप में खुलना चाहिए। इन विद्यालयों में न केवल स्वच्छंद कला एवं विज्ञान हेतु वर्ग होंगे यद्यपि तकनीकी शिक्षा, वाणिज्य, कृषि आदि के लिए भी वर्ग होंगे। व्यावसायिक विद्यालय, विशेषत: 14–18 वर्षों के आयु के बच्चों हेतु प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए भी स्थापित किए जाएँगे। राज्यों द्वारा संचालित इस प्रकार के प्रायोगिक विद्यालयों हेतु असावधिक आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा, यदि वे आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन हेतु समर्थित शोध कार्यालय माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएँगे। इन संस्थानों के लाभ को प्राप्त करने के लिए निर्धन विद्यार्थियों को सशक्त करने हेतु वर्तमान लोक विद्यालयों में मेधा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

## 6.8 द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार, माध्यमिक शिक्षा का वैविध्य, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों में सुधार, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु सुविधाओं का विस्तार एवं सामाजिक शिक्षा के क्रियान्वयन के साथ–साथ सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों पर बहुत बल दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग 169 करोड़ रुपए शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र को 44 करोड़ रुपए एवं राज्यों को 125 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 307 करोड़ रुपए – केन्द्र को 95 करोड़ रुपए तथा राज्यों को 212 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे।

## 6.9 तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय पंचवर्षीय योजना 6–11 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को शैक्षिक सुविधाओं हेतु प्रावधान, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण का विस्तार एवं सुधार,

PDF Compressor Free Version



सभी स्तरों पर व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास, शिक्षा के प्रत्येक स्तर हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का विस्तार एवं सुधार, छात्रवृत्तियों में वृद्धि, निःशुल्क परिवहन एवं अन्य सहायता पर मुख्य रूप से बल था।

विस्तार की आवश्यकता पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा था। बाल कल्याण के लिए योजनाएँ, अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित की जा रही थी, वर्तमान बालवाड़ी का सुधार, नई बालवाड़ी का प्रारंभ, "बाल सेविकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार तथा बाल कल्याण हेतु बहुसंख्य पॉयलट परियोजना जिसमें स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवाएँ समेकित तरीके से संगठित किए जाने थे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना 6–14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों की संख्या में विगत दशक में प्राप्त वृद्धि के लगभग समान वृद्धि का दावा किया। इसी समान आयु समूह के लड़कियों के अनुपात में 46 प्रतिशत तक का लक्ष्य था जबकि लड़कों का 73 प्रतिशत था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, लगभग 57,76 विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों में परिवर्तन करने तथा प्रत्येक स्थानीय समुदाय के विकासात्मक गतिविधियों के साथ बुनियादी विद्यालय शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रस्ताव था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक, प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 1424 (तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय 1307) तक बढ़ाने का लक्ष्य था तथा उन सभी को बुनियादी रेखा पर प्रशिक्षण देना था, शिक्षार्थी शिक्षकों की संख्या 1960–61 में 1,35,000 की तुलना में लगभग 2,00,000 थी। जो शिक्षक बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए थे, उनके लिए बुनियादी शिक्षा के सरलतम पक्षों में प्रशिक्षण के अंशकालीन पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते थे।

माध्यमिक शिक्षा में उद्दिष्ट युक्तियाँ उच्च विद्यालयों को उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तन, शैक्षिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त बहुसंख्य वैकल्पिक विषयों के प्रावधान के साथ बहुद्देशीय विद्यालयों का विकास, विज्ञान शिक्षण हेतु सुविधाओं का विस्तार एवं सुधार, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का प्रावधान, परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति का सुधार, व्यावसायिक शिक्षा हेतु सुविधाओं को बढ़ाना, बालिकाओं एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा हेतु सुविधाओं में वृद्धि एवं छात्रवृत्ति के माध्यम से मेधा को प्रोत्साहित करना।

विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं सशक्त करने हेतु अधिसंख्य सहायक उपाय प्रस्तावित किए गए थे। शिक्षा के पूर्व तथा पश्चात् के स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रमों के साथ उनके समाकलन के दृष्टिकोण से यदि आवश्यक हो तो विभिन्न राज्यों में मौजूदा विज्ञान पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण एवं परिष्करण किया जाएगा। शिक्षक विवरणिका, विद्यार्थी नियमावली, विज्ञान पाठ्यपुस्तक एवं विज्ञान सहायक पठन सामग्री के निर्माण को प्रारंभ किया जाएगा। इस समय प्रयोगशाला उपकरणों के अनुप्रयोग की तकनीकों में प्रयोगशाला सहायकों को प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त, विज्ञान उपकरणों के निर्माण को मानवीकृत करने तथा स्वयं देश में उनको निर्मित करने का कदम उठाया गया था। विज्ञान शिक्षण के संपूर्ण कार्यक्रम के समन्वय, निर्देश तथा मार्गदर्शन के साथ–साथ महत्वपूर्ण कर्मचारियों के प्रशिक्षण के क्रम में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में विज्ञान शिक्षा के लिए एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना प्रस्तावित है। माध्यमिक स्तर पर होनहार प्रतिभा की पहचान एवं इसके विकास के लिए अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एक विज्ञान प्रतिभा खोज योजना प्रारंभ की जाएगी।

प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, 2115 बहुद्देशीय विद्यालय स्थापित किए गए। ये विद्यालय मानविकी एवं विज्ञान के अतिरिक्त तकनीकी, कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान तथा

PDF Compressor Free Version



ललित कला के एक से अधिक प्रायोगिक पाठ्यक्रम प्रदान करते थे। यद्यपि बहुद्देशीय विद्यालय की अवधारणा को तत्परता से स्वीकार किया गया तथा योजना त्वरित गति से विस्तृत हुई, कुछ कठिनाइयों का सामना भी हुआ जैसे प्रायोगिक विषयों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त शिक्षण सामग्री, विशेष पाठ्यपुस्तक तथा संदर्शिका, वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का सीमित क्षेत्र तथा शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन सुविधाओं की अपर्याप्तता। अतः तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, पहले से स्थापित संस्थानों को मजबूत कर योजनाओं की सुदृढ़ता पर ध्यान देने का प्रस्ताव लाया गया, विस्तार योजना लगभग 331 नए विद्यालयों तक सीमित की जा रही थी। बहुद्देशीय विद्यालयों के लिए समेकित शिक्षक प्रशिक्षण प्रारंभ करने का प्रस्ताव था तथा इस उद्देश्य के लिए चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई गई जो शिक्षकों को प्रायोगिक एवं विज्ञान विषयों दोनों में सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से बहुद्देशीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैयार करेंगे। प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का विशिष्ट कार्यक्रम सहित विभिन्न योग्यता स्तरों के लिए उपयुक्त अध्ययन के पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के लिए बहुद्देशीय विद्यालयों में वृहद प्रायोगिक कार्य को प्रेरित करने हेतु भी कदम उठाए जाने थे।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 3**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

5. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक शिक्षा का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

6. प्रथम पंचवर्षीय योजना से तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्य प्राथमिक विद्यालयों की वृद्धि पर विचार–विमर्श कीजिए।

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

## 6.10 सारांश

इस इकाई में 1949 से 1964 तक विद्यालयी शिक्षा के विकास का समीक्षात्मक विश्लेषण किया। इस इकाई में स्वतंत्रता के समय शिक्षा की स्थिति तथा इसके पश्चात् विद्यालयी शिक्षा में संख्यात्मक प्रगति सहित गुणात्मक प्रगति पर विचार–विमर्श किया गया है। इस इकाई में बुनियादी शिक्षा एवं सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा के उदय पर सार्जेन्ट योजना के रिपोर्ट पर भी विमर्श किया गया है।

इस इकाई में दो मुख्य शिक्षा आयोगों की अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948–49 एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास पर माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53 का समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। आगे, शिक्षा आयोगों की अनुशंसाओं को पूरा करने

PDF Compressor Free Version



के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्यों सहित उपलब्धियों का वर्णन भी इस इकाई में किया गया है।

## 6.11 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन


अग्रवाल, जे.सी. (1985), *डेवेलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ माडर्न एजुकेशन*, दिल्ली: वाणी एजुकेशनल बुक्स।

अग्रवाल, जे.सी. (1993), *लैंडमार्क्स इन दि हिस्ट्री ऑफ माडर्न इंडियन एजुकेशन*, नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद रिपोर्ट (1944). रिपोर्ट ऑफ दि पोस्ट–वार एजुकेशनल डेवेलपमेंट इन इंडिया, दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (1950). *रिपोर्ट ऑफ दि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 1948–49*, दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

भारत सरकार, (1953). *दि मुदीलियर कमीशन'स रिपोर्ट, 1952–53*, दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

भारत सरकार, (1957). *सैकन्ड फाइव ईयर प्लान (1957–1962)*, दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (1962). *थर्ड फाइव ईयर प्लान (1962–1967)*, दिल्ली: भारत सरकार।

मुखोपाध्याय, एम. (1999), "स्कूल एजुकेशन" इन मुखोपाध्याय, एम. एवं अन्य (संपा.), *इंडियन एजुकेशन: डेवेलपमेंट सिंस इंडीपेंडेन्स*, नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड।

नायक, जे.पी. एवं नरूला, एस. (1996). *ए स्टूडेंट'स हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया*, दिल्ली : मैकमिलन इंडिया लिमिटेड।

योजना आयोग, (1952). *फर्स्ट फाइव ईयर प्लान (1952–1957)*, दिल्ली: भारत सरकार।

पुरकित, बी. आर. (2005), माइलस्टोन्स इन माडर्न इंडियन एजुकेशन, कोलकता: न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी।


(टिप्पणी: इस इकाई की विषयवस्तु के निर्माण के लिए भारत सरकार की वेबसाइटों पर उपलब्ध विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948–49, माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53 तथा पंचवर्षीय योजनाओं की रिपोर्टों को संदर्भित किया गया है।)

## 6.12 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

प्रगति जाँच हेतु उत्तर में अधिकांशतः प्रश्न विश्लेषणात्मक एवं विचारणीय प्रकृति के हैं। अतः वे सभी उत्तर स्वयं द्वारा अभ्यास किए जाएँगे।

PDF Compressor Free Version

# इकाई 7 विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1964 से 1985

## संरचना

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 शिक्षा आयोग, 1964–66

7.3.1 शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता

7.3.2 संरचना एवं गुणवत्ता

7.3.3 विद्यालयी शिक्षा

7.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

7.4.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की अनुशंसाएँ

7.5 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

7.6 पंचम् पंचवर्षीय योजना

7.7 छठी पंचवर्षीय योजना

7.8 सारांश

7.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

7.10 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

## 7.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में हमने 1947 से 1964 के बीच की विद्यालयी शिक्षा के विकास के बारे में पढ़ा। हमने सारजेन्ट योजना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49), मुदालियर आयोग (1952–53) के साथ–साथ पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी पढ़ा। इस इकाई में हम 1964 से 1985 के मध्य विद्यालयी शिक्षा के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हम शिक्षा आयोग (1964–66) के बारे में पढ़ेंगे जो कोठारी आयोग के नाम से लोकप्रिय है क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रोफेसर डी. एस. कोठारी थे। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) के बारे में भी पढ़ेंगे जो कोठारी आयोग (1964–66) की अनुशंसाओं पर आधारित था। हम चतुर्थ, पंचम् एवं छठी पंचवर्षीय योजनाओं पर भी एक नजर डालेंगे कि इनके अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा ने किस प्रकार प्रगति की। हम विद्यालयी शिक्षा पद्धति के विकास के साथ–साथ 10+2+3 पद्धति के विकास को भी समझेंगे जो कोठारी आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम था।

## 7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- 1964 से 1985 के विद्यालयी शिक्षा के विकासों से अवगत हो सकेंगे;
- कोठारी आयोग की अनुशंसाओं का विश्लेषण कर सकेंगे;
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर चर्चा कर सकेंगे; और
- चतुर्थ, पंचम् एवं छठी पंचवर्षीय योजनाओं में विद्यालय शिक्षा की प्रगति का समालोचनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे।

PDF Compressor Free Version



## 7.3 शिक्षा आयोग, 1964—66

शिक्षा आयोग (1964—66), जो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, का गठन 14 जुलाई, 1964 के एक प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों एवं सभी पक्षों के विकास हेतु समान सिद्धांतों एवं नीतियों पर एवं शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिरूप पर सरकार को परामर्श देने के दृष्टिकोण से किया गया था। आयोग में 17 सदस्य थे। इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.एस. कोठारी थे जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी थे।

आयोग ने 12 कार्य दल (टीम) बनाया – (1) विद्यालय शिक्षा, (2) उच्च शिक्षा, (3) तकनीकी शिक्षा, (4) कृषि शिक्षा, (5) प्रौढ़ शिक्षा, (6) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, (7) अध्यापक प्रशिक्षण एवं अध्यापक स्तर, (8) विद्यार्थी कल्याण, (9) नई तकनीक एवं विधियाँ, (10) मानव शक्ति, (11) शैक्षिक प्रशासन और (12) शैक्षिक वित्त। इसके अतिरिक्त इसने 7 कार्यकारी समूह बनाया – (1) स्त्री शिक्षा, (2) पिछड़े वर्गों की शिक्षा, (3) विद्यालय भवन, (4) विद्यालय—समुदाय सम्बन्ध, (5) सांख्यिकी, (6) पूर्व—प्राथमिक शिक्षा और (7) विद्यालय पाठ्यचर्या।

रिपोर्ट तीन भागों में विभाजित है। प्रथम भाग शैक्षिक पुनर्निर्माण के सामान्य पहलुओं से सम्बन्धित है जो शिक्षा के सभी स्तरों और क्षेत्रों के लिए सामान्य है। इनमें राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए शैक्षिक व्यवस्था पुनर्मिविन्यास, रचनात्मक पुनर्गठन और अध्यापक सुधार, नामाकंन नीतियाँ और शैक्षिक अवसरों का समानीकरण सम्मिलित था।

दूसरा भाग विद्यालय शिक्षा के पहलुओं का वर्णन करता है, जैसे, इसके प्रसार की समस्याएँ, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यपुस्तकें, मार्गदर्शन, मूल्यांकन, प्रशासन और निरीक्षण। यह उच्च शिक्षा की समस्याओं पर भी चर्चा करता है जिसमें प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना, गुणात्मक सुधार के कार्यक्रम, नामांकन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त यह कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान और प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं की अनुशंसाएँ की। तीसरा भाग शैक्षिक योजना, प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित है।

आयोग की रिपोर्ट का सार जैसा कि उसकी भूमिका में व्यक्त किया गया है यह है – "भारतीय शिक्षा को तीव्र पुनर्रचना, लगभग क्रांति की आवश्यकता है", निम्नलिखित प्रमुख पुनर्रचना की आवश्यकता थी:

- प्राथमिक शिक्षा के प्रभावकता में सुधार;
- सामान्य शिक्षा के एक अभिन्न तत्व के रूप में कार्य अनुभव का आरंभ;
- माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण;
- सभी स्तरों पर अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार और पर्याप्त संख्या में अध्यापक प्रदान करना;
- निरक्षरता का उन्मूलन;
- उच्च अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के प्रयास हेतु कम से कम अपने कुछ विश्वविद्यालयों में नवीनतम अध्ययन केन्द्रों को सशक्त करना;
- अध्यापन और शोध के सामंजस्य पर विशेष बल देना; और
- कृषि और उससे संबद्ध विज्ञान में शिक्षा एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान देना।

PDF Compressor Free Version



**अपनी प्रगति की जाँच करें – 1**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. शिक्षा आयोग (1964–66) की रिपोर्ट की संरचना की व्याख्या कीजिए।

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2. शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की भूमिका के अनुसार राष्ट्र की उन्नति, सुरक्षा एवं कल्याण हेतु आधार और उपकरण क्या हैं?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

### 7.3.1 शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, "शिक्षा का रूपांतरण, इसे लोगों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं से जोड़ने के प्रयास तक उसके अनुसार शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों की समझ हेतु आवश्यक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपांतरण को सशक्त उपकरण बनाना, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक सुधार की आवश्यकता है।" इसके प्रयोजनार्थ आयोग ने चार उद्देश्य सुझाए, जो निम्नलिखित हैं:

1. उत्पादकता को बढ़ाना;
2. सामाजिक एवं राष्ट्रीय समन्वय की प्राप्ति;
3. आधुनिकता की प्रक्रिया को गतिमान करना; और
4. सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना।

1. **शिक्षा और उत्पादकता:** शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने के लिए विज्ञान शिक्षा, कार्य अनुभव और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर व्यावसायीकरण के कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

2. **सामाजिक एवं राष्ट्रीय समन्वय:** सामाजिक एवं राष्ट्रीय समन्वयता की प्राप्ति शैक्षिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और राष्ट्रीय चेतना एवं एकता की मजबूती हेतु निम्नलिखित कदम सुझाए गए:

- सार्वजनिक विद्यालय
- सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा
- **भाषा नीति:** विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा की एक विशेष माँग (आवश्यकता) है।

PDF Compressor Free Version



- समझ के विकास, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्मूल्यांकन एवं भावी अपेक्षाओं के प्रति दृढ़ प्रेरणात्मक विश्वास के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास का प्रयास करना चाहिए। यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है:

(क) भाषा और साहित्य, दर्शन, धर्म और भारतीय इतिहास का सुसंगठित अध्यापन तथा विद्यार्थियों को भारतीय वास्तुशिल्प, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य एवं अभिनय कला के परिचय द्वारा।

(ख) राष्ट्रीय चेतना और अन्तर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करने में कोई मतभेद नहीं है जिनकी प्रगति हेतु शिक्षा को साथ–साथ प्रयास करना चाहिए।

(ग) विद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रम लोकतांत्रिक मूल्यों को मन:स्थापित करने के लिए निर्मित होना चाहिए।

3. **शिक्षा और आधुनिकता:** एक आधुनिक समाज में शिक्षा लम्बे समय तक ग्रहण नहीं किया जाता है जैसा कि यह एक पूर्ण उत्पादन तैयार करने या ज्ञान देने से मुख्यत: संबंधित है परंतु जिज्ञासा को जागृत करना, समुचित रुचियों, विचारधाराओं, गुणों का विकास करना और ऐसे आवश्यक कौशलों का निर्माण करना है जिनके द्वारा स्वतंत्र अध्ययन हेतु व्यक्तिगत रूप से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न हो सके। इसके अतिरिक्त औसत नागरिक के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाते हुए इसे पर्याप्त संख्या एवं दक्षता में एक बुद्धिजीवी वर्ग के निर्माण का प्रयास करना चाहिए, जो समाज के सभी स्तरों से आता है तथा जिसकी निष्ठाएँ एवं आकांक्षाएँ भारतीय मिट्टी से जुड़ी हुई हैं।

4. **सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य:** शिक्षा व्यवस्था को आधारभूत सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल देना चाहिए। सभी प्रमुख धर्मों की चुनिन्दा जानकारी देने वाला एक पाठ्यक्रम, नागरिकता के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में सम्मिलित करना चाहिए अथवा विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रथम उपाधि तक की सामान्य शिक्षा में एक भाग के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। संसार के सभी महान धर्मों की आधारभूत समानताओं तथा कुछ व्यापक तुलनात्मक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों जिन पर वे बल देते हैं, को दृष्टि में लाना चाहिए। पूरे देश में इस विषय पर एक सामान्य पाठ्यक्रम तथा समान पाठ्यपुस्तक का होना एक बड़ा लाभ होगा जिसे राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए।

### 7.3.2 संरचना एवं गुणवत्ता

**संरचना**

आयोग ने सुझाव दिया कि नई शैक्षिक संरचना का ढाँचा इस प्रकार का होना चाहिए:

- पूर्व विद्यालय शिक्षा 1 से 3 वर्ष तक।
- सामान्य शिक्षा की एक 10 वर्षीय अवधि जिसे प्राथमिक स्तर 7 वर्ष से 8 वर्ष (निम्न प्राथमिक स्तर 4 अथवा 5 वर्ष का और एक उच्च प्राथमिक स्तर 3 अथवा 2 वर्ष का) और 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा का निम्न माध्यमिक स्तर या 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन कुछ विद्यार्थियों का 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए)।
- सामान्य शिक्षा का 2 वर्ष का उच्च माध्यमिक स्तर या व्यावसायिक शिक्षा का 1 से 3 वर्ष का स्तर (व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन कुछ विद्यार्थियों का 20 प्रतिशत

PDF Compressor Free Version



तक बढ़ाया जाए)।

- एक उच्च शिक्षा स्तर जिसमें 3 वर्षीय या उससे अधिक समय का पाठ्यक्रम हो जो प्रथम डिग्री हेतु मान्य हो जिसका अनुसरण भिन्न अंतराल के पाठ्यक्रम द्वारा दूसरे या शोध प्रमाणपत्र हेतु किया जाए।
- प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय सामान्यतया 6 वर्ष से कम आयु न हो।
- पहली सार्वजनिक परीक्षा विद्यालय शिक्षा के प्रथम 10 वर्ष समाप्त होने पर होनी चाहिए।
- विद्यालयों में संकाय पद्धति कक्षा 10 के उपरांत होनी चाहिए।
- पूर्व विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों को स्थानांतरित किए जाएँ।
- शिक्षा के विभिन्न स्तरों और उपस्तरों के नामकरण करने की एक समरूप पद्धति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से विकसित की जाए।
- अंशकालीन शिक्षा को शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक स्तर पर, बड़े पैमाने पर विकसित किया जाए और उसे पूर्णकालिक शिक्षा के समान ही महत्व दिया जाए।

**इसने शिक्षा की 10+2+3 पद्धति का मार्ग प्रशस्त किया जो आज विद्यमान है।**

**गुणवत्ता:** आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु सक्रिय और विकसित मानकों केसाथ ही उपलब्ध सुविधाओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किए जाने की अनुशंसा की।

**सक्रिय और विकसित मानक:** शिक्षा के सभी स्तरों हेतु मानकों को ऊँचा उठाने हेतु निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। विद्यालय शिक्षा के प्रथम 10 वर्षों में गुणात्मक सुधार किए जाए ताकि इस स्तर पर होने वाले अपव्यय को कम किया जा सके। इन 10 वर्षों के समय में, कक्षा 10 के समापन के समय पर वे मानक प्राप्त किए जाने चाहिए जो इस समय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे ही प्रयास विश्वविद्यालय डिग्री के स्तर को सुधारने हेतु उनमें एक वर्ष की विषयवस्तु जोड़कर किए जाने चाहिए।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु विभिन्न युक्तियों के माध्यम से उनका सहयोग करना चाहिए एवं विद्यालय परिसरों का निर्माण किया जाए। प्रत्येक परिसर में एक माध्यमिक विद्यालय हो और सभी निम्न व उच्च प्राथमिक विद्यालय इसके आसपास स्थित हों।

**सुविधाओं का उपयोग:** इस संबंध में आयोग ने अनुशंसा की है कि (1) विद्यमान सुविधाओं के गहन उपयोग के कार्यक्रमों पर शैक्षिक पुनर्रचना की योजनाओं पर बल दिया जाना चाहिए। (2) एक वर्ष में शैक्षिक दिवसों की संख्या बढ़ाकर विद्यालयों के लिए 39 सप्ताह और महाविद्यालयों व पूर्व–प्राथमिक विद्यालयों के लिए 36 सप्ताह की जाए। (3) छुट्टियों का उपयोग पूर्ण रूप से अध्ययन, समाज सेवा शिविरों, उत्पादन अनुभव, साक्षरता अभियान आदि के लिए किया जाना चाहिए। (4) कार्य दिवस की अवधि विद्यालय स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए और (5) विद्यालयी सुविधाओं जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ, शिल्प आदि के वर्ष भर पूरे उपयोग हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।

PDF Compressor Free Version



**अपनी प्रगति की जाँच करें – 2**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

3. शिक्षा आयोग (1964–66) के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

4. शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने हेतु किन तीन कार्यक्रमों की आवश्यकता है?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

5. सामाजिक और राष्ट्रीय समन्वयता की प्राप्ति करने हेतु कौन–कौन से कदम सुझाए गए हैं? व्याख्या कीजिए।

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

6. शिक्षा की 10+2+4 पद्धति की व्याख्या कीजिए।

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

### 7.3.3 विद्यालयी शिक्षा

कोठारी आयोग की रिपोर्ट का दूसरा अध्याय विशेषतः विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित है। विद्यालयी शिक्षा की प्रमुख अनुशंसाएँ इस प्रकार थी:

- शिक्षा की पूर्व–विश्वविद्यालय की संपूर्ण अवधि को एकल एवं निरंतर इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। इसे पूर्व–प्राथमिक, निम्न एवं उच्च–प्राथमिक और निम्न एवं उच्चतर माध्यमिक के रूप में उप–विभाजित किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि विभिन्न उप–स्तरों की समस्याओं के बीच समानता उनके बीच अंतर से अधिक आवश्यक है।

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिनकी घरेलू पृष्ठभूमि असंतोषजनक है।

- प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य उत्तरदायी एवं उपयोगी नागरिक होने के लिए व्यक्तियों का निर्माण होना चाहिए। 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सांविधानिक निर्देश का उच्च वरीयता का एक शैक्षिक उद्देश्य

PDF Compressor Free Version



है और इसे देश के सभी भागों में निम्न कार्यक्रमों के विकास द्वारा पूरा किया जाना चाहिए;

- 1975–76 तक सभी बच्चों को पाँच वर्षीय गुणवत्ता युक्त एवं प्रभावशाली शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- 1985–86 तक इसी प्रकार की सात वर्षीय शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- अपव्यय और अवरोधन को कम करने पर बल दिया जाना चाहिए। यह उद्देश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कक्षा एक में प्रविष्ट बच्चों की संख्या का 80 प्रतिशत से अधिक भाग सात वर्षों में कक्षा सात में पहुँच जाए।
- वे बच्चे जो कक्षा सात के अंत तक 14 वर्ष के नहीं हुए हैं और आगे पढ़ने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक शैक्षिक व्यवस्था में बनाए रखना चाहिए, लेकिन उनकी पसंद के छोटे व्यावसायिक पाठ्यक्रम उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य एवं जिले को उपरोक्त लक्ष्यों एवं अपने स्थानीय दशाओं के आलोक में अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु भावी योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
- प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि बच्चे के घर से निम्न प्राथमिक विद्यालय लगभग एक मील की दूरी पर और उच्च प्राथमिक विद्यालय एक से तीन मील की दूरी के बीच उपलब्ध हो।

सार्वभौमिक ठहराव शक्ति के प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित उपाय सुझाए गए:

- इस विषय में अगले दस वर्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू करना है, वह है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और अपव्यय और अवरोधन को न्यूनतम स्तर पर लाना। अपव्यय और अवरोधन को कम करने का लक्ष्य 1976 तक लगभग आधा और 1986 तक लगभग पूरा हो जाना चाहिए।
- अपव्यय और अवरोधन कक्षा प्रथम में सबसे अधिक है और उन्हें कम करने हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम होना चाहिए। उन्हें कम करने के उपाय थे: (क) कक्षा एक और दो (जहाँ संभव हो कक्षा एक से चार तक) को एक एकीकृत इकाई के रूप में समझा जाए; (ख) एक वर्षीय पूर्व–विद्यालयी शिक्षा को प्रारंभ किया जाए; एवं (ग) प्रथम कक्षा में खेल विधि को शिक्षण तकनीकी के रूप में अपनाई जाए।
- अन्य कक्षाओं में अपव्यय और अवरोधन को अंशकालीन शिक्षा के विभिन्न रूपों को प्रदान कर, राष्ट्रव्यापी विद्यालय सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन द्वारा, तथा मौलिक विषयों के एक गहन कार्यक्रम द्वारा न्यून करना चाहिए।
- 11–14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चे जो विद्यालय नहीं जा रहे है, और जिन्होंने शिक्षा का प्राथमिक स्तर पूरा नहीं किया है और कार्यकारी रूप से साक्षर हो गए हैं, उन्हें कम से कम एक वर्ष की साक्षरता कक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता है। ये कक्षाएँ प्राथमिक विद्यालयों में संचालित होनी चाहिए और विद्यार्थियों की सुविधानुसार लचीली होनी चाहिए। ये कक्षाएँ स्वेच्छा के आधार पर प्रारंभ की जाएँ; लेकिन जब स्थानीय समुदाय में यह अवधारणा सुपरिचित हो जाएँ तो इसे अनिवार्य बनाने का प्रयास किया जाए।

PDF Compressor Free Version



- जो बच्चे निम्न प्राथमिक स्तर को पूर्ण कर लिए हैं तथा आगे अध्ययन के इच्छुक हैं उनके लिए अंशकालीन शिक्षा की समान सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम के लिए सामान्य शिक्षा के प्रतिरूप का अनुसरण किया जा सकता है या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उसमें विस्तृत व्यावसायिक तत्व रखे जा सकते हैं।

**माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु सुझाए गए कदम इस प्रकार थे:**

- माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन अगले 20 वर्षों में अग्रलिखित द्वारा नियंत्रित हो जाना चाहिए (क) माध्यमिक विद्यालयों के स्थान निर्धारण की उचित योजना; (ख) पर्याप्त मानकों को बनाए रखना और अंत तक उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार नामांकन को निश्चित करना; और (ग) सबसे अच्छे विद्यार्थियों को चुनना।

- माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में विकासात्मक योजना तैयार की जानी चाहिए और दस वर्ष की अवधि में उसे लागू किया जाना चाहिए। सभी नई संस्थाओं को आवश्यक मानकों को पूर्ण करना चाहिए और विद्यमान संस्थाओं को न्यूनतम स्तर को ऊँचा उठाना चाहिए।

- माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु निम्न माध्यमिक स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया को अपनाते हुए सबसे अच्छे विद्यार्थियों का चयन किया जाना चाहिए, और बाह्य परीक्षा परिणामों व विद्यालय अभिलेख के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रवेश दिया जाना चाहिए।

- वृहद पैमाने पर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाए और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निम्न माध्यमिक स्तर पर कुल नामांकन का 20 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कुल नामांकन का 50 प्रतिशत 1986 तक बढ़ाया जाए।

इस संदर्भ में सुझाई गई रणनीतियाँ इस प्रकार थी:

- व्यावसायिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के पूर्णकालिक और अंशकालिक सुविधाएँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कों और लड़कियों की आवश्यकता के अनुसार दोनों ही स्तरों पर उपलब्ध करानी चाहिए। जो विद्यार्थी कक्षा 6 एवं 7 के उपरांत पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विद्यालय छोड़ते हैं उनकी सहायता हेतु शिक्षा विभागों में विशेष अनुभाग स्थापित किया जाना चाहिए एवं उपरोक्त पाठ्यक्रमों का उत्तरदायित्व संगठन पर होना चाहिए।

- सामान्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निम्न और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बृहत पैमाने पर अंशकालिक शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। जिन्होंने कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाया है उनके लिए कृषि पाठ्यक्रमों और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान और घरेलू उद्योगों जैसे पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा।

- लड़कियों की शिक्षा के विस्तार की गति को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे लड़कियों और लड़कों का अनुपात 20 वर्षों में निम्न माध्यमिक स्तर पर 1:2 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1 : 3 तक पहुँच जाए। लड़कियों के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना, छात्रावासों और छात्रवृत्तियों का प्रावधान और अंशकालिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर विशेष ल दिया जाना चाहिए।

PDF Compressor Free Version



**अपनी प्रगति की जाँच करें – 3**

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

7. संरचना में परिवर्तन के अतिरिक्त विद्यालयी शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग की महत्वपूर्ण अनुशंसा क्या थी?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

8. आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

9. प्रथम कक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कम करने हेतु सुझाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए।

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

## 7.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968, (National Policy of Education – NPE-1968) शिक्षा आयोग (1964–66) की अनुशंसाओं पर आधारित थी, जिसे आपने पूर्व खंड में पढ़ लिया है। आयोग ने अनुशंसा की थी कि भारत सरकार को शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करनी चाहिए जो राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारों को शैक्षिक योजनाएँ तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए उनका मार्गदर्शन प्रदान करे। इसके अनुसार भारत सरकार द्वारा 1967 में संसद सदस्यों की एक समिति गठित की गई। इस समिति में पूरे देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख सदस्य सम्मिलित थे। उन्होंने एक मसौदा तैयार किया जिसे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने अपनी स्वीकृति दी।

### 7.4.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की संस्तुतियाँ

इस नीति ने अनेक पहलुओं पर अपनी संस्तुतियाँ दी जिन पर निम्नलिखित रूप में विमर्श किया जा रहा है:

**निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा**

14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की माँग करने वाले संविधान के अनुच्छेद 45 को शीघ्र परिपूर्ण करने के जोरदार प्रयास पर यह नीति बल देती है।

PDF Compressor Free Version



## अध्यापकों की स्थिति, पारिश्रमिक और शिक्षा

अध्यापक वह सबसे बड़े कारण हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। नीति ने अनुशंसित की है कि शिक्षक को समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त होनी चाहिए। उनकी पारिश्रमिक और अन्य सेवा शर्तें उनकी योग्यताओं और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त और संतोषजनक होनी चाहिए।

## भाषाओं का विकास

नीति भाषाओं के विकास के महत्व पर बल दिया है। हिन्दी, संस्कृत और अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया। यह विद्यालय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के रखने पर भी बल दिया।

**क्षेत्रीय भाषाएँ:** नीति के अनुसार देश के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास हेतु भारतीय भाषाओं और साहित्य का विकास निर्णायक है। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग न केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए, बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी अनुदेश के माध्यम के रूप में इन भाषाओं को अपनाने के लिए अतिशीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए।

**हिन्दी:** आगे, नीति में यह माँग की गई है कि हिन्दी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने हेतु सभी प्रयास किए जाएँ। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिन्दी भारत की मिश्रित संस्कृति को व्यक्त करने के एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 351 में प्रदत्त है।

**संस्कृत:** नीति ने यह पुनरावृत्ति की है कि "भारतीय भाषाओं की वृद्धि एवं विकास में संस्कृत के विशेष महत्व और भारत की सांस्कृतिक एकता में इसके अद्वितीय योगदान पर विचार करते हुए विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर इसके शिक्षण हेतु अधिक उदारतापूर्वक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

**अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएँ:** यह भी सोचा गया कि विज्ञान और तकनीकी के वैश्विक विकास के साथ–साथ चलने के लिए अंग्रेजी और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

**त्रिभाषा सूत्र:** नीति माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की। इसके लिए यह निर्देश था कि राज्य सरकारें त्रिभाषा सूत्र को अपनाएँ और उसे प्रबलता से लागू करें "जिसमें एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त प्राथमिकता के रूप में कोई एक दक्षिण भारतीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के साथ हिन्दी और ग़ैर–हिन्दी भाषी राज्यों में अंग्रेजी सम्मिलित है।"

## समान शैक्षिक अवसर

इस नीति ने यह निर्देश दिया कि अधिगम के समान अवसर प्रदान करने हेतु उत्साहपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गई:

- शैक्षिक सुविधाओं के प्रावधान में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारा जाना चाहिए और ग्रामीण व अन्य पिछड़े क्षेत्रों में अच्छी शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
- सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए समरूप विद्यालय पद्धति को अपनाया जाना चाहिए।

PDF Compressor Free Version



- लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, केवल सामाजिक न्याय के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक रूपांतरण को गतिमान करने के लिए।
- पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से जनजातियों के बीच शिक्षा के विकास हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए और विकलांग बच्चों को नियमित विद्यालयों में पढ़ने हेतु समर्थ बनाते हुए समाकलन कार्यक्रम विकसित करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 4**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

10. त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की व्याख्या कीजिए।

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

11. आयोग के अनुसार संस्कृत का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण था?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

12. समान शैक्षिक अवसर से सम्बन्धित अनुशंसा की व्याख्या कीजिए।

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

### प्रतिभा की पहचान

इस नीति ने यह निर्देशित किया कि उत्कृष्टता को बढ़ाने हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा की पहचान अल्प आयु में ही कर ली जाए और उसके पूर्ण विकास हेतु प्रत्येक अवसर प्रदान किया जाएँ।

### कार्य–अनुभव और राष्ट्रीय सेवा

यह अनुशंसा की गई कि पारस्परिक सेवा और सहयोग के उचित कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय और समुदाय को समीप लाया जाए। समुदाय सेवा एवं राष्ट्रीय पुनर्रचना के अर्थपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता सहित कार्य–अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा परिणामस्वरूप शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाएँ। इन कार्यक्रमों में आत्मनिर्भरता, चरित्र–निर्माण और सामाजिक वचनबद्धता की भावना के विकास पर बल दिया जाना चाहिए।

PDF Compressor Free Version



### विज्ञान शिक्षा और शोध

इस नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति बढ़ाने के लिए विज्ञान शिक्षा और शोध को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विज्ञान और गणित विद्यालय स्तर के अंत तक सामान्य शिक्षा के अभिन्न भाग होने चाहिए।

### परीक्षा सुधार

यह शिक्षा नीति परीक्षा पद्धति में सुधार पर बल दिया। यह अनुशंसा की गई है कि परीक्षा सुधार के मुख्य लक्ष्य दो स्तरों में होने चाहिए: (1) परीक्षाओं की विश्वसनीयता और वैधता को सुधारना; (2) मूल्यांकन को एक सतत् प्रक्रिया बनाना।

### माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की अनुशंसाएँ इस प्रकार थीं:

क) माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसर सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण का एक प्रमुख यंत्र है। माध्यमिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार जहाँ अभी तक नहीं हो पाया है वहाँ करना चाहिए।

ख) अर्थव्यवस्था को विकसित करने एवं वास्तविक रोजगार के अवसरों को सृजित करने हेतु माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रावधानों एवं सुविधाओं की आवश्यकता है। कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, गृह प्रबंध, कला और शिल्प, सचिवालीय प्रशिक्षण, आदि बहुसंख्य क्षेत्रों को समेटने हेतु इस प्रकार की विभिन्न सुविधाएँ होनी चाहिए।

### अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम

इस नीति में यह अनुशंसा की गई कि अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तृत पैमाने से विकसित किया जाए। इसी तरह की सुविधाएँ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु भी विकसित की जाएँ। अंशकालीन और पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का स्तर पूर्णकालिक शिक्षा के स्तर के समान होना चाहिए।

### शैक्षिक संरचना (ढाँचा)

इन नीति ने देश के सभी भागों में एक विस्तृत समरूप शैक्षिक संरचना बनाने की अनुशंसा की। इसका अन्तिम लक्ष्य 10+2+3 पद्धति को अपनाना था जैसे कि माध्यमिक स्तर को पूरा करने हेतु 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा, विद्यालयों में स्थित दो वर्षीय उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा और महाविद्यालयों में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 5**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

13. परीक्षा सुधार हेतु दी गई संस्तुतियों की व्याख्या कीजिए।

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

PDF Compressor Free Version



14. निम्नलिखित से सम्बन्धित अनुशंसाएँ क्या थीं:

    क) कार्य–अनुभव और राष्ट्रीय सेवा

    ......................................................................................................

    ......................................................................................................

    ......................................................................................................

    ख) शिक्षा की संरचना (ढाँचा)

    ......................................................................................................

    ......................................................................................................

    ......................................................................................................

## 7.5 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय 1968 से लेकर 1973 तक का था। यह "शिक्षा की यथोचित उन्मुखी पद्धति पर केन्द्रित थी जो न केवल विशिष्ट कार्यों के विकास हेतु कुशल मानवशक्ति के प्रशिक्षण द्वारा बल्कि शायद महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक अभिवृत्तियों एवं वातावरण के निर्माण द्वारा सामाजिक परिवर्तन में सहायता एवं प्रोत्साहन कर सकें और आर्थिक विकास में सहयोग दे सकें।" सार्वभौमिक मौलिक शिक्षा के लिए सुविधाएँ प्रदान करना समान शैक्षिक अवसरों के लिए पूर्वापेक्षित है।"

शिक्षा के प्रति पहुँच को इस प्रकार स्थापित गया था, "प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार को प्राथमिकता दी जाएगी और पिछड़े क्षेत्रों, समुदायों और लड़कियों हेतु सुविधाओं के प्रावधान पर बल दिया जाएगा। शैक्षिक संस्थाओं में आधारभूत संरचनाओं और उपकरणों की कमी को दूर किया जाएगा।"

अन्य महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार थे:

- अध्यापक शिक्षा में सुधार;
- विज्ञान शिक्षा का प्रसार एवं सुधार;
- परा–स्नातक शिक्षा और शोध के मानकों का उत्थान;
- भारतीय भाषाओं का विकास और पुस्तकों विशेष रूप से पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन; और
- बहु–शिल्पीय (polytechnique) शिक्षा के पुनर्गठन के साथ–साथ तकनीकी शिक्षा का समेकन और स्वरोजगार हेतु उद्योग जगत की आवश्यकताएँ एवं इनका उन्मुखीकरण।

इनके अतिरिक्त यह लोगों को शैक्षिक कार्यक्रमों में सम्मिलित करने और लोगों के सहयोग को गतिशील बनाने हेतु प्रयासों पर बल देता है। इसने निम्नलिखित पर बल दिया:

- विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम संभावनाओं सहित उपयोग करना;
- योजना की धारा प्रवाहिता, उन्हें लागू करना और शासन–तंत्र का मूल्यांकन करना;

PDF Compressor Free Version



- शैक्षिक तकनीकों के प्रयोग में वृद्धि करना;
- अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम;
- संप्रेषण के आधुनिक साधन (माध्यम);
- मानकों को बिना घटाए, न्यूनतम निवेश द्वारा उन्नति, प्रसार और विकास हेतु संस्थाओं की अधिकतम संख्या;
- प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से केवल सावधानीपूर्वक निर्माण के पश्चात् नए कार्यों का प्रारंभ; और
- पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों, सेवारत अध्यापकों की शिक्षा और शिक्षण विधियों में शोध में सुधार करना।

## 7.6 पंचम् पंचवर्षीय योजना

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 में आरंभ की गई और 1979 तक रही। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजगार के स्तर में वृद्धि करना, गरीबी कम करना और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। जब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई तब विश्व अर्थव्यवस्था बड़े संकट में थी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कमजोर आर्थिक दशाओं द्वारा उत्पन्न बाधाओं पर नियंत्रण हेतु एक संकटकालीन स्थिति में लागू की गई थी। इसे तत्कालीन समय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बनाया गया था। इसमें शिक्षा के विषय में कुछ विशेष नहीं था परंतु शिक्षा के जिन निहितार्थ मुद्दों पर बल दिया गया वे इस प्रकार थे:

- क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास के विसंगतियों को कम करना। इसमें सबके लिए आर्थिक वृद्धि पर बल दिया गया।
- भूमि सुधारों को लागू करते हुए कृषि दशाओं को सुधारना।
- सुसमन्वित कार्यक्रमों द्वारा स्वरोजगार के अवसरों में सुधार करना।
- शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर को कम करना।
- लघु श्रेणी उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- रसायनों, कागजों, खनिजों और यांत्रिक उद्योगों से जुड़े कार्यक्षेत्र में स्थानापन्न वस्तुओं के आयात में वृद्धि करना।
- औद्योगिक क्षेत्र में वित्त और साख से जुड़ी नीतियों को लागू करना।
- भारत में श्रमिक केन्द्रित उत्पादन तकनीक के महत्व पर बल देना।

## 7.7 छठी पंचवर्षीय योजना

छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक था। शिक्षा पर छठी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि "शिक्षा, आजीवन सीखने के अविरल प्रवाह के रूप में व्यापक रूप से विदित है जो प्रत्येक आयु स्तर पर मानव संसाधन विकास हेतु आवश्यक है।" समुदाय के लिए विकासशील आगत (इनपुट) के पैकेज के रूप में शिक्षा को मनुष्यों के जीवन स्तर और चरित्र को सुधारने हेतु प्रभावी साधन बनाने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के

PDF Compressor Free Version



बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए सहायता करनी चाहिए और उन्हें दैनिक जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के योग्य बनाना चाहिए।

योजना में कहा गया कि मानव संसाधन विकास कार्यक्रम में चार स्तरीय स्वरूप हैं जैसे:

- व्यक्तियों को उत्तरदायी नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकारने हेतु तैयार करना;
- उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही विकास की प्रक्रियाओं की सजगता का विकास करना;
- नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों हेतु उन्हें संवेदनशील बनाना जो एक बौद्धिक राष्ट्र हेतु मार्ग प्रशस्त करते हैं; और
- उनको ज्ञान, कौशलों और अभिवृत्तियाँ प्रदान करना जो उन्हें राष्ट्रीय विकास में उत्पादक कार्यक्रमों में योगदान हेतु सक्षम बन सकें।

योजना में कहा गया कि शिक्षा के इस परिप्रेक्ष्य, शिक्षा पद्धति और कार्यक्रमों को समझने के क्रम में लक्ष्यों और कार्यों के प्रति निर्देशित होना होगा और कार्य इस प्रकार हैं:

- जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षा में सभी अवसरों की समानता की सुनिश्चितता और समाज की सामान्य भलाई के प्रोत्साहन हेतु कार्यों में उनकी भागीदारी;
- सभी युवकों और वयस्क व्यक्तियों को आयु का विचार किए बिना समरस विकास के ढाँचा के अधीन आत्मपूर्ति के अपार साधनों को प्रदान करना जिसमें उस समुदाय की आवश्यकताएँ प्रतिबिंबित हों जिस समुदाय से वे जुड़े हैं;
- व्यक्तियों के शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आजीवन शिक्षा की सतत प्रक्रिया प्रदान करना और उनमें ऐसी क्षमताओं को मनःस्थापित करना ताकि ये प्रभावशाली सामाजिक परिवर्तन से निपट सकें।
- समुदाय के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में शिक्षा, रोज़गार और विकास के बीच गतिशील और लाभकारी सम्बन्ध स्थापित करना;
- राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और श्रम के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों में विश्वास और उनके प्रति आदर को बढ़ावा देना;
- विस्तार सेवाओं और निर्धनता में कमी तथा वातावरण सुधार के कार्यक्रमों द्वारा शिक्षण समुदायों को गरीबी, निरक्षरता और पर्यावरण विघटन की समस्याओं हेतु शैक्षिक समुदायों का ध्यानाकर्षण।
- राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित होने एवं सहभागिता हेतु युवाओं के विकास, गतिशीलता, संगठन एवं उपयोग में सहायता करना; और
- कला, संगीत, कविता, नृत्य और नाटक सहित संस्कृति, शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता के उपकरण के रूप में लोक कला की वृद्धि में सहयोग।

योजना में इस बात पर बल दिया गया कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लचीला और विविध आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को पूरा करने वाला होगा। जो विभिन्न क्षेत्रों और अभिकरणों के प्रयासों, ससांधनों तथा कार्यक्रमों के समन्वय पर बल देगा। शिक्षा की उच्च

PDF Compressor Free Version



गुणवत्ता को बनाए रखने, शैक्षिक उत्कृष्टता के लक्ष्य हेतु राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों की आवश्यकता हेतु इसकी प्रासंगिकता को व्यवस्था में संचारित करने की आवश्यकता है।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 5**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

15. चार महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए जिन पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था और उन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं।

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

16. छठी पंचवर्षीय योजना में व्यक्त मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों से संबंधित चार स्तरीय परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए।

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

## 7.8 सारांश

इस इकाई में हमने 1964 और 1985 के बीच विद्यालयी शिक्षा के विकास के विषय में पढ़ा। हमने शिक्षा आयोग 1964–66 जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की अनुशंसाओं पर विमर्श किया। हमने चतुर्थ, पंचम् और छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देते हुए कि किस प्रकार विद्यालय शिक्षा ने इनके अंतर्गत प्रगति की। शिक्षा आयोग 1964–66 और 1968 को लागू करने के पहलुओं पर चतुर्थ, पंचम् और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष ध्यान दिया गया है। विद्यालय शिक्षा सहित प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रणनीतियों का भी सुझाव दिया गया है। प्रस्तुत इकाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और फिर आगे पंचवर्षीय योजनाओं को समझने में विद्यार्थियों को एक आधार प्रदान करती है जिन पर अगली इकाई में चर्चा की गई है।

## 7.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन


अग्रवाल, जे.सी. (1984). *लैंडमार्क्स इन दि हिस्ट्री ऑफ माडर्न इंडियन एजुकेशन*, दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड।

अग्रवाल, जे.सी. (1985), *डेवेलपमेन्ट एंड प्लानिंग ऑफ माडर्न एजुकेशन*, दिल्ली: वाणी एजुकेशनल बुक्स।

चौबे, एस.पी. (1988). *हिस्ट्री एंड प्रौब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन*, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।

भारत सरकार, (1966). *एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, रिपोर्ट ऑफ दि एजुकेशन कमीशन, 1964–66*, दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

PDF Compressor Free Version



भारत सरकार, (1968). *नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन*, दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

भारत सरकार, (1968). *रिपोर्ट ऑफ दि रिव्यू कमेटी ऑन दि वर्किंग ऑफ नेशनल काउन्सिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रैनिंग*, दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.।

भारत सरकार, (1969). *फोर्थ फाइव ईयर प्लान (1969–1974)*, दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (1974). *फिफ्थ फाइव ईयर प्लान (1975–1979)*, दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (1980). *सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान (1980–1985)*, दिल्ली: भारत सरकार।

मुखोपाध्याय, एम. (1999), "स्कूल एजुकेशन" इन मुखोपाध्याय, एम. एवं अन्य (संपा.), *इंडियन एजुकेशन: डेवलेपमेंट सिंस इंडीपेंडेन्स*, नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड।

(टिप्पणी: शिक्षा आयोग 1964–66 की रिपोर्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 और चौथी, पाँचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं की रिपोर्ट भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जिनका इस इकाई की विषयवस्तु के विकास में संदर्भित किया गया है।)

## 7.10 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

1) रिपोर्ट को तीन भागों में विभाजित किया गया है जैसे शैक्षिक पुनर्रचना के सामान्य पहलुओं का वर्णन, विद्यालय शिक्षा के पहलू और शैक्षिक योजना, प्रशासन और वित्त।

2) स्व–अभ्यास।

3) स्व–अभ्यास।

4) स्व–अभ्यास।

5) स्व–अभ्यास।

6) 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा, 2 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्षीय स्नातक/महाविद्यालय शिक्षा।

7) स्व–अभ्यास।

8) व्यक्तियों को उत्तरदायी और कुशल नागरिक के रूप में तैयार करें।

9) कक्षा 1 और 2 को एकीकृत करना और यदि संभव हो तो कक्षा 1 से 4 तक जोड़ना, एक वर्षीय पूर्व विद्यालय शिक्षा को प्रारंभ करते हुए और खेल विधि से शिक्षण प्रदान करना।

10) स्व–अभ्यास।

11) देश की सांस्कृतिक एकता के लिए इसके अद्वितीय सहयोग से सम्बन्धित।

12) स्व–अभ्यास।

13) परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता में सुधार करना और जाँच को एक सतत् प्रक्रिया बनाना।

14) स्व–अभ्यास।

15) स्व–अभ्यास।

16) स्व–अभ्यास।

PDF Compressor Free Version

# इकाई 8 विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1986 एवं तत्पश्चात्

संरचना

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 – एक अवलोकन

8.3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की मौलिक विशेषताएँ

8.4 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992

8.4.1 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 की मौलिक विशेषताएँ

8.5 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 2006–2009

8.5.1 ज्ञान पंचभुज

8.5.2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट और संस्तुतियाँ

8.6 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005

8.6.1 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 : संस्तुतियों का सारतत्व

8.7 शिक्षक–शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009

8.8 सातवीं पंचवर्षीय योजना से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

8.8.1 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990)

8.8.2 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–1997)

8.8.3 नौंवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

8.8.4 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)

8.8.5 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)

8.8.6 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)

8.9 सारांश

8.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

8.11 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

## 8.1 प्रस्तावना

इस इकाई में हम बीसवीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भारतीय शिक्षा के विकास के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस इकाई का मुख्य सरोकार शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन, शिक्षा के सामाजिक आधार का विस्तार और सभी समूहों के लिए इसकी उपलब्धता आदि पर है। इकाई का आरंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (National Policy of Education - NPE) की संस्तुतियों और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 पर परिचर्चा द्वारा होता है। इस इकाई को विकसित करने में विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित संस्तुतियों के मुख्य बिन्दुओं पर अधिक महत्व दिया गया है। यह इकाई आगे विद्यालयी और शिक्षक–शिक्षा के आधुनिक विकास जैसे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संस्तुतियों, 2006–2009, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और शिक्षक–शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा,

PDF Compressor Free Version



2009 पर चर्चा करती है। पूर्ववर्ती इकाइयों की भाँति यह इकाई भी सातवीं पंचवर्षीय योजना से बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित संस्तुतियों का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

## 8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 की संस्तुतियों की विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में परिचर्चा कर सकेंगे;
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 2006–2009 की संस्तुतियों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- विद्यालयी शिक्षा के विकास एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 (NCF - 2005) और शिक्षक–शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 (NCFTE-2009) की अनुशंसाओं से सम्बन्धित इसके शिक्षाशास्त्रीय सरोकार पर विमर्श करेंगे; और
- सातवीं से बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित संस्तुतियों का समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकेंगे।

## 8.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 — एक अवलोकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने तर्क दिया कि एक स्थिर समाज को वचनबद्धता, विकास एवं परिवर्तन के साथ जीवंत समाज में आवश्यक रूपांतरण ही शिक्षा की भूमिका है। नीति ने शिक्षित समाज को बढ़ावा देने के लिए समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा की पहुँच की आवश्यकता और सतत् शिक्षा की प्रक्रिया में उनकी संलग्नता को स्वीकार किया। यह नीति नई पीढ़ी को इक्कीसवीं शताब्दी में पर्दापर्ण हेतु आवश्यक कौशलों और दक्षताओं से सुसज्जित करने में शिक्षा की भूमिका पर विशेष बल भी देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 बारह भागों में विभाजित है। रिपोर्ट के विभिन्न भागों में शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है। आइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें।

### 8.3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मौलिक विशेषताएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- यह नीति शिक्षा के विकेन्द्रीकरण और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) की स्थापना पर अधिक केन्द्रित है।
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में व्यय को 6 प्रतिशत तक बढ़ाकर शिक्षा हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराना।
- पूरे देश में शिक्षा के एक समान प्रतिरूप 10+2+3 को शीघ्र लागू करने की अनुशंसा की गई।

PDF Compressor Free Version



- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों का पुनर्संगठन करना। विद्यालय की पाठ्यचर्या को पुनर्संगठन करने की भी अनुशंसा की गई।
- पूर्व–बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा को महत्व दिया गया। भोजन और स्वस्थ वातावरण की समुचित उपलब्धता की भी अनुशंसा की गई।
- प्राथमिक स्तर की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ–साथ विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की भी संस्तुति की गई।
- माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन की अनुशंसा की गई। विद्यालय के अनिवार्य विषयों जैसे, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांख्यिकी, मानविकी, इतिहास और कुछ अवधारणाओं जैसे, नागरिक के राष्ट्रीय और सांविधानिक उत्तरदायित्व का विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु विशेष महत्व दिया गया।
- मुक्त विश्वविद्यालय और दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों के प्रारंभ द्वारा उच्च शिक्षा का विस्तार करना था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को समान दर्जा और मान्यता प्रदान किया जाना था।
- तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा की भूमिका को मान्यता दी जाए।
- सतत् और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित करके मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाए।
- नौकरी हेतु उपाधि को अलग किया जाए और कौशल आधारित अधिगम पर अधिक बल दिया जाए।
- शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रम में सुधार की संस्तुति की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को सांविधानिक दर्जा प्रदान किया जाए और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) और शिक्षक–शिक्षा केन्द्रों (CTEs) की स्थापना की जाए।
- शिक्षा में सुधार हेतु भारतीय कक्षाओं में शैक्षिक तकनीकी को लागू करने की सिफारिश की गई।
- शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Learning Level – MLL) निश्चित किया गया।
- महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम आदि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष स्थान देकर सभी के लिए अवसर की समानता की व्यवस्था की जाए।
- सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए और अधिक विद्यालय खोले जाएँ और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।
- शारीरिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा (Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage - IEDSS) की योजना का शुभारंभ किया गया।

PDF Compressor Free Version



**अपनी प्रगति की जाँच करें — 1**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

## 8.4 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद द्वारा मई, 1986 में अपनाया गया। मई, 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा की गई और उसमें संशोधन के लिए अनुशंसा देने के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने दिसम्बर, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (CABE) के अनुरोध राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन, राममूर्ति समिति की रिपोर्ट और नीति को प्रभावित करने वाली अन्य प्रासंगिक विकासों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री. एन.जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1992 में अपनी रपोर्ट प्रस्तुत की।

### 8.4.1 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 की मौलिक विशेषताएँ

समिति द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए गए:

- बालिकाओं, विशेषतः 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं/महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराई गई।
- कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों आदि के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, लेखन सामग्री (stationery), पुस्तकें और निःशुल्क शिक्षा के रूप में विशेष प्रावधान किए गए।
- पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास सुविधाएँ, बहुशिल्पीय शिक्षा (Polytechnic education), कोचिंग और शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं के समाधान के प्रयास किए गए।
- ग़ैर–सरकारी संगठनों के लिए नए विशेष विद्यालय खोलने और विद्यार्थियों को व्यासायिक प्रशिक्षण देने के लिए इस क्षेत्र में आगे आने के प्रावधान किए गए।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा शिक्षा प्रदान करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए गए।
- पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा से सम्बन्धित आँगनवाड़ियों और बालवाड़ियों की स्थापना प्रावधान हेतु की गईं।

PDF Compressor Free Version



- निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान किए गए। विद्यालय में नामांकन के अनुसार शिक्षकों की न्यूनतम संख्या का सुझाव दिया गया।
- माध्यमिक शिक्षा में +2 स्तर तक वृद्धि के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के प्रावधान किए गए।
- नवोदय विद्यालयों की गुणक्ता में वृद्धि और दूसरे विद्यालयों के लिए एक आदर्श स्थापित करने पर बल दिया गया।
- उद्योग और रोजगार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान किए गए।
- उच्च शिक्षा में, स्व–पोषित विश्वविद्यालयों हेतु प्रावधान किए गए।
- प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मुक्त विश्वविद्यालय खोलने और इग्नू द्वारा इसे तकनीकी सहायता देने और दूरवर्ती शिक्षा परिषद द्वारा इसे नियंत्रित होने का प्रावधान किया गया।
- उपाधि को नौकरी से पृथक करने का प्रावधान किया गया। युवाओं को कौशल और दक्षता प्राप्त करने पर अविक बल दिया गया।
- ग्रामीण विश्वविद्यालयों और संस्थानों को खोलने का प्रावधान था। गैर–सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का सुझाव दिया गया।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council of Technical Education - AICTE) स्थापित करने के सुझाव दिए गए।
- शिक्षा में क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने पर भी बल दिया गया।
- यह भी सुझाव दिया गया कि अनुसंधान केवल उपाधि प्राप्त करने तक ही सीमित न रहे बल्कि इसके परिणाम का प्रभाव समाज को भी प्रभावित करें।
- भाषाओं के विकास के लिए त्रिभाषा–सूत्र को बढ़ावा दिया गया और हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने की अनुशंसा की गई।
- संचार माध्यम, रेडियो, कम्प्यूटर और नई तकनीकों को शिक्षा प्रक्रिया के अंग के रूप में सम्मिलित करने की भी अनुशंसा की गई।
- खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों पर बल दिया गया। विद्यार्थियों को एन.सी.सी. और एन.एस.एस. में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया।
- मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाकर और मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुचित साधनों का बहिष्कार कर प्रत्येक विषय में न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करने की संस्तुति की गई।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs), शिक्षक–शिक्षा केन्द्रों (CTEs) और उन्नत शिक्षा अध्ययन केन्द्रों (IASEs) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को सांविधानिक दर्जा दिए जाने की संस्तुति की गई।

PDF Compressor Free Version



- शिक्षा के विकेन्द्रीकरण और इस क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों को भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की संस्तुति भी की गई।

**अपनी प्रगति की जाँच करें — 2**

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

2. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 की शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण से सम्बन्धित संस्तुतियाँ क्या हैं?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3. त्रिभाषा–सूत्र की व्याख्या कीजिए।

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

## 8.5 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006–2009

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowledge Commision - NKC), भारत के प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति है, जिसका उद्देश्य भारत को एक ज्ञानात्मक समाज में रूपांतरण है। यह देश के ज्ञानात्मक परिदृश्य को बदलने का एक प्रयास था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ज्ञान की पहुँच, ज्ञान के संप्रत्यय, ज्ञान की रचना, ज्ञान की पहुँच, ज्ञान का अनुप्रयोग और ज्ञान सेवाओं के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसे ज्ञान पंचभुज के रूप में जाना जाता है। आइए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के ज्ञान पंचभुज की चर्चा करते हैं।

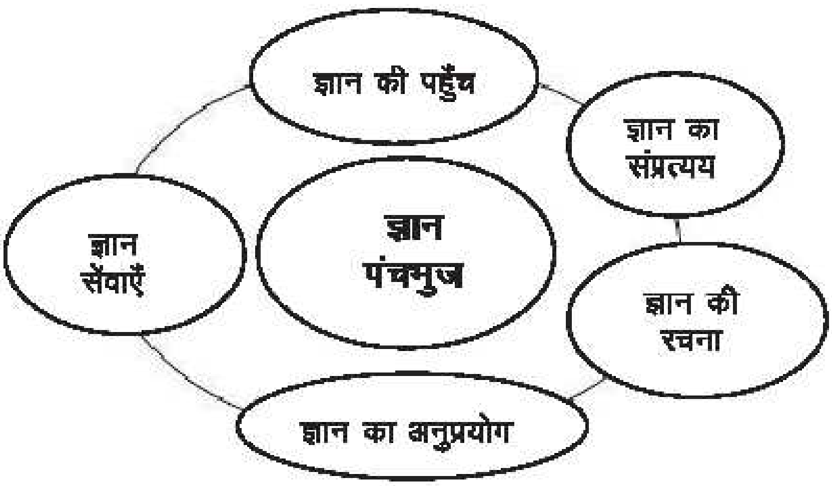


आकृति 1: ज्ञान पंचभुज

PDF Compressor Free Version



### 8.5.1 ज्ञान पंचभुज

**ज्ञान की पहुँच के क्षेत्र**

ज्ञान की पहुँच ज्ञानात्मक समाज के सर्वाधिक आधारभूत मुद्दों में से एक है। यद्यपि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और प्रयोगशालाओं में वृहद मात्रा में ज्ञान का उत्पादन होता है परंतु जब तक अधिसंख्य लोग वास्तविक रूप से इसे ग्रहण करने, समाहित करने और संचारित करने के पर्याप्त साधनों को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक यह ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं होगा। ज्ञान की पहुँच का संप्रत्यय चार तत्वों से मिलकर बना है:

- व्यक्ति में ज्ञान को प्राप्त करने और उसको समझने की योग्यता होनी चाहिए।
- जिन व्यक्तियों में ज्ञान को प्राप्त करने और समझने की योग्यता हो वे इसे तत्परता से प्राप्त करते हैं।
- राज्य का वास्तविक ज्ञान और इसकी गतिविधियाँ जनसामान्य को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- पहुँच, मुख्यधारा की ज्ञान प्रणालियों से अलग व्यक्तियों अथवा समूहों के अवसरों को बढ़ाने के विषय में है।

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध प्रौढ़ शिक्षा, मौजूदा लोक पुस्तकालयों का प्रतिपादन, लोक संचार प्रणाली की मजबूती, वेबआधारित राष्ट्रीय पोर्टलों का विकास और इंटरनेट और तकनीकी का प्रयोग आदि ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण विषय हैं।

**ज्ञान की अवधारणाएँ**

ज्ञान में विकास और इसका प्रयोग मानवीय प्रयासों का प्रतिफल है; इसलिए यह अत्यावश्यक है कि मानवीय पूँजी के मजबूत आधार के निर्माण करने के क्रम में हम युवा जनसंख्या के कौशलों और बौद्धिक क्षमताओं को पोषित करें ताकि भारत एक सुदृढ़ ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो सके। ज्ञान की अवधारणाएँ शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से संगठित, वितरित और संचारित होती हैं। किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए शिक्षा एक प्रबल साधन है। यह व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सोचने, उचित निर्णय लेने, और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रवृत्तियों के प्रति सजग रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। ज्ञान की अवधारणा के समक्ष आने वाले मुद्दे निम्नलिखित पर केन्द्रित हैं:

- उपयुक्त शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से मानवीय संसाधनों, शिक्षाशास्त्रीय विधियों, पाठ्यचर्या, आधारभूत संरचना और शैक्षिक मानकों के जटिल अंतर्संबन्धों पर निर्भर करती है।
- 10 करोड़ अशिक्षित बच्चों को मुख्यधारा में लाने की विशिष्ट पहल की आवश्यकता है।
- प्रारंभिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना की मजबूती, शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि और शैक्षिक मानकों में सुधार।
- माध्यमिक शिक्षा को प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के बीच में महत्वपूर्ण मध्यस्थ कड़ी के रूप में स्वीकारोक्ति की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए कम दुष्कर और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु नवाचार को अपनाने की आवश्यकता है।

PDF Compressor Free Version



- पर्याप्त वित्त, नियामक रूपरेखाएँ और पाठ्यचर्या, निजी क्षेत्र की भागीदारी, शैक्षिक मानकों और उच्च शिक्षा में शोध की आवश्यकता।

- सूचना तकनीकी/प्रौद्योगिकी (IT), औषधि, कानून, अभियांत्रिकी आदि में भारत की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाना।

- उत्कृष्ट तकनीकविद और अन्य निपुण कामगारों और हस्तशिल्पियों को बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता।

- औपचारिक शिक्षा मानवीय पूँजी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हुए भी, सभी व्यक्ति इसमें भागीदारी नहीं दे पाते हैं। संसाधनों का आवश्यक रूप से विकास किया जाना चाहिए ताकि औपचारिक शिक्षा के व्यवहार्य विकल्प के रूप में दूरवर्ती शिक्षा का विकास किया जाए।

- सभी कार्यों के लिए विशेष रूप से निजी क्षेत्र में जीवन पर्यन्त सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- भाषा न केवल ज्ञान की अवधारणा में बल्कि ज्ञान की पहुँच और अनुप्रयोग में भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। ज्ञान का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद यह सुनिश्चित करेगा कि ज्ञान, समाज में समान रूप से उपलब्ध है और क्षेत्रीय ज्ञान को प्रयोग और विश्लेषण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

**ज्ञान का निर्माण**

यद्यपि भारत के पास ज्ञान को विदेशों से लेने अथवा खरीदने का विकल्प मौजूद है फिर भी स्वदेशी अनुसंधानों विशेषतः विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ावा द्वारा ज्ञान की आत्मनिर्भरता को निर्मित करना महत्वपूर्ण है। कोई राष्ट्र दो तरीकों से विकास कर सकता है: विद्यमान संसाधनों के उत्तम प्रयोग को सीखकर अथवा नए संसाधनों को खोजकर। दोनों ही क्रियाकलापों में अनुसंधान और नवाचार की विधि से ज्ञान निर्माण की पर्याप्त मात्रा सम्मिलित होती है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि:

- उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जिससे उन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं में भेजा जा सके।

- अनुसंधान को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक संस्थानों से जोड़ा जाए ताकि एक सहजीवी सम्बन्ध को बढ़ावा दिया जा सके जिसमें अनुसंधान अधिक अनुशासित होता है और वितरण और अनुसंधान और विकास (Research and Development – R&D) में कम लागत पर निजी क्षेत्र के लाभों पर ध्यान केन्द्रित हो।

- निजी निवेश (घरेलू और विदेशी दोनों) अथवा अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निजी सहभागिता को अनुमति देकर अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के वित्तीय स्रोतों में विविधता लाई जाए।

- स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर उद्यमिता के प्रोत्साहन द्वारा राष्ट्रीय नवाचार संस्था के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन तथा नए उपागमों एवं कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के क्रम में अंतर्विषयी अध्ययनों को प्रोत्साहित करना।

PDF Compressor Free Version



### ज्ञान का प्रयोग

ज्ञान का निर्माण दिशाहीन नहीं हो सकता है। हमें अपनी बौद्धिक सम्पदा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए जिससे इनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ज्ञान के प्रयोग में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित हैं:

- तकनीकी परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने और सूचनाओं के विश्वसनीय और निरंतर प्रवाह में सहायता के लिए ज्ञान का लाभकारी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है।
- शिक्षा, संचार और कृषि के क्षेत्र में हाल ही में किए गए असार्वजनिक पहल यह प्रदर्शित किए हैं कि ज्ञान का गरीब ग्रामीणों की भलाई के लिए प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उन क्षेत्रों जैसे शिक्षा, कृषि, ग्रामीण और परंपरागत ज्ञान आदि को चिन्हित किए हैं जिनमें ज्ञान के प्रयोग द्वारा महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न किया जा सकता है।

### ज्ञान सेवाएँ

ज्ञान सेवाओं में निवेश आम आदमी के लिए बड़े पैमाने पर लाभ उत्पन्न करेगा। तकनीक में सरकारी सेवाओं एवं कार्य को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने की क्षमता है। ई–गवर्नेंस (शासन) भारतीय नागरिकों की सरकार के प्रति समझ और अंतःक्रिया के तरीके को बदल सकती है।

- ज्ञान सेवाओं, जो ई–गवर्नेंस के नाम से लोकप्रिय हैं, के प्रयोग में नागरिकों का राज्य के साथ अंतःक्रिया विभिन्न बिन्दुओं के सरलीकरण की संभावना है। अंतःक्रिया के ये बिन्दु अनैतिक क्रियाकलापों और धन कमाने के लिए परंपरागत रूप से आलोचनीय हैं।
- यह लोगों में भय की संस्कृति को भी उत्पन्न किया है, जो प्रायः सरकारी सेवाओं के पहुँच के प्रयास के दौरान स्वयं को पूर्णतया प्रथम पायदान के सरकारी अधिकारियों की दया पर निर्भर पाते हैं।
- तकनीकी हमें हमारे लोकतंत्र, नौकरशाही के इन निंदनीय तत्वों के उन्मूलन करने और सरकारी सेवाओं में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और प्रभावकता सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करती है।

## 8.5.2 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट और संस्तुतियाँ

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट में, शिक्षा के तीन पहलुओं, विस्तार (extension), उत्कृष्टता (excellence) और समावेशन, (indusion), पर विस्तार से चर्चा की गई है।

### विस्तार

- उच्च शिक्षा व्यवस्था में देशव्यापी लगभग 1500 विश्वविद्यालयों हेतु अवसरों के व्यापक स्तर पर विस्तार की आवश्यकता है जो 2015 तक भारत को 15 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
- उच्च शिक्षा हेतु स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण (Independent Regulatory Authority on Higher Education - IRAHE) की स्थापना की अनुशंसा की।

PDF Compressor Free Version



- सार्वजनिक व्यय और वित्त के विविध स्रोतों को बढ़ाया जाए। उच्च शिक्षा व्यवस्था का विस्तार वित्तीय स्तर को बढ़ाए बिना संभव नहीं है। यह आवश्यक रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से आना चाहिए।
- 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए जो उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

**उत्कृष्टता**

- उच्च शिक्षा के रूपांतरण के प्रयास में विद्यमान संस्थानों में सुधार करना चाहिए।
- स्नातक शिक्षा हेतु संबद्ध महाविद्यालयों की व्यवस्था, जो अब से 50 वर्ष पूर्व उचित थी, वर्तमान परिस्थितियों में अधिक पर्याप्त अथवा उपयुक्त नहीं है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। वास्तव में विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों की व्यवस्था की पुनर्संरचना की अत्यावश्यकता है।
- उच्च शिक्षा का विस्तार, जो विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान करता है और संस्थानों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है, उत्तरदायित्वों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा।

**समावेशन**

- शिक्षा सामाजिक समावेशन के लिए एक आधारभूत तंत्र है। अतः यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए।
- आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अलाभान्वित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की पहुँच यथार्थतः अधिक प्रभावशाली तरीके से बढ़ाने की सुनिश्चितता उच्च शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

**मुख्य संस्तुतियाँ**

- वर्तमान में, भारत में लगभग 350 विश्वविद्यालय हैं। पूरे देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए ताकि भारत 2015 तक सकल नामांकन के कम से कम 15 प्रतिशत अनुपात को प्राप्त कर सके।
- कम से कम तीन वर्षों में पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, आंतरिक मूल्यांकन के साथ–साथ संपूरक वार्षिक परीक्षा, पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रणाली का संचालन, और कार्य की दशाओं और प्रोत्साहनों में सुधार द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करके विद्यमान विश्वविद्यालयों में सुधार किया जाना चाहिए।
- राज्य स्नातक शिक्षा शिक्षा बोर्ड के साथ–साथ एक केन्द्रीय स्नातक शिक्षा बोर्ड भी स्थापित किया जाना चाहिए जो संबद्ध स्नातक महाविद्यालयों हेतु पाठ्यक्रम और परीक्षाओं का आयोजन करेगा।
- उच्च शिक्षा हेतु एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण (IRAHE) बनाया जाना चाहिए। यह सभी हितधारकों से स्वतंत्र होना चाहिए और इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जानी चाहिए।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अनुदानों के भुगतान और उच्च शिक्षा के सार्वजनिक संस्थानों के रखरखाव पर ध्यान केन्द्रित करेगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council

PDF Compressor Free Version



of India), भारतीय विधि परिषद (Bar Council of India - BCI) और शिक्षा से सम्बन्धित अन्य नियामक संस्थानों का कार्य उच्च शिक्षा हेतु एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

- आई.आर.ए.एच.ई. को मानकों के निर्धारण और निरीक्षण, उपाधि प्रदान करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने, मान्यता देने वाले अभिकरणों की अनुज्ञप्ति और विवादों के निपटारे का अधिकार होगा। सभी प्रकार के संस्थानों पर चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, घरेलू हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय सभी नियम समान रूप से लागू होंगे।
- शिक्षा की गुणवत्ता आवश्यक सूचना प्रकटीकरण के कठोर नियम, शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन, प्रतिभाशाली प्राध्यापकों के ठहराव के लिए विश्वविद्यालयों में एवं इनके मध्य वेतन में भिन्नता के मुद्दे पर पुनर्विचार, विदेशी संस्थानों का भारत में प्रवेश और भारतीय संस्थानों को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए नीतियों का निर्धारण करके बढ़ाया जा सकता है।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 3**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

4. ज्ञान पंचभुज की व्याख्या कीजिए।

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

5. माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC) की संस्तुतियों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

## 8.6 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 भारतीय विद्यालयों के साथ–साथ शिक्षक–शिक्षा के पुनरूद्धार के लिए संपूर्ण दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 के निर्देशक सिद्धान्तों में ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने, पाठ्यचर्या का इस प्रकार संवर्द्धन करने की यह पाठ्यपुस्तकों से आगे जा सके, सुनिश्चित करना कि अध्येता रटंत विधियों से दूर रहे तथा परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाया तथा उन्हें कक्षागत जीवन में एकीकृत करने पर बल दिया गया है।

PDF Compressor Free Version



### 6.6.1 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 : संस्तुतियों का सारतत्व

**अधिगम और ज्ञान**

अधिगम को एक आनंददायी गतिविधि बनाई जानी चाहिए। पाठ्यचर्या की संरचना और विद्यालय का ढाँचा ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यालय विद्यार्थियों के लिए आनंददायक स्थान बन सके जहाँ वे स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। पाठ्यचर्या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर आधारित होनी चाहिए और बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

समावेशी शिक्षा को वरीयता की जानी चाहिए और पाठ्यचर्या में लचीलापन विद्यमान होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के कई पक्षों की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। अधिगम में सृजनात्मक उपागम को पाठ्यचर्या के अंग के रूप में अपनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए कक्षा में परिस्थितियों और अवसर उत्पन्न करने की आवश्यकता है जिससे वे चुनौतियों का सामना करने, रचनात्मकता प्रदर्शित करने, समस्या समाधान उपागम का विकास और समाज में सक्रिय भागीदारी देने के लिए तैयार हो सकें।

**पाठ्यचर्या क्षेत्र, विद्यालय स्तर एवं मूल्यांकन**

आइए, अब हम पाठ्यचर्या क्षेत्रों में सम्मिलित मूल विषयों के साथ–साथ सम्बन्धित अध्ययन क्षेत्रों की चर्चा करें:

**भाषा**

विद्यालयी विषयों और अध्ययन क्षेत्रों में विद्यार्थियों में बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के कौशलों का विकास करना। प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक बालकों में ज्ञान के सृजन में उनकी आधारभूत भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है। बालक की मातृभाषा को शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम मानने पर बल देते हुए त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित करके एक नवीन प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें जनजातीय भाषाएँ भी सम्मिलित हैं। अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अपना स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता है।

**गणित**

गणित में केवल गणित का ज्ञान गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। गणित शिक्षण को बालकों की चिंतन एवं तर्क की योग्यता अमूर्त संप्रत्ययों की कल्पना करने तथा उन्हें संचालित करने, समस्याओं का निर्माण और उनके समाधान की योग्यता में वृद्धि होनी चाहिए। गुणवत्तापरक गणित शिक्षण की प्राप्ति प्रत्येक बालक का अधिकार है।

**विज्ञान**

विज्ञान शिक्षण की विषयवस्तु, प्रक्रिया और भाषा विद्यार्थियों के आयु वर्ग और संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षण को विद्यार्थियों को विधियों और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने में संलग्न रखना चाहिए जिससे उनकी जिज्ञासा और सृजनात्मकता, विशेषतः पर्यावरण से सम्बन्धित जिज्ञासा और सृजनात्मकता पोषित होगी और इसे बच्चों को कार्य संसार में प्रवेश हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशलों से सज्जित करने के लिए उनके पर्यावरण के विस्तृत क्षेत्र में स्थान दिया जाना चाहिए। पर्यावरणीय सरोकारों की जागरूकता विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए।

PDF Compressor Free Version



### सामाजिक विज्ञान

सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु परीक्षा के लिए तथ्यों को याद करने हेतु रेखांकित करने की अपेक्षा अवधारणात्मक समझ पर केन्द्रित होने की आवश्यकता है और बच्चों को सामाजिक मुद्दों के स्वतंत्र चिंतन एवं आलोचनात्मक विचार की योग्यताओं से सुसज्जित करें। मुख्य राष्ट्रीय मुद्दों जैसे लिंग, न्याय, मानव अधिकार और सीमांतीकृत एवं अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता के लिए अंतर्विषयक उपागम के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। नागरिक शास्त्र को राजनीति विज्ञान के रूप में भूमिका निभानी चाहिए और बच्चों में अतीत की अवधारणाओं के निर्माणकारी प्रभाव के रूप में इतिहास के महत्व और नागरिक पहचान को मान्यता मिलनी चाहिए।

### कार्य

ज्ञान प्राप्ति में शिक्षाशास्त्रीय माध्यम मूल्यों के विकास और बहुकौशल निर्माण के रूप में कार्य में अंतर्निहित शैक्षणिक शक्ति को समझने के लिए पूर्व–प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक विद्यालय की पाठ्यचर्या के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

### कला

संगीत और नृत्य के लोक और शास्त्रीय स्वरूप, दृश्य कलाएँ (Visual Arts), कठपुतली कला, मिट्टी का कार्य, रंगमंच कला और परंपरागत शिल्पों को विद्यालय पाठ्यचर्या के अभिन्न घटकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अभिभावकों, विद्यालय अधिकारियों और प्रशासकों के मध्य इनकी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और सौंदर्यात्मक आवश्यकता में प्रासंगिकता के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कला विषय का समावेश होना चाहिए।

### शान्ति

विद्यालयी शिक्षा के सभी विषयों में पूरे विद्यालय वर्ष में शान्तिपरक मूल्यों को प्रासंगिक गतिविधियों के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शान्ति शिक्षा को शिक्षक–शिक्षा के घटक का रूप ले लेना चाहिए।

### योग, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा

यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (योग सहित) कार्यक्रमों के माध्यम से यह संभव है कि विद्यालय में नामांकन, ठहराव और पूर्णता आदि मुद्दों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जा सके।

### आवास और अधिगम

सभी स्तरों पर विविध विषयों के शिक्षण में पर्यावरणीय मुद्दों एवं सरोकारों को सम्मिलित करके, और यह सुनिश्चित करके कि समुचित गतिविधियों के लिए उपयुक्त समय निर्धारित किया गया है, पर्यावरण शिक्षा को उत्तम रूप से जारी किया जा सकता है।

### विद्यालय और कक्षाकक्ष का वातावरण

न्यूनतम आधारभूत ढाँचा और भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता और लचीली दैनिक कार्य योजना शिक्षक निष्पादन में सुधार के लिए निर्णायक है। विशिष्ट गतिविधियाँ जो सभी बच्चों – सक्षम और अक्षम की भागीदारी सुनिश्चित करें सभी के लिए अधिगम की आवश्यक दशाएँ हैं। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन का मूल्य विकसित करना सदैव की तरह आज भी प्रासंगिक है। किसी विषय

PDF Compressor Free Version



क्षेत्र में ज्ञान और अनुभवों को साझा करने में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी विद्यालय और समुदाय के बीच सहभागिता के निर्माण में सहायक है। संप्रत्ययों के विकास, गतिविधियों, समस्याओं और अभ्यासों, परावर्ती चिंतन और समूह कार्य को प्रोत्साहन पर केन्द्रित पाठ्यपुस्तकों के रूप में अधिगम संसाधनों का पुनर्यधारणा है। नए परिप्रेक्ष्यों और विचारधारा पर आधारित पूरक पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों, शिक्षक संदर्भिका आदि को लागू करने की आवश्यकता है। विद्यालय कैलेण्डर की विकेन्द्रीकरण योजना, शिक्षकों के व्यावसायिक अभ्यास के लिए दैनिक कार्य योजना और स्वायत्तता अधिगम वातावरण निर्मित करने हेतु आधारभूत तत्व है।

**व्यवस्थित (क्रमागत) सुधार**

गुणवत्ता का मुद्दा, व्यवस्थित सुधार की एक मुख्य विशेषता है, जिसका अभिप्राय व्यवस्था की कमजोरियों के उपचार और नई क्षमताएँ विकसित करने की योग्यता को बढ़ाकर व्यवस्था में सुधार है। देश के विभिन्न प्रदेशों की तुलनात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक सामान्य विद्यालय व्यवस्था को विकसित करना अपेक्षित है और यह भी सुनिश्चित करना कि जब विभिन्न पृष्ठभूमियों के बालक एक साथ पढ़ते हैं तो इससे अधिगम की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है और विद्यालय का वातावरण समृद्ध बनता है। पुनर्निरूपित शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रम जो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, सहभागी अधिगम, ज्ञान निर्माण में शिक्षक, एक सुविधादाता के रूप में, सिद्धान्त और अभ्यास और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य से परंपरागत भारतीय समाज की मुद्दों और विषयों में संलग्नता में विश्वास करता है।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 4**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

6. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 के मूलभूत सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

7. विद्यालयी शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 द्वारा अनुशंसित व्यवस्थागत सुधार की संस्तुतियों का विश्लेषण कीजिए।

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

## 8.7 शिक्षक–शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 एवं शिक्षक–शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 के सिद्धान्तों के परिदृश्य में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विकसित विभिन्न शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षण की तैयारी हेतु शिक्षण–शास्त्रीय और

PDF Compressor Free Version



गुणवत्तापरक मुद्दों की आवश्यकता को पूरा करता है। शिक्षक–शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 ने निम्न बातों पर ध्यान केन्द्रित किया:

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक–शिक्षा की एक रूपरेखा तैयार की जो संदर्भित एवं उभरते सरोकारों से सम्बन्धित तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों की अनिवार्यताओं के अनुरूप है।
- इस रूपरेखा में, बदलते संदर्भों और इसे मुक्त व लचीला बनाए रखने पर बल दिया गया है। अध्यापक शिक्षा को प्रश्नात्मक और उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए।
- शिक्षक–शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 कक्षा के अतिरिक्त अधिगम स्थानों और पाठ्यचर्या स्थलों की विविधता को स्वीकार करता है। यह इस बात को भी मानता है कि शिक्षण–शास्त्रीय ज्ञान को गहन चिंतन के माध्यम से शिक्षक के व्यक्तिगत अभ्यास द्वारा विविध संदर्भों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निरंतर अनुकूलन से गुजरना पड़ता है।
- शिक्षक–शिक्षा एक लम्बी और सतत् प्रक्रिया है जिसमें सेवा–पूर्व, सेवाकालीन और शिक्षक का सतत् व्यावसायिक विकास अभिन्न भाग हैं।
- गहन शिक्षणशास्त्र के प्रयोग की तरफ झुकाव का सुझाव दिया गया।
- पाठ्यचर्या के विषयों में सिद्धांत एवं प्रयोग को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था।
- शिक्षा और प्रशिक्षण के अवलोकन की प्रक्रिया में कक्षा वाचन, विश्लेषण, गहन जाँच–पड़ताल, आत्म–अधिगम, चिंतनशील अभ्यास, अभ्यासों को संप्रत्ययों से जोड़ना आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। भाषायी क्षमता और संप्रेषण कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता भी अनुभव की गई।
- शिक्षक को एक विचारशील अभ्यासकर्त्ता होने पर बल दिया गया।
- गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की मूल्यांकन और मापन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया।
- आधुनिक शिक्षण पद्धतियों जैसे सृजनात्मकता, समझपूर्ण अधिगम, संदर्भित शिक्षणशास्त्र और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के एकीकरण पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

**अपनी प्रगति की जाँच करें – 5**

**नोट:** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

5. शिक्षक–शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए।

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

PDF Compressor Free Version



## 8.8 सातवीं पंचवर्षीय योजना से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

पिछली इकाई में आपने चौथी, पाँचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा की योजनाओं और नीतियों के नियोजन और उनके क्रियान्वयन के विषय में पढ़ा। इस भाग में हम सातवीं पंचवर्षीय योजना से बारहवीं पंचवर्षीय योजना का विशेष रूप से शिक्षा के विकास की दृष्टि से विश्लेषण करेंगे।

### 8.8.1 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के जिन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया वे निम्नलिखित हैं:

- 6 से 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अनुशंसा की गई।
- माध्यमिक शिक्षा हेतु आधुनिक पाठ्यचर्या और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।
- तकनीकी और विज्ञान आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया।
- कला, संस्कृति और भाषा शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

### 8.8.2 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–1997)

आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के जिन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया वे निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने और शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रमों में गुणवत्ता के विकास के सुझाव दिए गए।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों पर विशेष अवधान के साथ पूर्ण साक्षरता प्राप्ति हेतु देश के 345 जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया।
- माध्यमिक शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ सुझाव दिया गया।
- विद्यालय पूरा कर निकलने वाले कुल विद्यार्थियों के 20 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में समायोजित करने का सुझाव। पारा–मेडिकल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया।
- सरकार देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करे।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार और समेकन मुख्य सरोकार रहेंगे।
- त्रिभाषा सूत्र को एक समान रूप में लागू करने का सुझाव। हिन्दी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण हेतु 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता की अनुशंसा की गई।

PDF Compressor Free Version



### 8.8.3 नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997—2002)

नौवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य संस्तुतियाँ निम्नलिखित थी:

- बच्चों के लिए पूर्व–विद्यालय और प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों को स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी सरोकारों से जोड़ने की अनुशंसा की गई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERTs) को पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा (ECE) हेतु शोध, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विस्तार गतिविधियों के संचालन हेतु सक्षम बनाने का सुझाव दिया गया।
- बिल्कुल निम्न स्तर से विद्यालय सुधार कार्यक्रम में समुदाय के सहयोग के संगठन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को दृढ़ता प्रदान करने के लिए व्यापक प्रणाली का सुझाव।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs), शिक्षक–शिक्षा केन्द्रों (CTEs), उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्रों (IASEs) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERTs) की स्थापना द्वारा डिप्लोमा कार्यक्रमों को प्रदान कर उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए नई पहल करने का सुझाव दिया गया।
- विद्यालय छोड़कर जाने वाले (Drop-out) विद्यार्थियों, कामकाजी बच्चों, लड़कियों, प्रवासी जनसंख्या और ऐसे ही अन्य समूहों के लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERTs) के सहयोग से पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण, माध्यमिक शिक्षा हेतु व्यावसायिक शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा और गणित शिक्षण, विज्ञान और कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना और अक्षम व्यक्तियों को शिक्षा की मुख्यधारा में समायोजित करना, कार्य की अन्य योजनाएँ थीं।
- विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए कार्य योजना जैसे व्यावसायिक शिक्षा का महत्व और गुणवत्ता में सुधार, शिक्षणकर्मियों का विकास, मीडिया का प्रयोग और शिक्षा तकनीकी, पाठ्यचर्या का संरचनात्मक प्रबंध, पहुँच और समानता से सम्बन्धित परिवर्तन, संसाधनों का संगठन और प्रदर्शन का सुझाव दिया गया।
- लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी लागू की जानी चाहिए।

### 8.8.4 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002—2007)

दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए मात्र सेवाओं और संपत्ति के विस्तार से हटाकर सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। सामान्य विद्यालय व्यवस्था पर बल दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन का सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिक उपलब्धि, समता और समानता को बनाए रखना आदि पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण पर विशेष बल दिया गया। सूचना प्रणाली के इलैक्ट्रानिक प्रबंधन के विकास पर भी बल दिया गया।

### 8.8.5 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007—2012)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए शिक्षा पिरामिड के सभी भागों को समाहित करने वाली एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करती है।

PDF Compressor Free Version



- इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत सभी सामाजिक समूहों के विद्यालय छोड़कर जाने वाले (drop-outs) बालक–बालिकाओं की दर को कम करने का लक्ष्य रखा गया।
- माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए सार्वजनिक और निजी प्रयासों द्वारा पहल की गई। माध्यमिक शिक्षा के साथ उच्च प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए गए।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (Industrial Training Institutes - ITIs) के आधुनिकीकरण के नवीन उपायों को खोजने और उनकी संख्या में वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। उस समय चीन के 4,000 विशिष्ट कौशलों की तुलना में भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 कौशलों की शिक्षा ही प्रदान की जा रही थी।
- यह देखा गया कि भारत में प्रासंगिक आयु वर्ग के केवल 10 % विद्यार्थी ही विश्वविद्यालयों तक पहुँचते हैं जबकि कई अन्य विकासशील देशों में यह आँकड़ा 20 से 25 प्रतिशत के बीच था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा व्यवस्था के विस्तार और गुणवत्ता में सुधार के लिए मुख्य प्रयास का लक्ष्य रखा गया।

### 8.8.6 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा सम्बन्धी मुख्य अनुशंसाएँ निम्नलिखित हैं:

- यह देखा गया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के दौरान, योजना के प्रारंभिक काल में सकल नामांकन दर (Gross Enrolment Rate - GER) 12.3 प्रतिशत से 17.9 प्रतिशत की वृद्धि को प्राप्त किया।

यह ध्यान दिया गया कि भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करती है:

**विस्तार**

2010 में भारत की सकल नामांकन दर 16 प्रतिशत थी, जो विश्व की औसत दर 27 प्रतिशत के साथ–साथ अन्य विकासशील देशों जैसे चीन (26 प्रतिशत) और ब्राजील (36 प्रतिशत) से भी बहुत कम थी।

**उत्कृष्टता**

- प्राध्यापकों की कमी – राज्य और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में क्रमशः 40 प्रतिशत और 35 प्रतिशत प्राध्यापकों की कमी है।
- 2010 में एन.ए.ए.सी. (NAAC) प्रत्यायनता के आधार पर 62 प्रतिशत विश्वविद्यालयों की उपलब्धि औसत थी और 90 प्रतिशत कॉलेजों की उपलब्धि औसत से नीचे थी।
- अनुसंधान और अन्य प्रकाशनों पर भारत के प्रासंगिक उल्लेखों का प्रभाव विश्व औसत का आधा था।

**समता**

राज्यों में उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर में भारी असमानता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंग और समुदाय के अनुसार सकल उपस्थिति दर (Gross Attendance Rate - GAR) निम्न प्रकार थी:

PDF Compressor Free Version



- अन्तर–राज्यीय असमानता : दिल्ली में 47.9 प्रतिशत जबकि असम में 9 प्रतिशत
- शहरी–ग्रामीण अंतर : शहरी क्षेत्रों में 30 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 11.1 प्रतिशत
- समुदायों के मध्य भिन्नता : अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 14.8 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 11.6 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.7 प्रतिशत, और मुसलमानों के लिए 9.6 प्रतिशत
- लिंग असमानता : महिलाओं में 15.2 प्रतिशत जबकि पुरुषों में 19 प्रतिशत

अन्य अनुशंसाएँ निम्नलिखित थीः

- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश सुनिश्चित करना।
- शिक्षा के विभिन्न पहलुओं (पाठ्यक्रम, संकाय सदस्य आदि) को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर लाना अपरिहार्य।
- अनुसंधान हेतु वित्त के पर्याप्त स्रोत उत्पन्न करना और अनुसंधान का व्यावहारिक रूप में प्रयोग।
- उच्च गुणवत्ता वाले प्राध्यापकों को आकर्षित करने और रोके रखने के लिए समुचित वातावरण का निर्माण और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण–अधिगम अनुभवों को बढ़ाने के लिए तकनीकी का प्रयोग।
- रोज़गार के लिए उच्च प्रतिभाशाली संकुल सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा व्यवसाय को गतिशील और व्यावहारिक बनाना।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना काल, सरकार को एक सशक्त नियामक वातावरण तैयार करने और इसे सुदृढ़ क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था प्रदान करता है।

**अपनी प्रगति की जाँच करें — 6**

**नोटः** (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

9. बारहवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

PDF Compressor Free Version



## 8.9 सारांश

इकाई के उद्देश्यों के अनुरूप चर्चा का आरंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की मूलभूत विशेषताओं की समीक्षा द्वारा होती है। इसका समापन संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 की मूलभूत विशेषताओं की चर्चा द्वारा होता है।

इस इकाई में शिक्षा का आधुनिक विकास चर्चा का मुख्य विषय था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों में विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा तक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर ज्ञान की पहुँच, समता और समानता और शिक्षा में गुणवत्ता पर बल दिया गया। आगे, इकाई पाठ्यचर्या और अन्य शिक्षणशास्त्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005 और शिक्षक–शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के विश्लेषण द्वारा विद्यालय और शिक्षक–शिक्षा में बदलते परिप्रेक्ष्यों और संदर्भों में गहन विचार करती हैं। इकाई का समापन सातवीं पंचवर्षीय योजना से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की अनुशंसाओं और उनके क्रियान्वयन की रणनीतियों का समीक्षात्मक विश्लेषण द्वारा होता है।

## 8.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

अग्रवाल, जे.सी. (2008). *डेवलेपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ माडर्न एजुकेशन,* नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड।

भारत सरकार, (2006–09). *नेशनल एजुकेशन कमीशन, दि रिपोर्ट ऑफ दि नेशन, 2006–09*।

भारत सरकार, (1966). *एजुकेशन एंड नेशनल डेवलेपमेंट, रिपोर्ट ऑफ दि एजुकेशन कमीशन, 1964–66,* दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

भारत सरकार, (1986). *रिपोर्ट ऑफ दि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन,* नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (1992). *रिपोर्ट ऑफ दि मोडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन,* नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (1985). *सेवंथ फाइव ईयर प्लान (1985–1990),* नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (1992). *एट्थ फाइव ईयर प्लान (1992–1997),* नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (1997). *नाइन्थ फाइव ईयर प्लान (1997–2002),* नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (2002). *टेंथ फाइव ईयर प्लान (2002–2007),* नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (2007). *इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान (2007–2012),* नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, (2012). *टेवलेथ फाइव ईयर प्लान (2012–2017),* नई दिल्ली: भारत सरकार।

PDF Compressor Free Version



एन.सी.ई.आर.टी. (2005). *नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क* (2005). नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.।

एन.सी.टी.ई. (2009). *नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क* फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली: एन.सी.टी.ई.।

**संदर्भित वेबसाइट**

http://eprints.rclis.org/7462/1/National_Knowledge_Commission_Overview.pdf. से 14 अक्तूबर 2015 को लिया गया।

http://www.eldis.org/go/home&id=45400&type=Document#.Vh9QHPmqqkp से 14 अक्तूबर 2015 को लिया गया।

http://www.prsindia.org/theprsblog/?tag=National_Knowledge_Commission से 15 अक्तूबर 2015 को लिया गया।

http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf से 19 अक्तूबर 2015 को लिया गया।

http://en.wikipedia/org/wiki/National_Curriculum_Framework(NCF_2005) से 22 अक्तूबर 2015 को लिया गया।

http://www.teachersbadi.in/2013/11/National_Curriculum_Frameworkncf-2005.html से 22 अक्तूबर 2015 को लिया गया।

http://www.ey.com/IN/en/Industries/India-sectors/Education/Higher-Education-in-India-Twelfth-Five-Year-Plan-2012-2017-and-beyond से 26 अक्तूबर 2015 को लिया गया।

http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/7th/vol2/7v2ch10.html से 26 अक्तूबर 2015 को लिया गया।

(**टिप्पणी:** इस इकाई की विषयवस्तु राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1966, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992, और सातवीं से बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं की रिपोर्टों के संदर्भ के आधार पर विकसित की गई है जो भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस इकाई में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 और शिक्षक–शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ही रूपरेखा, 2009 से संबंधित विषयवस्तु क्रमश: एन.सी.ई.आर.टी. और एन.सी.टी.ई. के दस्तावेजों से लेकर विकसित की गई है।)

## 8.11 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

1. स्व–अभ्यास

2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs), शिक्षक–शिक्षा केन्द्रों (CTEs) और उन्नत उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्रों (IASEs) की स्थापना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई।

3. मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा (हिन्दी), आधुनिक भाषा (अंग्रेजी)।

4. ज्ञान पंचभुज में ज्ञान की पहुँच, ज्ञान के प्रत्यय, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का प्रयोग और ज्ञान सेवाएँ सम्मिलित हैं।

PDF Compressor Free Version



5. स्व–अभ्यास

6. ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना यह सुनिश्चित करता है कि अध्येता प्रत्ययों को समझने की रटंत विधियों से दूर रहे, परीक्षाओं को लचीला बनाना और पाठ्यचर्या को इस प्रकार संवर्द्धित करना कि यह पाठ्यपुस्तकों से आगे जा सके।

7. विद्यालय शिक्षा के प्रत्ययों में शिक्षणशास्त्रीय परिवर्तन का क्रियान्वयन, विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या में शिक्षा के परिप्रेक्ष्य और संदर्भ।

8. स्व–अभ्यास।

9. शिक्षा के सभी स्तरों पर विस्तार, उत्कृष्टता और समता।